खण्ड-152, अंक-3
बुधवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1877
(23 मार्च, 1955 ई0)

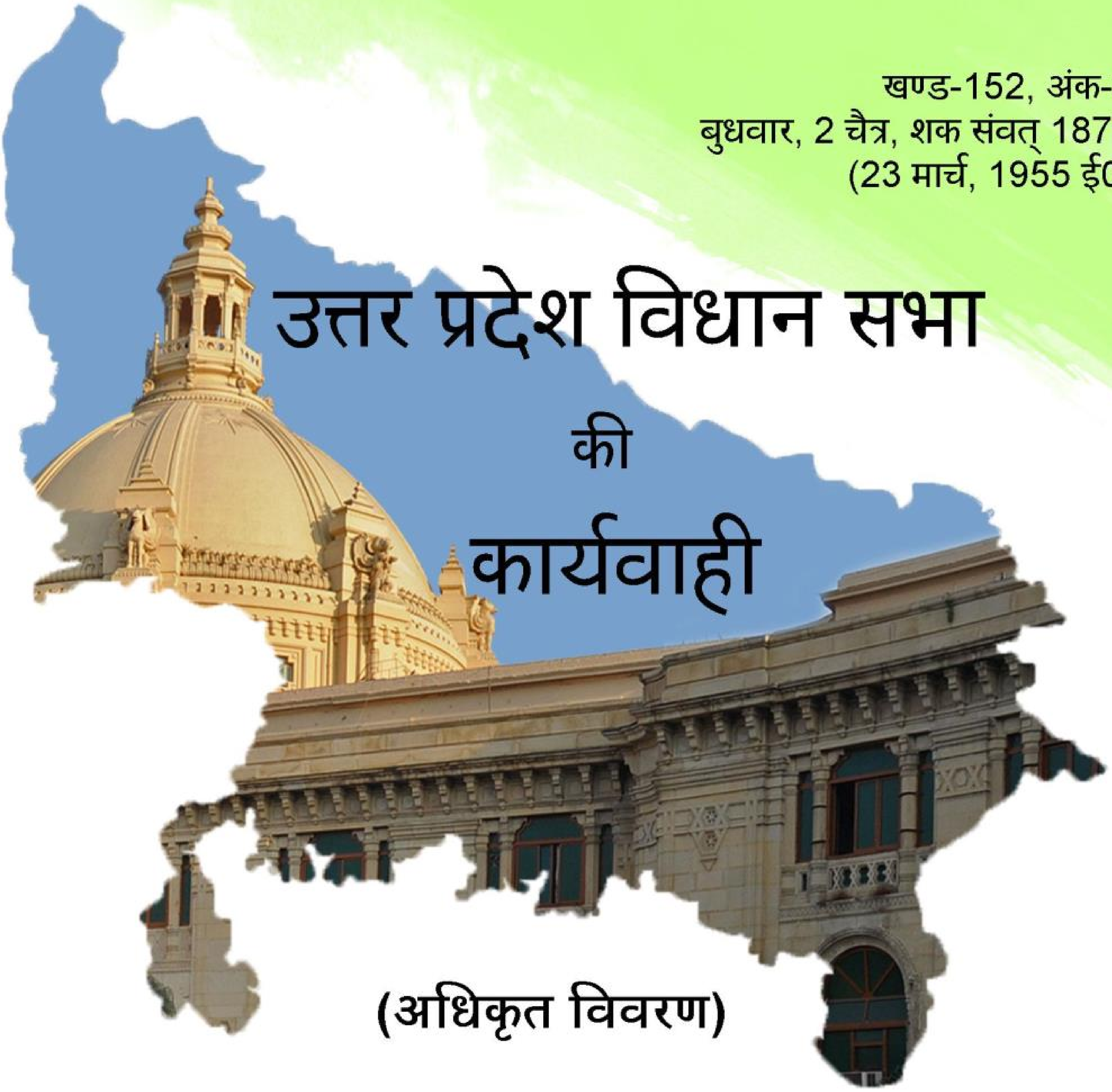

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 152 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द, वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवदती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह काश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनागर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वाशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल शर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
बीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
प्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिव पूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिव वक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बुधवार २३ मार्च १९५५ ई०

जिला गढ़वाल में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कें तथा उनका व्यय

*१—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान द्वारा जिला गढ़वाल की तहसील चमोली, पौड़ी, और लैन्सडौन, में कितनी मील और कौन कौन मोटर सड़कें जनता द्वारा बनायी गयी हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४२–२४३ पर)।

*२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन सड़कों के रख-रखाव के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री फूल सिंह—साधारणतः इन सड़कों की रख रखाव की जिम्मेदारी जिला नियोजन समितियों पर है परन्तु सरकार ने दो सड़कों, अर्थात सतपुली–नौगांवखाल और कनमौयेलिया–नौगांवखाल की "सेल्फहेल्प" के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कराने के लिए ६२,००० रुपये की मंजूरी चालू साल में दी है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें जिला गढ़वाल में श्रमदान द्वारा बनायी गयी हैं, उनकी कुल लागत क्या होगी ?

श्री फूलसिंह—लागत तो इस वक्त बतलाना कठिन है, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो नोटिस मिलने पर बतला सकता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों के रखरखाव में वार्षिक कितना खर्च होता है ?

श्री फूलसिंह—रखरखाव की जिम्मेदारी प्लानिंग कमेटी की है, जिसके माननीय सदस्य मेम्बर हैं।

मड़ियाहूं तहसील में कालीन बनाने वालों को प्रोत्साहन

*३—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर में बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले बुनकरों की सोसाइटी और उनके बनाये माल का बिक्री केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)----जी हां।

*४--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मड़ियाहूं तहसील में कालीन बनाने वालों को वह किस प्रकार प्रोत्साहन देने का इरादा रखती है ?

श्री बनारसी दास--इस स्थान के कालीन बनाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है। यह लोग जब कोई अपनी मांग सरकार के समक्ष रक्खेंगे, तो अवश्य उस पर विचार किया जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार ने अभी तक कोई निर्णय किया या नहीं ?

श्री बनारसीदास--रीजनल मार्केटिंग अफसर बनारस को इस बात के लिए नियुक्त किया गया है कि वे वहां जाकर देखें कि बिक्री केन्द्र और उत्पादन के सम्बन्ध में वहां क्या किया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद वहां पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को मालूम है कि मड़ियाहू तहसील में कालीन बनाने वालों की बहुत बड़ी संख्या थी, और अब वे कालीन बनाने वाले बेकार हैं ?

श्री बनारसी दास--यह सही है कि वहां कालीन बनाने वालों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अभी तक वहां कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। यदि वहां कोई इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो तो सरकार उसको प्लांट तथा ऋण भी दे सकती है।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जौनपुर में सेल डिपो और ड्राइंग हाउस जो सरकार की ओर से खोले गये हैं, उनमें मड़ियाहू तहसील की कोआपरेटिव सोसाइटी का माल भी बिक्री के लिए लिया जाता है ?

श्री बनारसी दास--जैसा कि मैंने निवेदन किया कि वहां कोई इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, और वहां मार्केटिंग अफसर को नियुक्त किया गया है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद वहां आवश्यक सहायता का प्रबन्ध किया जायगा।

इन्डो तिब्बेटन बार्डर के ऊनी वस्त्र के कुटीर उद्योग में सहायता

*५--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार इन्डो तिब्बेटन बार्डर के ऊनी वस्त्र, कम्बल व गलीचे बनाने वाले लोगों को उनके कुटीर उद्योग में कोई सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास--जी हाँ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि क्या सहायता दी जायगी और कब तक ?

श्री बनारसी दास--चालू वर्ष में ३०,७०० रु० वहां सहायता के लिए स्वीकार किया गया था और वित्तीय वर्ष में वहां कार्य शुरू कर दिया जायगा। योजना यह है कि अल्मोड़ा में बुनाई का कार्य सिखलाने के लिए दो केन्द्र खोले जायेंगे, और टेहरी-गढ़वाल तथा पौड़ी-गढ़वाल में केन्द्र खोले जायेंगे जहां ट्रेनिंग एक साल की होगी, और इसके अतिरिक्त कताई सिखलाने के लिए अल्मोड़ा में ६ केन्द्र होंगे, तथा टेहरी-गढ़वाल में चार और पौड़ी-गढ़वाल में भी चार केन्द्र होंगे, जिसमें एक महीने का समय होगा, और कताई सीखने के लिए ५ रुपया मासिक सहायता दी जायगी।

अस्कोट पालीटेक्निक शिक्षण की व्यवस्था

*६--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार का विचार पिथौरागढ़ तहसील में Government Polytechnic Institute खोलने का है ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं।

*७--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--यदि हां, तो कहां और कब तक ?

श्री बनारसी दास--प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या यह सत्य है कि पिथौरागढ़ तहसील के अन्तर्गत अस्कोट एक स्थान है, जहां पालीटेक्निक इन्स्टीटयूट खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री बनारसी दास--अस्कोट में एक नारायण स्वामी हायर सेकेन्डरी स्कूल है, उसमें बहुधंधी विषयों की भी शिक्षा दिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार बतायेगी कि यह पालीटेक्निक इन्स्टीटयूट खोलने का विचार अब तक कार्यान्वित हो जायगा ?

श्री बनारसी दास--सरकार की ओर से कोई पालीटेक्निक इन्स्टीटयूट खोलने का अलग से विचार नहीं है, लेकिन नारायण स्वामी हायर सेकेन्डरी स्कूल में ही यांत्रिक शिल्प की शिक्षा दी जाती है, वहां पर इसका भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

*८--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--[६ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

*९-११--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--[२० अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेशीय आयुर्वेदिक कालिज का सिलेबस तथा छात्रों द्वारा हड़ताल

*१२--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय आयुर्वेदिक कालिज के छात्रों ने २८ जनवरी, ५५ से हड़ताल कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री फूल सिंह--छात्रों ने २८ जनवरी, १९५५ से हड़ताल कर दी थी। यह हड़ताल २२ फरवरी, १९५५ को समाप्त हो गयी। हड़ताल का कारण छात्रों की कुछ कथित मांगे थी, जो सब मान्य हो नहीं सकती थीं।

*१३--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छात्रों की क्या मांगें हैं और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री फूलसिंह--छात्रों की मांगे और सरकार की प्रतिक्रियायें या की गयी कार्यवाही संलग्न तालिका में दे दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४४ पर।)

श्री जोरावर वर्मा--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो इतनी लम्बी हड़ताल हुई, उस पर शीघ्र गौर न होने का क्या कारण है ?

नियोजन मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जिन विषयों को वहां के विद्यार्थियों ने उठाया था, वह विषय विश्वविद्यायल से सम्बन्ध रखते थे और जब तक विश्वविद्यालय उनका निर्णय न करे तबतक सरकार उस ओर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। जो विषय झगड़े का था उसका सम्बन्ध एकेडेमिक कौंसिल से था और विश्वविद्यालय की ऐकेडेमिक कौंसिल साल में एक दो बार बैठती है और उसी समय वह तमाम विषयों पर विचार-विनिमय करके निर्णय करती है। इसी कारण से छात्रों की मांगों के सम्बन्ध में देरी हुई।

श्री जोरावर वर्मा--अभी मन्त्री जी ने बताया कि विद्यार्थियों की मांग करने पर छात्रावास लिया गया और ट्रेन्ड अध्यापक रखे गये, तो इससे पहले उनके रहने और पढ़ाने की क्या यवस्था थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक पढ़ाने का विषय है, वहां भी जो अध्यापक विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाते थे, वे ही, उन विद्यार्थियों को भी आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ाने का कार्य करते रहे और कर रहे हैं। छात्रावास के विषय में पहले ही घोषणा कर दी गयी थी कि अभी छात्रावास नहीं बना है, पर बनने वाला है। फिर भी सरकार ने चेष्टा की कि जो मेडिकल कालेज का छात्रावास है, वहीं पर इन लोगों को भी रखा जाय, लेकिन जगह का अभाव होने के कारण विद्यार्थियों को वहां जगह नहीं मिली सकी। उसके बाद उनको कुछ इमारतें दिलायी गयीं कि जहां वे रह सकते थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी थीं कि जहां वे रहना पसन्द नहीं करते थे। बाद को उन छात्रों के लिए छात्रावास एक ऐसी इमारत में रखा गया, जो सरकार के पास थी और उसी को उनके रहने के योग्य बनाने की व्यवस्था की गयी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि विद्यार्थियों की मांग उसी पाठ्यक्रम को रखने के लिए थी, जिसकी वजह से मेडिकल कालेज में बी० एम० बी० एस० का कोर्स समाप्त कर दिया गया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बी० एम० बी० एस० का कोर्स इसलिए नहीं समाप्त किया गया था कि कोई विषय इत्यादि बढ़ाने के विषय में झगड़ा था, बल्कि उसका कारण तो यह था कि वह विद्यार्थी, जो एम० बी०, बी० एस० के विद्यार्थियों के साथ पढ़ते थे, उनकी यह ख्वाहिश एम० बी०, बी० एस० के विषयों को पढ़ने की थी। यह विषयों को पढ़ाने का विषय ऐसा है, जिसका निर्णय विश्वविद्यालय को करना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐकेडेमिक मामला है, और उसमें सरकार दखल नहीं दे सकती और न विद्यार्थियों को ही सरकार यह अधिकार दे सकती है कि वे ही इस का निर्णय करें कि कौन कौन विषय उनको पढ़ाये जायं। अभी जो विषय त्रिपाठी जी ने छेड़ा, उसका प्रश्न विश्वविद्यालय में उठा था, और जो विषय उन्हें पढ़ाये जाते हैं, वह निर्णय वहां की एकेडेमिक कौंसिल का है, और उन्हीं के अनुसार पढ़ाई हो रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि विद्यार्थियों की इस हड़ताल की वजह से यह तय हुआ है कि इस वर्ष जो भरती हुये विद्यार्थी हैं उनके लिये दूसरा पाठ्यक्रम रखा जाय और जो अगले साल विद्यार्थी भर्ती होंगे उनके लिये दूसरा पाठ्यक्रम रखा जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, यह बात सत्य है कि जो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिये १९५४-५५ में विश्वविद्यालय की ओर से रखा गया है वह इन विद्यार्थियों के लिये भी चालू रहेगा और अगले वर्ष से जो विद्यार्थी इस आयुर्वेदिक कालेज में सम्मिलित होंगे उनके लिये थोड़ा परिवर्तन किया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि इस आयुर्वेदिक कालेज के जो प्रिंसिपल थे वे एक एलोपैथ थे और उनके पास क्या कोई ऐसी शिकायत आयी है कि वे विद्यार्थियों को इस बात के लिये कहते थे कि तुम एलोपैथिक क्लासेज में पढ़ो और यह आयुर्वेद पुराना सड़ा हुआ शास्त्र है उसको न पढ़ो?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरे पास तो इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। यह सही है कि जो उस कालेज के प्रिंसिपल महोदय रखे गये थे वे स्वास्थ्य विभाग में पहले सरकारी कर्मचारी थे और सरकार ने उनकी नियुक्त इस बुनियाद पर की थी कि वे एक तजुर्बेकार व्यक्ति हैं और विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्य करते रहे हैं। उन्हें प्रिंसिपल का कार्य सम्पादन करने के लिये नियुक्त किया गया था।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि एकेडेमिक कौंसिल ने जो सिलेबस पास कर रखा था वह यूनिवर्सिटी कैलेंडर में न छापकर पुराने सिलेबस को छापा गया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, यह सही है कि इस वर्ष जो कैलेंडर छपा था उसको १९५४-५५ के लिये जो पहले सरकार से निर्धारित किया हुआ था वह छापा गया था।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या यह सही है कि पुराना सिलेबस और नया अमेंडेड सिलेबस इन दोनों को न मानकर एक तीसरा कोर्स प्रिंसिपल महोदय ने स्वयं इंट्रोडयूस किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रिंसिपल ने तो स्वयं कोई नहीं निर्धारित किया था। जो निर्धारित हुआ था वह उन विशेषज्ञों की सलाह से निर्धारित हुआ था जो कि वहां पर अध्यापक का कार्य भी करते हैं और साथ में इस विभाग में भी विशेषज्ञ के रूप में कुछ कार्य करते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि यह आयुर्वेदिक कालेज डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज के अधिकार में है जो एक फुलफ्लेज्ड एलोपैथ हैं और डिप्टी डाइरेक्टर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का इसमें कोई अधिकार नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---डिप्टी डाइरेक्टर आफ आयुर्वेद तो उसके संचालन में पूरा भाग लेते हैं और आजकल तो वह प्रिंसिपल के कार्य को भी सम्पादित कर रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि उन विद्यार्थियों ने एक यह भी मांग की थी कि आयुर्वेदिक कालेज बनवाने के लिये जो गत वर्ष के बजट में २६ लाख रुपया रखा गया और आयुर्वेदिक कालेज की बिल्डिंग पर न खर्च हो करके बल्कि मेडिकल कालेज की बिल्डिंग पर खर्च कर दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय सदस्य ने जो भ्रमात्मक बातों का सवाल यहां उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में मैं यही कहता हूं कि २६ लाख की कोई भी रकम आयुर्वेदिक कालेज बनाने के लिये पिछले वर्ष के बजट में नहीं रखी गई थी। जितनी रकम रखी गई थी वह पूरी खर्च कर दी गई और उसकी बुनियाद पर जो इमारतें पुराने किंग्ज अस्पताल की थीं वह बदली गईं और वहां कुछ और इमारतें बनाई गईं। इसलिये २६ लाख रुपये के व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता और यह भी प्रश्न नहीं उठता कि २६ लाख की रकम जो रखी गई थी वह मेडिकल कालेज की इमारतों के बनाने में खर्च की गई। यह भ्रमात्मक बात है और कहीं माननीय सदस्य ने आंकड़ों को पढ़ने में भूल की है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में डिप्टी डाइरेक्टर आफ आयुर्वेद के नियंत्रण में वह रहे और डाइरेक्टर आफ हेल्थ के नियंत्रण में वह न दिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसी व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेडिकल और इंडिजिनस विभाग यों तो अलग-अलग कार्य कर रहे हैं लेकिन इनके कार्यों का समन्वय करने के लिये और सरकार के सामने एक संतुलित रिपोर्ट रखने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि दोनों विभागों का संचालन एक ही व्यक्ति के द्वारा हो और इसलिये सरकार ने डाइरेक्टर, जो एलोपैथी विभाग का अध्यक्ष रहता है, उसको संतुलन करने के लिये यह कार्य सौंप रखा है। वर्ना जहां तक इंडिजिनस विभाग का सम्बन्ध है उसका नेतृत्व डिप्टी डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज करते हैं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो विद्यार्थियों की मांग थी कि एम० बी०, बी० एस० और बी० एम० बी० एस० डाक्टरों के एक ही ग्रेड और अधिकार हों या उसमें कोई विशेष अन्तर है, यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बी० एम० बी० एस० पासशुदा विद्यार्थी अभी मेडिकल कालेज से निकले नहीं हैं। इसलिये सरकार ने बी० एम० बी० एस० पासशुदा जो डाक्टर होंगे उनके क्या अधिकार होंगे, उस पर कोई कतई निर्णय नहीं किया है। यही अब इस वर्ष के बजट में इस बात की चेष्टा की गई है कि जो ऐसे विद्यार्थी पासशुदा हो कर निकलें जिन्होंने आधुनिक विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की है और जिनके पास डिग्रियां हैं उनके वही एमालूमेंट्स हों जो पी० एम० एस० द्वितीय के एमालूमेंट्स होते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने इस साल के बजट को अध्ययन करके देखा होगा। उसमें इसीलिये ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कार देने के सम्बन्ध में और एलाउन्स देने के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किया गया है। मौजूदा साल में एम० बी०, बी० एस० पासशुदा जो डाक्टर होते हैं वे सरकार की दो नौकरियों में पी० एम० एस० प्रथम और पी० एम० एस० द्वितीय में रखे जाते हैं लेकिन अब सरकार यह विचार कर रही है कि जो काशी विश्वविद्यालय से जो स्नातक निकलें वे भी पी० एम० एस० द्वितीय में भर्ती हों।

सीतापुर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य तथा उन पर व्यय

*१४---श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले में नियोजन विभाग ने कौन-कौन काम करना निश्चय किया था?

*१५---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले की प्रत्येक तहसील में उनमें से कौन-कौन काम कहां-कहां अब तक हुआ है और कितना काम शेष रह गया है?

*१६---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन कामों पर सरकार ने अब तक कितना धन व्यय किया है?

श्री फूलसिंह---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले के लिए निर्धारित कार्यों का लक्ष्य और अब तक किये गये कार्य तथा व्यय का उपलब्ध तहसील-वार विवरण सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४५-२५२ पर)

श्री गंगाधर शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तमाम काम पर जो ३१ लाख के करीब रुपया खर्च हुआ है उसमें हमारी सरकार ने कितना रुपया दिया है और जनता का कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री फूल सिंह---यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं इसका उत्तर बाद में दे दूंगा।

चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की डिप्लोमाएं तथा एलाउन्स

*१७---श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में किन किन डिग्रीज तथा डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को Post-graduate allowance दिया जाता है तथा कितना-कितना?

श्री फूलसिंह---आवश्यक सूचना की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५३ पर)

*१८---श्री तेजप्रताप सिंह---क्या यह सत्य है कि D. T. D. डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता? यदि हां, तो क्यों?

श्री फूल सिंह---इस प्रश्न पर सरकार अभी विचार कर रही है।

श्री तेज प्रताप सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टी० बी० में काम करने वाले टी० डी० डी० डिप्लोमा प्राप्त डाक्टरों को वहीं खतरा रहता है जो डी० टी० डी० प्राप्त डाक्टरों को रहता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, खतरा तो रहता है लेकिन जो प्रश्न माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं उसके विषय में सरकार जैसा कि बताया गया है विचार कर रही है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रश्न पर सरकार कब से विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब तो यह सारा मसला एलाउंसेज का है। उसके लिये डिप्लोमा या डिग्री इत्यादि जो रक्खी गई है उसके ऊपर सरकार पुनः विचार कर रही है, क्योंकि सरकार को इन डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों पर जो खर्च करना पड़ता है वह रकम प्रत्येक वर्ष बहुत बढ़ती जा रही है। यह सारा प्रश्न विचार कर लिया गया है। लेकिन अभी वह फाइनेन्स डिपार्टमेंट के समक्ष उपस्थित है। जब उस डिपार्टमेंट से मंजूरी आ जायगी तो यह विषय जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने प्रश्न के द्वारा की है उसका भी निर्णय उस बड़े प्रश्न के साथ हो जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टी० डी० डी० और डी० टी० डी० डिप्लोमाज में कोई भेद है या दोनों एक ही योग्यता के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ज्यादा तो मैं इस विषय में नहीं कह सकता। कदाचित मैं समझता हूं कि जो ये डिप्लोमा लेते हैं टी० बी० के विशेषज्ञ के नाते करीब-करीब उनकी शिक्षा इत्यादि एक सी ही होती है और ये डिप्लोमा एक ही तरह के माने जाते हैं। जिस समय हमने विभिन्न डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को मान्यता दी थी और एलाउन्सेज देने का निर्णय किया था उस समय डाइरेक्टर महोदय ने इस प्रकार के डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की थी। कदाचित यह उनकी भूल रही होगी। लेकिन अब यह विषय हमारे सामने आ गया है और जैसा बताया, हम इस विषय पर भी निर्णय उस बड़े प्रश्न के साथ ही दे देंगे।

बाराबंकी-लखनऊ रोड से गदिया जाने वाली सड़क के निर्माण पर व्यय

*१९---श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में बाराबंकी-लखनऊ रोड से मौजा गदिया को जाने वाली सड़क गत माह दिसम्बर, १९५४ में केन डेवलपमेंट कौंसिल बाराबंकी द्वारा किसानों के गन्ने की कीमत से कटौती करके डामर की बनाई गई थी ?

श्री फूल सिंह---प्रश्न में उल्लिखित सड़क किसानों के गन्ने की कीमत से कोई कटौती करके नहीं बनाई गई बल्कि केन डेवलपमेंट कौंसिल ने उसे अपने धन से बनवाया था।

*२०---श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सड़क को बनाने में जो केवल एक मील लम्बी है ४०,००० रु० व्यय किया गया है और फिर भी सैकड़ों जगह सड़क खुद गई है ?

श्री फूल सिंह--जी नहीं, इस सड़क पर कुल २४३४८ रुपया १० आना ९ पाई व्यय हुआ है। सड़क पर गन्ने की गाड़ियों का अधिक यातायात होने के कारण कहीं कहीं खांचे बन गये हैं।

*२१--श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विषय पर किसानों ने अपने किसी प्रार्थना-पत्र द्वारा उपमंत्री विकास तथा केन कमिश्नर यू० पी० से सड़क के निर्माण कार्य की जांच करने की मांग की है ?

श्री फूल सिंह--जी हां, जांच की जा रही है ।

श्री अवधशरण वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रोड किसी ठेकेदार द्वारा बनाई गई है या खुद विभाग के द्वारा ?

श्री फूल सिंह--केन के मुहकमे की ओर से, उसकी निगरानी में बनी है ?

इटावा क्षय चिकित्सालय पर व्यय

*२२--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा में क्षय चिकित्सालय भवन के बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है ? उसमें कितना जनता द्वारा दान से प्राप्त हुआ है और कितना सरकार ने व्यय किया है ?

श्री फूल सिंह--कुल खर्चा ९०, ६६० रुपया १ आना ९ पाई । इसमें १०,००० रु० जिला नियोजन समिति द्वारा प्राप्त हुआ है । बाकी धन निम्नलिखित संस्थाओं से मिला है :

			रु०
अध्यापक विद्यार्थी फंड	..	..	३२,०००
उत्तर प्रदेशीय टी० बी० एसोसियेशन		..	२६,२००
जनता द्वारा दान	..	..	२२,४६०

*२३--श्री मिहरबान सिंह--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके पूर्ण होने में कितना धन और व्यय होने का अनुमान है ?

श्री फूल सिंह--करीब ३७,५०० रुपया (जिलाधीश की रिपोर्ट के अनुसार) ।

*२४--श्री मिहरबान सिंह--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह क्षय चिकित्सालय कितने समय के अन्दर चिकित्सा कार्य शुरू कर देगा ?

श्री फूलसिंह--अस्पताल में चिकित्सा कार्य अप्रैल, १९५५ के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ हो जायगा ।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ३७,५०० रुपया इसके पूर्ण होने में कमी है उसको देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कुछ तो सरकार स्वयं देने का प्रबन्ध करेगी और कुछ वहां के निवासियों से चन्दा इकट्ठा करके उस रकम को पूरा करने की चेष्टा की जायगी ।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अप्रैल के पहले हफ्ते से चिकित्सा कार्य आरम्भ हो रहा है उसके लिये अस्पताल में डाक्टर, कम्पाउन्डर और नर्सेज कितने सरकार दे रही है और क्या उसमें वहां कोई टी० बी० का स्पेशलिस्ट भी जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, वहां जो टी० बी० का विशेषज्ञ है वह जा रहा है और जो स्टाफ ऐसे अस्पताल के लिये नियुक्त किया जाता है उसकी भी नियुक्ति पहली तारीख से होने जा रही है ।

नोट--तारांकित प्रश्न १९-२१ श्री अवधशरण वर्मा ने पूछे ।

*२५-२६--श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[२० अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

मलेरिया यूनिटों पर दी जाने वाली कारें

*२७--श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मलेरिया यूनिटों के लिये इस प्रदेश में कितनी कारें (वाहन) दी गई हैं तथा वे किन-किन जिलों में कार्य कर रही हैं ?

श्री फूल सिंह--विभिन्न यूनिटों में कुल २४ ट्रक, १५ जीप कारें तथा १ पिकअप कार्य कर रही हैं। इनके अतिरिक्त हल्द्वानी यूनिट तराई में यूनीसेफ (unicef) की चार गाड़ियां भी कार्य कर रही हैं। जिन जिलों में यह गाड़ियां व जिन यूनिटों में कार्य कर रही हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :--

(क) नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल यूनिट्स के कार्य के लिये

१--बरेली-रामपुर २--पीलीभीत-शाहजहांपुर ३--मिर्जापुर ४--बहराइच ५--खीरी	हर एक यूनिट में चार-चार ट्रक और एक-एक जीपकार दी गई है।

(ख) लखनऊ -- असिस्टेंट डाइरेक्टर मलेरियालोजी, यू० पी० नेशनल मलेरिया कंट्रोल के लिये ट्रक।

(ग) मलेरिया सर्वे आफिसर को परिक्षण कार्य के हेतु--

१--सहारनपुर-देहरादून २--अलीगढ़-बुलन्दशहर-मथुरा ३--गोंडा-बस्ती ४--गोरखपुर-देवरिया	हर एक आफिसर को एक एक जीप परिक्षण कार्य के लिये दी गई है।
५--नजीबाबाद (जिला बिजनौर तथा दक्षिणी गढ़वाल जिलों के लिये)	एक ट्रक तथा एक जीपकार।

(घ) डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर को मलेरिया कार्य के हेतु--

१--मेरठ २--गढ़वाल ३--सहारनपुर	हर एक जिले में एक जीपकार।

(ङ) तराई मलेरिया कंट्रोल टीम के लिये--

१--हल्द्वानी	एक ट्रक तथा चार यूनिसिफ की गाड़ियां।
२--काशीपुर	एक पिक-अप तथा एक ट्रक।
३--रुद्रपुर	एक जीपकार।

(च) गंगा खादर यूनिट

पोस्ट आफिस हस्तिनापुर, जिला मेरठ।	एक जीपकार

टेहरी-गढ़वाल जिले में भिलंगना सामुदायिक विकास योजना

*२८—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टेहरी जिले के अन्तर्गत भिलंगना सामुदायिक विकास योजना कब से प्रारम्भ हुई है और अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री फूल सिंह—इस केंद्र में जून सन् १९५४ से काम आरम्भ हुआ। ३१ दिसम्बर, १९५४ तक किये गये मुख्य कार्यों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी "ङ' आगे पृष्ठ २५४–२५५ पर)

*२९—श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत किन किन कार्यों के हेतु किन किन स्थानों पर कितनी लागत से भवन निर्माण किये जाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री फूल सिंह—इन भवनों की सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५४–२५५ पर)

श्री सत्यसिंह राणा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में जो पक्की सड़क एक मील दो फ़र्लांग बनायी गई थी वह कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के किस क्षेत्र में बनाई गई है ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट क्षेत्र के अन्तर्गत जो सड़क ६ मील मोटर रोड बनाई गई जनता द्वारा उसके रेट ऐंड मोड आफ़ पेमेन्ट के बारे में सरकार ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है ?

श्री फूल सिंह—इस सम्बन्ध में टेहरी-गढ़वाल के एम० एल० एज०, मिले थे और उस मामले में कुछ देख भाल हो रही है, गालिबन उनका रिप्रजेन्टेशन मन्जूर किया जा रहा है ।

भटनी मिल के नीलाम में त्रुटियां

*३०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि भटनी मिल की बिक्री करने में जिलाधीश देवरिया तथा नीलाम खरीदने वाले में कोई शर्त तै हुई थी जिसके पूरा न होने पर यह नीलाम रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो वह शर्त क्या थी ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, नीलाम रद्द करने का कारण यह था कि नीलाम में कुछ वैधानिक त्रुटियां पाई गई थीं ।

*३१—श्री गेंदासिंह—नीलाम रद्द हो जाने के कारणों को जानने के बाद सरकार ने गलती करने वालों के विरुद्ध तथा बकाया रकम की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—इसमें ऐसी कोई गलती नहीं थी जिसके कारण किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता होती । बकाया की वसूली के लिये मिल को फिर से नीलाम करने की कार्यवाही हो रही है ।

*३२—श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि यह मील पट्टे पर चलने जा रही थी जबकि इसे नीलाम कर दिया गया ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं ।

श्री गेंदा सिंह—क्या उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि जो शर्तें तय हुई थी और उसके बारे में जो जानकारी सरकार ने हासिल की है वह किसके जरिये की है ?

श्री बनारसी दास—यानी जो नीलाम किया गया था । नीलाम में तो कोई शर्त तय नहीं थी ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों के बीच में जो शर्तें हुई थी क्या उनकी भी सरकार ने जानकारी हासिल की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कि इस नीलाम की खरीद का सम्बन्ध है उससे तो कोई शर्त नहीं हुई थी । एक और फ़र्म जो डालमिया नगर की थी उसने ऊपर से इस मिल के मालिकों से बात की थी और उन्होंने जिलाधीश से यह कहा कि उनकी बातचीत इस मिल की खरीदारी या लीज़ के सिलसिले में हो रही है । जिलाधीश ने उनके कहने पर ४ घंटे तक उस नीलाम को बन्द कर दिया और उसके बाद उन्होंने जब यह जबाब दे दिया कि अब उनकी शर्तें मिल के मालिक मन्जूर नहीं कर रहे हैं तब जिलाधीश ने मिल के बेचने की कार्यवाही शुरू की । तो उनके बीच में क्या शर्तें हुई थीं, उनका तो वर्णन हमारे सामने आया नहीं । इतना मालूम हुआ कि उनकी कोई बातचीत हो रही थी और उस सिलसिले में उन्होंने इस मिल को नीलाम पर चढ़ाने से रोकने के लिये कहा और जिलाधीश ने उनकी बात को मान कर ४ घंटे तक नीलाम बन्द कर दिया था । इसके अलावा सरकार के पास और कोई सूचना किन्हीं शर्तों की नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी उन वैधानिक त्रुटियों पर प्रकाश डालेंगे जिनकी वजह से नीलाम रद्द कर दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वैधानिक त्रुटियां जो जमींदारी उन्मूलन का कानून बना है उससे सम्बन्ध रखती थीं । यानी प्रत्येक जो मालिक था उसको कदाचित नोटिस इत्यादि नहीं दिया गया था और बिना ऐसे नोटिस के लिये हुए नीलाम नहीं किया जा सकता था । इसलिये यहां से सरकार के द्वारा यह वैधानिक आपत्तियां उठाई गई और इसलिये जिलाधीश को इस नीलाम को रद्द करना पड़ा ।

श्री गेंदा सिंह—नीलाम करने वाला अधिकारी कौन था और रद्द करने वाला अधिकारी कौन था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नीलाम को रद्द करने वाली सरकार थी और नीलाम करने वाला अधिकारी था जिलाधीश ।

श्री गेंदा सिंह—नीलाम किस जगह पर हुआ था और उस जगह पर सरकार की तरफ से कोई नीलाम करने वाला अधिकारी था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस जिले में हुआ था जहां के रहने वाले माननीय सदस्य हैं ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि नीलाम की तिथि और स्थान की सूचना किसी दैनिक पत्र में प्रकाशित हुई थी ? यदि हां, तो किस दिन और किस पत्र में ?

श्री बनारसी दास—जी हां, उसकी विज्ञप्ति २१ सितम्बर, १९५४ में हुई और ४ दिसम्बर, १९५४ को नीलाम हुआ ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है कि नीलाम लेने वाले व्यक्ति देवरिया जिले के ही किसी चीनी उद्योग फर्म के मालिक हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बेग सदरलैंड कम्पनी कोई है, जिसकी शाखाएं और स्थानों में भी हैं ।

श्री नेंदा सिंह---अब जो कार्यवाही नीलाम के लिये की जा रही है यह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---आदेश जारी हो गये हैं और कहा गया है कि शीघ्रता से यह कार्य आरम्भ किया जाय । कुछ ऐसे व्यक्ति मिल के मालिकों में से हैं जिनके पास कदाचित् नोटिस ही सर्व नहीं हो पाता है । वह दिक्कत आज भी है । लेकिन वह कानूनी अड़चन, हमारे सलाहकारों ने बतलाया है कि किसी कानून के द्वारा रद्द हो सकती है और शीघ्र ही यह कार्य प्रारम्भ होने वाला है ।

भटनी चीनी मिल पर बकाया रुपया तथा मिल के दुबारा नीलाम की मांग

*३३---श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भटनी चीनी मिल पर कितना बकाया, किस प्रकार का है और उसकी वसूली का क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री बनारसी दास---जहां तक सरकार को ज्ञात है भटनी चीनी मिल पर निम्नलिखित रुपया बकाया है :

बकाया की किस्म	रु०	आ०	पा०
१---आयकर का बकाया ..	१,८५,६७३	२	०
२---गन्ना समितियों का बकाया ..	४६,२४६	१५	१०
३---शुगर सिंडीकेट का बकाया ..	१७,७२६	८	६
४---बैंक आफ बिहार का बकाया .. (सब जज छपरा द्वारा प्रेषित कुर्की) ..	१,२८,०१३	१	०
कुल बकाया ..	३,८०,७२२	३	४

उक्त बकाया को वसूल करने के लिये मिल को दुबारा नीलाम करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

*३४---श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार इस मिल के मालिकों की ओर से मिल को नीलाम करने की कार्यवाही के विरुद्ध जो आवेदन-पत्र जिलाधीश को दिया गया था उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं, यह आवेदन पत्र gudicial proceedings की पत्रावली का भाग है ।

*३५---श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नीलाम के वक्त कितने की सब से ऊंची बोली बोली गई थी ?

श्री बनारसी दास---नीलाम के वक्त की सबसे ऊंची बोली साढ़े दस लाख रुपये की थी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न-संख्या ३४ इस प्रकार है, "क्या सरकार इस मिल के मालिकों की ओर से मिल को नीलाम करने की कार्यवाही के विरुद्ध जो आवेदन पत्र जिलाधीश को दिया गया था उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?" माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है "कि, जी नहीं, यह आवेदन पत्र जुडीशियल प्रोसीडिंग्स की पत्रावली का भाग है ।" मैं समझता हूं कि यह अधिकार माननीय मंत्री जी को नहीं था ।

श्री अध्यक्ष---स्पष्टीकरण आप चाहते हैं ? ठीक है ।

श्री बनारसी दास—इसमें तो जैसा कहा गया है कि जो नीलाम किया गया उसकी तरफ कुछ आपत्ति मिल मालिकों की तरफ की गयी थी और वह एक जुडीशियल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है। इसलिये यहां पर उसकी कापी नहीं रखी जा सकती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस आधार पर वह दस्तावेज सदन में रखने से इंकार करते हैं वह गलत है । कोई भी...

श्री अध्यक्ष—इस पर बहस आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई जवाब भी वह न देना चाहें तो उनको अधिकार है कि वह न दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आधार जो उन्होंने बतलाया आप उस पर ख्याल करें। जब तक वह पत्र नहीं रखा जाता इसमें आगे कुछ नहीं कहा जा सकता, यह नियम है । मेरी यह राय है कि उसे अवश्य यहां रखा जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जाइये। प्रश्नोत्तर के समय यह अधिकार मंत्री जी को है कि आप प्रश्न पूछें और वह उसका उत्तर बिल्कुल न दे, जब यहां तक उनको अधिकार है तो जो उत्तर उन्होंने दिया है वह सही है या गलत है या उनका जजमेंट गलत है इन बातों के ऊपर मैं कोई निर्णय नहीं दूंगा और न मुझे अख्तियार है। उनका कहना यह है कि जुडीशियल प्रोसीडिंग्स का भाग होने से वह नहीं दिया जा सकता है तो ऐसी हालत में कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है। जब कि उनको बिलकुल उत्तर न देने का अधिकार है तो उसके अन्तर्गत इस प्रकार का जवाब देने का अधिकार भी आ जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्रश्नों के बाद उठाया जा सकता है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—इस समय आप प्रश्न पूछ लें लेकिन इसके लिये आप बाद में उनसे उनके कमरे में पूछ लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न-संख्या ३४ का जो उत्तर दिया गया है वह किस कानून के मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानून की राय आप पूछना चाहते हैं या जजमेंट किस तरह से हुआ यह पूछना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो आप फिर से स्पष्ट प्रश्न पूछिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह उत्तर किस आधार पर दिया है कि इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि उत्तर मुनासिब है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कानून का सवाल है मैं लीगल रेमेम्बरेंसर से पूछकर बतलाऊंगा कि यह क्यों नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि यह डाकूमेंट हमारे पास नहीं है, अदालत के पास है और अदालत से दिया जा सकता है । जब हमारा डाकूमेंट हो तो माननीय सदस्य मांग सकते हैं लेकिन जो अदालत का डाकूमेंट है उसको यहां मांगना मैं नहीं समझता हूं कि कहां तक जा है ।

श्री गेंदा सिंह—जिस कागज का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है वह किस अदालत के पास था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिस अदालत से डिग्री हुई होगी उसके पास होगा। मुझे पता नहीं है कि किस अदालत में है। जितनी इत्तिला मेरे पास आई थी उसके मुताबिक मैंने उत्तर दिया है। अगर माननीय सदस्य इसके लिये नोटिस देंगे तो मैं बतला दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि आवेदन-पत्र जिलाधीश को दिया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलाधीश को अगर दिया गया होगा तो कोर्ट के नाते दिया होगा और जब उसकी कैपेसिटी और कोई होगी ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो नीलाम हुआ, जितने आइटम दिये गये हैं सभी पर हुआ या कोई खास पर हुआ ?

श्री बनारसी दास—जितने बकाया हैं सभी को क्लीयर करने के लिये दिया गया था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नीलाम की कार्यवाही किन अधिकारियों के हाथ में रही ?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है ।

श्री रामसुभग शर्मा (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दुबारा नीलाम कब तक हो जायगा ?

श्री बनारसी दास—आदेश जारी किये जा चुके हैं । फार्मेलिटीज में जो समय लगेगा वह लगेगा । बाकी नीलाम के आदेश तो जारी किये जा चुके हैं ।

मटेला फलोद्यान बनने से ग्रामवासियों को हानि

*३६—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि ग्राम मटेला, जिला अल्मोड़ा की जिस भूमि में सरकार ने फलोद्यान बनाया है उसमें पिछले ७०, ८० वर्षों से मटेला ग्राम के निवासियों का खलिहान तथा गोचर था ?

श्री बनारसी दास—जी हां ।

*३७—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि जिस समय जिलाधिकारियों ने उपर्युक्त भूमि में फलोद्यान बनाने का प्रयास किया उस समय मटेला गांव के निवासियों ने उनसे यह निवेदन किया था कि उनके गांव के करीब ४५० मवेशियों के लिये एक मात्र वही चरागाह है इसलिये उसमें उद्यान न लगाया जाय ?

श्री बनारसी दास—जी हां ।

*३८—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि मटेला गांव वालों ने उपर्युक्त भूमि को उद्यान के लिये देना केवल इस शर्त पर मंजूर किया कि जिलाधिकारी उनके मवेशियों के लिये सिटोली जंगल के कुछ हिस्से को बतौर चरागाह के दे देंगे ?

श्री बनारसी दास—भूमि गांव वालों की अपनी नहीं थी इसलिये उसको शर्त पर देने का प्रश्न ही नहीं उठता । हां, उनके इस प्रस्ताव पर कि सिटोली जंगल में उनके मवेशियों के लिये कुछ सुविधा प्रदान की जाय, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और यथासंभव वह दे भी दी गई ।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मटेला के जंगल में कितने एकड़ जमीन इसके लिये दी गयी ?

श्री बनारसी दास—८२ एकड़ ।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार को इस बात का पता है कि मटेला उद्यान के बनने की वजह से गांव वालों के सेटिलमेंट पावर्स रोक दिये गये हैं ?

श्री बनारसी दास—असल में जमीन का जहां तक सवाल है वह गांव वालों की थी ही नहीं, लेकिन वह तो सुविधा के तौर पर कुछ जंगल जो उपलब्ध था उसमें इजाजत दी गयी थी।

श्री गोवर्धन तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि सेटिलमेंट पावर्स रुक गये या नहीं ?

श्री बनारसी दास—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने कृपा की करेगी कि वह कब से इस बगीचे को फलोद्यान बनाने का प्रयास कर रही है ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये अभी कुछ समय से ही प्रयत्न शुरू किया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बाग में अभी तक कुछ फल होते भी है या नहीं ?

श्री बनारसी दास—अब इसमें कितनी सफलता वहां पर मिली है इसकी सूचना नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फलोद्यान के लिये जो खलिहान दिये गये हैं क्या वहां इससे अधिक अच्छी जमीन कोई उपलब्ध नहीं थी ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। यह जमीन तो असल में पहले ही वहां थी, क्योंकि वहां जल-कल अब लग गये हैं, इसलिये बाग और उद्यान बनाने की आवश्यकता थी।

जिला हमीरपुर में फाइलेरिया की बीमारी का प्रकोप

*३९—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा महोबा, जिला हमीरपुर में कुछ समय से फाइलेरिया की बीमारी का प्रकोप हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम के लिये क्या उपाय किया है ?

श्री फूलसिंह—जी हां। इसकी रोकथाम की योजना बनाई जा रही है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार को महोबे के फाइलेरिया के मरीजों की संख्या का पता है ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—वह संख्या कितनी है ?

श्री फूलसिंह—सन् ५२ में कुल केसेज की संख्या ९ थी, सन् ५३ में ३४, सन् ५४ में १३३ और सन् ५५ में फरवरी तक १७।

श्री तेजप्रताप सिंह—अभी माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि योजना बन रही है, तो योजना के अलावा कुछ प्रबन्ध भी इलाज का किया जा रहा है या नहीं ?

श्री फूलसिंह—जब वह योजना बन कर फाइनेंस डिपार्टमेंट से एप्रूव हो जायगी तब वहां यूनिट जायगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार ने इसकी तत्काल रोकथाम करने के लिये कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री फूलसिंह—यह तो स्पेशल डिजीज है, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा।

श्री जोरावर वर्मा—जो योजना बन रही है क्या माननीय मंत्री जी उसकी कुछ रूप-रेखा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसमें भी जैसे मलेरिया की यूनिट्स जाती हैं उसी प्रकार एक यूनिट जायगी और वहां उसकी नियक्ति होगी। जैसा कि अभी उपमंत्री जी ने बताया कि वह योजना फाइनेन्स डिपार्टमेंट में गयी है, ज्यों ही वह योजना मंजूर हो जायगी तब वह कार्य रूप में परिणत कर दी जायगी, जिसकी तहत में एक डाक्टर रहेगा और जो हेल्थ विजिटर्स वगैरह रहते हैं वे सब रखे जायंगे।

*४०---श्री मन्नीलाल गुरुदेव---[६ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

महिला उद्योग सदन, इलाहाबाद के सरकारी कर्ज़े की माफी

*४१---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ से लेकर सन् १९५४ तक उद्योग विभाग द्वारा कितने-कितने रुपये कर्ज़ की छूट दी गई?

श्री बनारसी दास---पांच हजार रुपये का एक ऋण महिला उद्योग सदन, इलाहाबाद को सन् १९४८-४९ में दिया गया था, जिसको सरकार ने सन् १९५२-५३ में क्षमा कर दिया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह ऋण किसलिये दिया गया था और क्यों इसको क्षमा कर दिया गया?

श्री बनारसी दास---चूंकि महिला सदन में कुछ शिल्पी कार्य सिखलाया जाता है और उत्पादन का कार्य भी किया जाता है और सरकार की नीति यह है कि ऐसी संस्थाओं को सहायता दे, इसलिये उनकी ओर से प्रार्थना-पत्र आने पर इस रुपये को सहायता के रूप में माफ कर दिया गया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या ऋण देने के पहले इस बात की भी सरकार कोई जांच करती है कि ऋण वसूल होने के काबिल है या नहीं?

श्री बनारसी दास---जी हां, जिस वक्त वह ऋण दिया जाता है तो सिक्योरिटी ली जाती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस मामले में सिक्योरिटी ली गयी थी या नहीं और अगर ली गयी थी तो फिर सिक्योरिटी से रुपया क्यों नहीं वसूल किया गया?

श्री बनारसी दास---मेरे पास इसकी पूरी सूचना तो नहीं है, लेकिन ऋण देने का यह नियम है कि ऋण देने में सिक्योरिटी ली जाती है। निश्चय ही इसमें भी ली गयी होगी, लेकिन उनका प्रार्थना-पत्र था कि महिला सदन आवश्यक सामाजिक कार्य कर रहा है इसलिये यह उचित समझा गया कि ऋण को माफ कर दिया जाय, क्योंकि सरकार को यह भी अधिकार है कि वह इस प्रकार की संस्थाओं को सहायता के रूप में रुपया दे। इसलिये यह माफ कर दिया गया।

उद्योग-धंधों के लिए सरकारी कर्ज़ व अनुदान

*४२---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन उद्योग-धंधों के लिये वह कर्जा और ग्रान्ट देती है?

श्री बनारसी दास---जिन कुटीर उद्योग-धंधों के लिये कुछ सरकार ऋण तथा अनुदान देती है, उसकी कोई निश्चित सूची नहीं है। संलग्न सूची में दिये गये उद्योग-धंधों के लिये अथवा उसी प्रकार के अन्य धन्धों के लिये सरकार ऋण तथा अनुदान देती है, यह सूची स्वतः पूर्ण नहीं है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५६ पर)

प्रदेश में नयी चीनी मिलें खोलने का विचार

*४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जिलाधीश ने केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के यहां इंदारा, जिला आजमगढ़ में चीनी मिल खोलने के लिये कोई पत्र सन् १९५४ के किसी महीने में लिखा है ?

श्री बनारसी दास— जी हां।

*४४—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसी दास—सरकार इस विषय में पूरे प्रदेश की पड़ताल (Survey) कराने का विचार कर रही है कि किन-किन स्थानों पर नई चीनी मिलें खोली जा सकती हैं। इस पड़ताल की रिपोर्ट मिलने पर सरकार यह तय करेगी कि कहां-कहां नई मिलें चालू की जा सकती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ ने किन आधारों पर चीनी मिल वहां पर खोलने की सिफारिश की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आधार तो यही होता है कि अमुक स्थान पर कितना गन्ना पैदा हो सकता है, वहां पर आने जाने के क्या साधन हैं और जो वहां पर गन्ना पहुंचाया जायगा वह किन साधनों से पहुंचाया जायगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए गन्ना मिलों के निर्माण करने का आधार सरकार के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि यह इन्दारा स्थान जिसकी सिफारिश जिलाधीश, आजमगढ़ ने की है यह स्थान बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ के केन्द्र स्थान पर पड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शायद ऐसा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार के यह प्रश्न विचाराधीन है कि चीनी मिलों के अलावा छोटे केन क्रशर भिन्न-भिन्न स्थानों में जिलों में खोले जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसमें कोई कम्पीटीशन का प्रश्न नहीं उठता, अगर कोई खोलना चाहे तो खोल सकता है लेकिन आजकल मौजूदा मिलों में जो चीनी तैयार होती है और जिस दाम में वह तैयार होती है वह केन क्रशर तैयार नहीं कर सकता है। अगर वह कम्पीट कर सकते हैं तो वह खोल सकते हैं, किन्तु जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि आजकल चीनी मिलों में जो चीनी तैयार होती है उसके मुकाबले में वह चीनी तैयार करके कम्पीट नहीं कर सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)— क्या सरकार को मालूम है कि पच्छिमी जिलों में चीनी मिलों की कमी है और वहां पर जो मौजूदा मिल हैं वह मई, जून तक चलेंगे। तो क्या चीनी मिलों के स्थापित करते समय सरकार पश्चिमी जिलों का ख्याल रखेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा कि अभी बतलाया गया कि सरकार इस बात की खोज कर रही है कि प्रदेश में किन किन स्थानों में शुगर मिल स्थापित किये जा सकते हैं और किन किन स्थानों से जहां वह आजकल स्थापित हैं हटाये जा सकते हैं। इस सिलसिले में २, ३ मिलों

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

के निश्चय की चर्चा चल रही है। सरकार ने अभी तक उनके बारे में कोई कतई निर्णय नहीं किया है, लेकिन सरकार का विचार है कि अगले महीने मिलों को शुगर केन कहां-कहां पर अधिक मिलता रहेगा, इस बात की जांच करने के लिये एक दर्शित नियुक्त करने का सरकार ने निर्णय किया है और उसी के सिपुर्द यह काम भी रहेगा। इसी के सुपुर्द सरकार यह काम भी करना चाहती है कि वह तमाम जांच इत्यादि करके यह बतलाये कि प्रदेश के किन-किन स्थानों में वह साधन मुहैया हैं जहां कि नयी शुगर मिलों की स्थापना की जा सकती है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि वर्तमान मिलों की कैपेसिटी को बढ़ाया जाय और जो पुरानी मिलें बन्द पड़ी हैं उनको चलाया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार इस बात के प्रयत्न में लगी हुई है कि जो मिलें आज चालू नहीं हैं उनको शीघ्रता से चलाया जाय और साथ ही इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जितनी उनकी कैपेसिटी है उसका वे पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकें। इसके लिये गन्ने के उत्पादन को इन्टेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों प्रकार से बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ऐसी कौन सी शुगर मिल्स हैं जिनके लिये सरकार विचार कर रही है कि उनको उनके स्थान से हटा कर दूसरे स्थानों पर ले जाया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दो-तीन मिलों ने ऐसी अर्जी दे रक्खी हैं। एक तो रजा शुगर मिल्स, रामपुर है, दूसरी खलीलाबाद में एक मिल है और तीसरी बहराइच में है। तीनों मिलों ने केन्द्रीय सरकार के पास अर्जी दी थी, उनका इरादा इन मिलों को प्रदेश से बाहर ले जाने का था। कहने-सुनने के बाद बहराइच मिल ने अपने इरादे को बदल दिया है। रजा शुगर मिल मेरठ जिले में एक स्थान बड़ौद है वहां जाने का विचार कर रही है। जहां तक खलीलाबाद मिल का सम्बन्ध है वे रिलीफ रिहेबीलिटेशन डिपार्टमेंट में कोशिश कर रहे हैं। यह मिल हस्तिनापुर जाने का विचार रखती है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जो मिलें हटायी जा रही हैं उनके हटाये जाने से वहां के लोगों में बहुत असन्तोष है?

श्री बनारसी दास---यह सही है लेकिन जब उनको वहां गन्ना नहीं मिलता है तो क्या किया जाय? जब मिलों को वहां पर चलने के साधन नहीं मिल पाते हैं तभी उनको हटाये जाने का प्रश्न पैदा होता है।

श्री अब्दुल मोईज खां (जिला बस्ती)--- क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद में इस साल मिल को पूरा गन्ना मिला है लेकिन फिर भी उस मिल को हटाये जाने की बात हो रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है उसकी नीति इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वह यह है कि जो मिलें जहां पर स्थित हैं उनको वहीं अधिक गन्ना पैदा कराके रक्खा जाय, लेकिन अगर गन्ना नहीं मिलता है तब तो मिल के वहां से हटने का प्रश्न पैदा हो ही सकता है। माननीय सदस्य ने सदन के सामने जो ध्यान आकर्षित किया है उसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि यह सत्य है कि इस वर्ष सारे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन अधिक हुआ है, इसके अलावा कीमत की कमी के कारण गुड़ भी अधिक मात्रा में नहीं बना। इसलिये जिन मिलों को

पिछले वर्ष गन्ना कम मिला था उनको भी अधिक गन्ना मिला है। लेकिन हर वर्ष ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तराई के प्रदेश में बहुत गन्ना पैदा होता है, लेकिन वहां से किच्छा शुगर मिल हटाई जा रही है तो क्या उसके स्थान पर उन मिलों में से किसी को लगाने की कृपा करेंगी जो कि दूसरे स्थानों से हटाई जा रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमारी इच्छा तो उसके हटाये जाने की नहीं है। हम यह भी चाहते हैं कि नवाबगंज में जो एक मिल खाली पड़ी है उसको वहां पर स्थापित किया जाय और मिल मालिकों को वहां पर सुविधा प्रदान करने का निर्णय कर लिया गया है, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से वे मिल नहीं ले जा सके हैं। बाजपुर और रुद्रपुर में भी हमारा इरादा शुगर मिल लगाने का है। लेकिन अभी सरकार अपने उस प्रयास में सफल नहीं हो सकी है। सरकार का यह प्रयास अभी जारी है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार को यह मालूम है कि फर्रुखाबाद में गन्ना काफी तादाद में पैदा होता है, वहां पर भी मिल लगाये जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसका तो उत्तर दिया जा चुका है कि हम इस तमाम विषय की खोज करना चाहते हैं और प्रदेश में इसके लिये कहां-कहां साधन उपलब्ध हैं इसकी जांच करना चाहते हैं, और अगर कहीं शुगर मिल्स स्थापित की जायं तो कहां-कहां उनको बराबर गन्ना मिलता रहेगा।

करघा प्रोडेक्शन कोआपरेटिव सोसाइटियों को रिबेट, ग्रान्ट व कर्ज देने के नियम

*४५---श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)---क्या सरकार सन १९५३-५४ ई० में उत्तर प्रदेश की करघा प्रोडेक्शन कोआपरेटिव सोसाइटियों में से (जो लगभग ७० हैं) जिन-जिन सोसाइटियों को जितना-जितना रिबेट ग्रान्ट अथवा कर्ज सहायता के रूप में दिया गया है उसकी एक तफसीली लिस्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास---चाही हुई तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २५७-२६० पर)

*४६---श्री बशीर अहमद हकीम---उपर्युक्त सोसाइटियों को उपर्युक्त सहायता जिन नियमों के अनुसार दी जाती है क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास---नियमों की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २६१-२७७ पर)

*४७---श्री बशीर अहमद हकीम---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वर्ष की बीती द्वःमाही में उपर्युक्त सहायता के रूप में कितना धन दिया जा चुका है और मार्च, सन् १९५५ तक कितना देने का विचार है ?

श्री बनारसी दास---चालू वर्ष की प्रथम छमाही में यू० पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन के द्वारा सरकार ने सहकारी समितियों को वितरण करने के लिये ११,३९,४८३ रुपया ऋण और अनुदान के रूप में दिया। मार्च १९५५ तक १३,०८,२७२ रुपया और देने का विचार है।

श्री बशीर अहमद हकीम---यह जो रुपया ११ लाख ३९ हजार दिया गया है वह अब तक उन सोसाइटियों को नहीं दिया गया और वह उसी के पास मौजूद है, क्या सरकार इसको जानती है ?

श्री बनारसी दास---जो तालिका आपको दी गयी है, उसमें आप देख सकते हैं।

ह्यूमन लाइफ सेविंग सोसाइटी, इलाहाबाद द्वारा फ्लड कन्ट्रोल स्कीम

*४८---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या ह्यूमन लाइफ सेविंग सोसाइटी, इलाहाबाद ने सरकार की मांग पर कोई फ्लड कंट्रोल स्कीम सरकार के पास भेजी है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक योजना स्वयं भेजी थी मगर पूरी सूचना न होने के कारण कुछ अधिक बातें पूंछी थीं जो अब तक नहीं भेजी गई हैं, योजना की प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २७८-२८० पर)

*४९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने उक्त स्कीम को लागू करने के विषय में क्या निश्चय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह विषय विचाराधीन है।

*५०---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---[२० अप्रैल, १९५५ को लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में श्रमदान कार्य

१---श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला में सबसे अधिक काम श्रमदान द्वारा कहां हुआ और कौन सा काम हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पिछले श्रमदान सप्ताह में देवरिया जिले में सबसे अधिक काम रामपुर बुजुर्ग गांव सभा में हुआ। यहां पर २ मील लम्बी सड़क बनाई गयी। जिस पर ५,६९,६०० घन फिट मिट्टी का कार्य ५,६९६ रुपये मूल्य का हुआ है।

२---श्री शिववचन राव---क्या सरकार श्रमदान द्वारा बनाई गई देवरिया जिला की सबसे बड़ी सड़क को पक्का बनाने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह प्रश्न जिला नियोजन समिति के विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा पडरौना चीनी मिल के सम्बन्ध में अपने प्रश्न का उत्तर न मिलने की शिकायत

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से ६ महीने पहले पडरौना चीनी मिल की चीनी की बिक्री के बारे में मैंने एक प्रश्न आपके द्वारा सरकार के पास भेजा था और उस पर सरकार ने पिछले सदन की बैठक में यह कहा था कि अभी उसका इनफार्मेशन इकट्ठा किया जा रहा है और उसके आ जाने के बाद मैं उनसे इस सदन में निवेदन कर दूंगा। फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी मैंने लिखा तो आपने उसको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास भेज दिया कि इस प्रश्न का जवाब दिया जाय। चूंकि मैंने सुना है कि ३१ मार्च के बाद यह सत्र खतम होने जा रहा है, तो अगले दिन तक जब कि नियोजन मंत्री का दिन होगा, उत्तर नहीं आ सका तो फिर इस बैठक में भी वह नहीं आ सकेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि नियोजन मंत्री के अगले दिन उस प्रश्न को जरूर ले लिया जाय।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने अभी यहां उठाया है उसकी पूरी जानकारी इस समय तो मुझे नहीं है लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि मैं इस विषय की जानकारी पूरी तरह से शीघ्र ही उनके बारे में प्राप्त करके दो-चार रोज में उन्हें जरूर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---अभी मुझे इस प्रश्न के बारे में मालूम हुआ कि हमारे दफ्तर में माननीय उद्योग मंत्री जी की तरफ से उत्तर आ चुका है। अब उन्होंने मालूमात हासिल कर ली है। तो जिस रोज मैं नियुक्त करूं उस रोज वे जवाब देंगे। तो मैं दिन नियुक्त करके अगले किसी दिन उनको मौका दे दूंगा।

प्राक्कलन समिति का सप्तम (कृषि विभाग सम्बन्धी) प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सप्तम प्रतिवेदन* जो कृषि विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करने की पद्धति

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, यह प्राक्कलन समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत हो रहा है और इसके पहले इसी प्रकार के ६ प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किये जा चके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की है क्योंकि प्रथम प्रतिवेदन को प्रस्तुत हुए करीब सवा साल हो गया और चूंकि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं इसलिये सदन को यह जानने का अधिकार है कि उन प्रतिवेदनों के आधार पर क्या कार्यवाही हुई है। मैं समझता हूं कि इसकी कोई पद्धति निर्धारित होनी चाहिये और इसके लिये क्या व्यवस्था हो वह आप सदन को और सरकार को बताने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, पद्धति आदि के संबंध में तो आप जो व्यवस्था देंगे वह तो मान्य होगी ही, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि जो रिपोर्टें आई हैं, उन सब पर प्रायः कार्यवाही हुई है। जिस विभाग से उनका संबंध था वह रिपोर्टें उन विभागों के पास भेजी गईं और विभागों से पूछा गया है कि उनको क्या कहना है और विभागों

*कार्यवाही में छापा नहीं गया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

की ओर से भी जो कुछ वक्तव्य थे वह भी आ गये हैं। सरकार ने स्वयं उन सब रिपोर्ट्स पर विशेष रूप से गौर नहीं किया है यह बात ठीक है। अब उसके आगे क्या व्यवस्था होगी और क्या पद्धति सदन में रहेगी, उसके लिये जो पद्धति आप निर्धारित करेंगे उस का अनुसरण किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---इस संबंध में जो प्रक्रिया नियमावली का नियम १६५ है और जो प्रथा है, उसके अनुसार जो रिपोर्ट्स इस समिति की यहां सदन में प्रस्तुत हों उनके ऊपर जब सरकार विचार कर ले कि क्या कार्यवाही होना चाहिये तब उसकी सूचना सरकार को सदन में देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जिन विभागों से संबंध रखने वाली ये रिपोर्टें हैं, उन विभागों ने अगर विचार कर लिया हो तो सरकार उन पर अपने निर्णय लेने के बाद उसको सदन के सामने ला सकती है। वही तरीका रहेगा और माननीय मुख्य मंत्री जी इन रिपोर्टों पर विचार करके नियम और प्रथा के अनुसार जब सुझाओं पर निर्णय ले लें तो शीघ्र उसको सदन में उपस्थित करने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब मैंने एक बार पावर एस्टीमेट कमेटी के संबंध में जिक्र किया था तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमने उत्तर एस्टीमेट्स कमेटी के पास भेज दिया है और मैं समझता हूं कि नियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह चीज जो पावर एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में है वह तो.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उस वक्त उन्होंने क्या कहा और क्या जवाब आपने या उन्होंने दिया, उस विषय पर मेरे दफ्तर में बातचीत हो सकती है। यहां पर आप यदि अचानक प्रश्न उपस्थित करेंगे तो अचानक उनका जवाब नहीं दिया जा सकता।

१९५५--५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियां

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अनुदान संख्या १६ और ३५ को एक साथ ही पेश कर दूं?

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, उस रोज कहा गया था कि इन दोनों के लिये समय फिर निर्धारित होगा। हम चाहते हैं कि जेल वाली ग्रांट के लिये अधिक समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---आप अलग-अलग उपस्थित करें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १,३०,७१,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। समय थोड़ा है इसलिये मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता केवल उन एक दो बातों का जिक्र कर दूंगा जो कि हम इस साल करना चाहते हैं।

एक तो माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि इसमें वीमेन प्रोबेशन आफिसर के लिये गुंजाइश रखी गई है। उसका कारण है कि हमने औरतों को प्रदेश में सब जगह से ले जाकर के एक जेल में रखा है और वहां उनकी शिक्षा दीक्षा का भी प्रबन्ध हुआ है। लेकिन एक बड़ी भारी शिकायत थी कि बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनकी उम्र कम होती है, और जेल से छूटने के बाद बाहर भी ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जिनके हाथों में उनको चला जाना पड़ता है और वह बिक जाती हैं, और उनकी जिन्दगी खराब हो जाती है। इसके अतिरिक्त पुरुष तो घर चले जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि औरतों के छूटने के बाद उनके घर वाले उनको ले नहीं जाना चाहते।

ऐसी दशा में उनके लिये परेशानी होती है। तो हमने स्त्री प्रोबेशन आफिसर औरतों के लिये रखा है ताकि ऐसी औरतों को उनके अधिकार में रखा जाय और वह उनकी व्यवस्था कर सकें।

दूसरी चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है प्रोबेशन आफिसर्स की। वह थोड़े से होते हैं और वे प्रायः शहरों में ही रहते हैं। देहातों में जो लोग ऐसे हैं जिनको प्रोबेशन पर छूटना चाहिये, लेकिन चूंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उनको इसका फायदा नहीं हो पाता, और इसके लिये अगर प्रोबेशन्स आफिसर्स रखे जायं तो बहुत से रखे जायं और उसके लिये बहुत रुपयों की आवश्यकता होगी। इसलिये हम इस साल एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। पहले हम एक एक कमिश्नरी में एक एक जिले को ले रहे हैं, और वहां देहातों में देखेंगे कि यदि कोई प्रतिष्ठित आदमी और जिम्मेदार आदमी ऐसा मिल जाय जो आनरेरीली इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो कि जो लोग छोड़े जायं उनकी देखरेख करें तो हम उनको आनरेरी प्रोबेशन आफिसर्स बना देंगे। हमें आश्वासन दिलाया गया है कि ऐसे लोग तैयार हो जायेंगे जो पब्लिक स्पिरिट की दृष्टि से इस कार्य को अपने ऊपर ले लें। तो अगले साल हम ऐसा प्रयोग करने वाले हैं ताकि देहातों में भी जिनको प्रोबेशन पर छूटने का अवसर मिलना चाहिये उनको वह अवसर मिल सके।

तीसरी चीज जो है वह बहुत छोटी सी है। सेनिटरी लेट्रिन्स का जिक्र किया गया है। उसके पीछे चीज यह है कि पिछले साल गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक कमेटी बैठी थी और हम लोग भी जो जेलों में रहे हैं उनको अनुभव होगा कि जेल में बहुत से भंगी रहते हैं और उनसे लैट्रिन्स का काम लिया जाता है और यह भी शिकायत की जाती है कि बाहर से भी बन्दी बनाकर लाये जाते हैं सिर्फ इसलिये कि लैट्रिन साफ करने वाले वहाँ नहीं होते। और यह भी कहा जाता है ऐसे लोग भी जिनका पेशा लैट्रिन्स साफ करने का नहीं होता उनसे दबाव से काम लिया जाता है। तो अब यह किया जा रहा है कि यदि जेलों में सैनिटरी लैट्रिन्स हो जायं तो यह शिकायत दूर हो जाय और इस साल हम उसको पहले पहल शुरू कर रहे हैं और कुछ जेलों में यह चीज होने जा रही है। यह बात बहुत छोटी सी मालूम होती है लेकिन यह बहुत आवश्यक प्रयोग है और यदि सफल हो जायगा तो यह शिकायत दूर हो जायगी।

मैं इसके अतिरिक्त अब किसी व्योरे की बात इस समय इस सदन के सामने नहीं लाना चाहता। मुझे आशा है कि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार हो जायगा।

श्री जगन्नाथमल्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, जहां तक जेल का प्रश्न है इस सदन में मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्यों का इससे संबंध रहा है चाहे उस तरफ के बैठने वाले हों और चाहे इस तरफ के बैठने वाले। जो भी गांधी जी की पुरानी कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं उनका सबका इस जेल से संबंध रहा है और काफी अर्से तक लोगों ने जेल जीवन बिताया है और जेलों में क्या खामियां होती हैं, वहां क्या तिकड़में होती हैं उससे सभी लोग परिचित हैं। श्रीमन्, मैं बताऊं कि मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं इसके लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि अगर हमें कहीं थोड़ी तरक्की दिखती है तो इस जेल में ही दिखती है क्योंकि उधर के लोगों को तो शायद जेल जाने का अब मौका नहीं मिला है, लेकिन इस सरकार की असीम अनुकम्पा से मुझे साल में एक दफा वहां पहुंच जाना पड़ता है तो मुझको उन्हें फिर से देखने का मौका मिल जाया करता है। जेलों में काफी सुधार हुआ है इसमें कोई शुबहा नहीं, लेकिन सरकार ने जो इस किस्म की व्यवस्था की है कि कैदियों को बाहर रख कर उनसे देश में जो तरक्की के काम हो रहे हैं उनमें उनसे काम लिया जाय यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था की बात है और यह एक बहुत अच्छा नमूना देश के सामने उपस्थित किया गया है और जब मैंने रिपोर्ट देखी तो उसको देखने से पता लगा कि जितने दिन उस काम के लिये निर्धारित किये गये थे कैदियों ने उससे पहले

[श्री जगन्नाथमल्ल]

ही उस काम को खत्म कर दिया। यह जो चीज चल रही है वह बहुत सुन्दर है और मैं तो चाहता हूं कि इस किस्म के कैम्प ज्यादा से ज्यादा खोल कर आज जो देश में निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उनमें कैदियों को लगाया जावे।

दूसरी चीज जो मुझे देखने को मिली वह यह कि आप उद्योग में भी कुछ तरक्की करने जा रहे हैं, जैसे कुछ जेलों में साबुन और फिनेल आदि बनाने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ मधु मक्खी-पालन की व्यवस्था की जा रही है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि इतना ही नहीं और भी उद्योगों को बढ़ाया जाय और साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें जो ये दो आदमी डायरेक्टर आफ जेल इंडस्ट्रीज और डिप्टी डायरेक्टर आफ जेल इंडस्ट्रीज रक्खे गये हैं जिनके लिये सरकार ९ हजार रुपया खर्च करेगी ये बिल्कुल बेकार हैं। इसके लिये सरकार को यह चाहिये था कि जो उद्योग विभाग के डायरेक्टर हैं उन्हीं से काम लेती। इस तरह से ९ हजार रुपये सरकार के बचते और इसके लिये कोई अलग डायरेक्टर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं बजट को देखने से मालूम होता है कि जेलों के लिये १३ लाख ८१ हजार रुपये का कच्चा माल खरीदा जाता है, लेकिन जो सामान बन कर तैयार होता है वह महज १० लाख १० हजार का होता है। इसके अलावा जो जेल डिपो खुला हुआ है जहां जेल की बनी चीजों की बिक्री होती है उस पर भी १० हजार रुपया खर्च होता है। मैं समझता हूं कि जेल डिपो को तोड़ देना चाहिये और तोड़ कर इसको हैंडीक्राफ्ट की दूकान के साथ रख देना चाहिये, जिससे १० हजार की बचत हो सकती है। कोई जरूरत नहीं है कि अमीनाबाद में यू० पी० हैंडीक्राफ्ट की दूकान भी हो और जेल डीपो भी हो। अलग-अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कितना झूठ मूठ का खर्चा होता है दोनों काम एक जगह से लिये जा सकते हैं।

इसके अलावा वहां कैदियों की पढ़ाई लिखाई के लिये सरकार ने अध्यापकों की तनख्वाह को बढ़ाया है इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। एक चीज और है और वह यह कि जेलों में अब भी चक्की की व्यवस्था चलती है। मैं समझता हूं कि इतनी मैन पावर खाली चक्की पीसने में लगाकर उसको बरबाद करना होगा। दो बिजली की चक्कियां वहां लगाई जा सकती हैं क्योंकि अब जेलों में बिजली भी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बिजली की चक्कियों की वहां अगर व्यवस्था कर दी जाती तो अच्छा होता और उनको दूसरे उद्योगों में लगाया जाता। इसके साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि सरकार ने कुछ खादी भी कैदियों के लिये खरीदी है। मैं तो यह कहूंगा कि खादी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जेलों में जितने कपड़े की जरूरत है वह वहीं तैयार कराया जाय। जितने कैदी वहां जाते हैं उनसे ही चर्खा कतवाया जाय और कर्घे तो वहां लगे ही हैं और इतना सूत तैयार करा दें ताकि बाहर से सूत लाने की जरूरत पड़े, न कपड़ा लेने की जरूरत पड़े और आपके जेल कपड़े की मांग में अपने ऊपर निर्भर रह सकें।

फिर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वहां अच्छे-अच्छे फ्लश सिस्टम के पाखाने बनाये जा रहे हैं यह बहुत अच्छा काम है। हम लोग जब वहां रहते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, इसको सभी लोग भुगत चुके हैं कि किस तरह की परेशानी होती थी? करीब-करीब सभी लोग जेल गये होंगे और सब उस परेशानी से परिचित होंगे।

एक चीज जरूर कहूंगा और वह यह कि जिस वक्त से हम आजादी की लड़ाई लड़ते आये हैं तब से हमारी बराबर यह मांग रही है कि जितने भी पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी अलग श्रेणी होनी चाहिये। जिस वक्त सभी लोग जेलखाने जाते थे, उधर के बैठने वाले भी जाते थे और माननीय मुख्य मंत्री भी गये थे, तो उन सब की एक स्वर से मांग थी कि एक राजनैतिक श्रेणी होनी चाहिये। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत ने आते ही वह मांग जो आप अपनी सुविधा के लिये मांगते थे दूसरों को सुविधा देने के विचार से उसको नहीं माना। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें और कम से कम जो लोग पोलिटिकल मामलों में जेल

भेजे जाते हैं उनके लिये एक अलग श्रेणी रखें, क्योंकि उनके साथ क्रिमिनल्स की तरह से व्यवहार करना उचित नहीं है क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये जेल नहीं जाते हैं बल्कि एक सिद्धांत के लिये जेल जाते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और इस बात की वह व्यवस्था करें कि जिससे जेल के अंदर एक राजनैतिक श्रेणी भी बने ।

फिर मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं । जेल के अधिकारियों में जो गड़बड़ियां हैं और जिनको हम लोग जानते हैं उनको भी हमें ठीक करना चाहिये । वहां पर जो बगीचे होते हैं और उनमें जो तरकारियां बोई जाती हैं तो उसमें जितनी बढ़िया तरकारी होती है वह आज भी जो बड़े बड़े अधिकारी जेल के होते हैं उन्हीं को खाने को मिलती है और जो मामूली कैदी होते हैं उनको वैसा ही खाना मिलता है जैसा कि हमको पहिले मिलता था । छांटी से कटा हुआ साग ही उनको खाने को दिया जाता है । मैं यह नहीं कहता कि वह तरकारी उन अधिकारियों को खाने को न दी जाय, लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये और इस ओर ध्यान जाना चाहिये ताकि उनको भी अच्छी से अच्छी तरकारियां खाने को मिल सकें ।

दूसरी चीज यह है कि यह जो जेल के अधिकारी चोरियां किया करते हैं उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस प्रकार का व्यवहार अब भी जारी है कि जेल के आदमी कैदियों के राशन से सामान लेकर खुद खाते हैं और बेचते हैं और कैदियों को कम राशन अब भी दिया जाता है । तो इस बात की तरफ काफी ध्यान दिया जाना चाहिये और इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि उनको राशन कम न दिया जाय । क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि सब कैदी तो नहीं लेकिन ज्यादातर कैदियों का काम ६ छंटाक में भी नहीं चलता, तो फिर उनके हिस्से में से कुछ राशन काट लिया जाय यह बहुत नामुनासिब है । इस बात पर भी, मुझे आशा है माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मैंने सुझाव दिये हैं उन पर सरकार ध्यान देगी, और अंत में फिर मैं यह निवेदन करूंगा कि राजनैतिक श्रेणी खोलने की जो बात है उसके ऊपर सरकार ध्यान देकर उसे खोलने की कृपा करे ।

* श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद बहुत कम मौकों में से एक आज मौका है जब विरोधी दल की ओर से हमारे किसी मंत्री को बधाई दी गई है किसी विभाग की सफलता के लिये और मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)---हर तरफ से मुसीबत है !

श्री रामस्वरूप गुप्त---और जैसा कि अभी कहा जा रहा है, रुख तो यही होना चाहिये कि अगर अच्छी बात है तो उसके लिये प्रशंसा के शब्द कहे जायं और आलोचना के शब्द कहे जायं । तो सुझावात्मक कहे जायं । हमारे पूर्व वक्ता ने कुछ ध्यान इस दूसरी बात का रखा है और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उनमें से बहुत से ध्यान देने योग्य हैं । जेलों के मुख्य उद्देश्य दो हो सकते हैं और वह यह कि प्रायः अगर लोग जुर्म करते हैं और सजा पाने जेल जाते हैं तो उसके दो कारण होते हैं या तो आर्थिक कारण, उनकी गरीबी, जो उनको अपराध करने के लिये मजबूर करती है, अथवा उनकी नैतिक त्रुटियां, नैतिक दोष, जिनके कारण वह अपराध करते हैं । यदि सजा के जमाने में जेल जीवन में हम इन दो त्रुटियों को दूर करने की ओर ध्यान दें तो मेरा ख्याल यह है कि आज जो जेलों के सम्बन्ध में हम एक उदार भावना रखने लगे हैं और जिस दृष्टि से हम विचार करने लगे हैं, सफल हो सकेंगे । पहले जितनी भी सजायें थीं, चाहे वह चक्की हो या और कुछ हो, सब केवल सजा देने की दृष्टि से वे काम थे । आज उनके स्थान पर जो भी उद्योग-धंधे हम सोचते हैं वे उनके भविष्य के जीवन के लिये सहायक और उपयोगी होने के लिये हमको सोचने चाहिये, और मुझे इस बात की खुशी है कि जेल विभाग की ओर से एक कमेटी इस पर बैठी है कि जो इसकी जांच

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

करके अपना निर्णय देगी कि कौन कौन से उद्योग-धंधे जेलों में चालू किये जा सकते हैं ? एक सिद्धान्त के रूप में केवल दो बातें मैं यहां पेश करता हूं और वे ये हैं कि जो भी उद्योग धंधे जेलों में चलाये जायं वे इस प्रकार के हों कि जो छूटने के बाद भी अपने घर और गांव में वे चला सकें, तभी उनका सीखना या अभ्यास करना जेल जीवन में उनके लिये उपयोगी हो सकता है । और दूसरा दृष्टिकोण जो मैं रखना चाहता हूं वह यह कि आज जीवन को स्वावलम्बी बनाने का, गांवों को स्वावलम्बी बनाने का एक दृष्टिकोण हमें प्राप्त हुआ है और उस दृष्टिकोण को जेल जीवन में ढालना यदि हम आरम्भ करें तो आगे भी कैदियों के छूटने पर उनके गांव का और घर का पालन हो सकता है । हमारे पूर्व वक्ता ने ठीक कहा कि जहां खादी खरीदना एक अच्छा काम किया है सरकार ने, वहां प्रयत्न तो यह होना चाहिये कि कपड़े के बारे में जेल स्वावलम्बी हो जायं, खरीदने की जरूरत ही न पड़े और सचमुच खादी के बारे में जेलें स्वावलम्बी हो सकती हैं । मुझे एक लेख का स्मरण आता है, जो महात्मा गांधी जी ने जेलों के बारे में लिखा था, और यही लिखा था, कि जेलें तो खादी के केन्द्र बनाई जा सकती हैं, सारे साधन शुरू से लेकर आखीर तक मौजूद हैं । कपास पैदा की जा सकती है, सूत काता जा सकता है, बुना जा सकता है, रंगा जा सकता है, सारे काम वहीं हो सकते हैं ।

अभी जो इस वर्ष की रिपोर्ट छपी है उसमें मैं पढ़ रहा था कि लखनऊ की जेल में मोडल प्रिजन में नारी निकेतन नाम का एक स्थान खोला गया है, कानपुर की जेल में स्त्रियों के लिये एक अलग स्थान बनाया गया है । लेकिन उसमें यह नहीं लिखा है कि इस नारी निकेतन में या वा जो अलग स्थान स्त्रियों के लिये जेलों में बनाये गये हैं वहां कताई का काम भी आरम्भ किया गया और यह प्रेरणा दी गई कि सूत जेलों में तैयार हो जाय और कपड़ा भी वहीं बुना जाय । इस प्रकार के दूसरे बहुत से उद्योगधंधे हो सकते हैं कि जो जेलों में प्रचलित हो सकते हैं और किसी तरह से यह बात ठीक है कि उसके लिये हमको अलग से जेल के सुपरिन्टेंडेंट आफ इंडस्ट्रीज और असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट आफ इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं है । जब हमारा लक्ष्य यह है कि जेलों को हम लगभग स्वावलम्बी बनावें और उद्योग प्रधान बनावें, भविष्य जीवन के लिये कुछ जीविका निर्वाह के तरीके हम सिखावें तो हमारे इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स जो हैं, वही इस किस्म के आदमी होने चाहिये, जिनका दृष्टिकोण औद्योगिक हो और इस उद्योग से सम्बन्धित कामों के लिये एक अलग से छोटा सा विभाग कायम करके उसमें दूसरे छोटे-छोटे अधिकारी हम नियुक्त कर दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं । विस्तार से हमें इस पर विचार करना होगा । मैं आशा करता हूं कि जेल कमेटी जो बैठी हुई है वह इस पर विचार करेगी । जिन जिलों में बिजली जारी हो उन जिलों की जेलों को चलाने के लिए दूसरे प्रकार के उद्योग हो सकते हैं । जिन जिलों में जिस किस्म की पैदावार हो उसके लिये दूसरे प्रकार के उद्योग हो सकते हैं । ऐसे सूक्ष्म रूप से हमें ब्योरे की बातों पर विचार करना पड़ेगा । जैसा कि सिद्धान्त के रूप में मैं आपसे आवेदन कर चुका हूं, दो सिद्धान्तों को लक्ष्य में रख कर हमें विचार करना होगा । दरी बिनने का काम और साबुन बनाने का काम उल्लेख किये गये हैं । टिन की बाल्टियां बनाने का और उनको गैलवेनाइज करने का काम, ये काम जेलों में हो सकते हैं । आज हमारे देश में लकड़ी का अभाव है । उसकी जगह बेंत से काम लेकर उससे फर्नीचर बना सकते हैं और बहुत सा काम बेंत और बांस से लिया जा सकता है और देहातों में वह काम दिखाया जा सकता है ।

समय थोड़ा है, यद्यपि मैं इसको विस्तार से कहना चाहता था क्योंकि उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में एक प्रकार का अध्ययन कर रहा हूं । लेकिन इस बात को कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि हमारी कमेटी में भी इस पर ध्यान दिया गया है कि जेल डिपो को अलग से रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । हैंडीक्राफ्ट के साथ उसको

मिलाया जा सकता है। उतने रुपये की बचत हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात कोई बिल्कुल नयी बात नहीं है। आज से १० या १५ वर्ष पहले भी यह बात उठायी गयी थी। इस पर कुल अंकों से मालूम होगा कि करीब ६७ हजार रुपया बिक्री का है, जब कि पूर्व वक्ता ने बताया कि १०,००० का खर्च है। खर्च अधिक है। अगर कम भी हो तो जब हैंडीक्राफ्ट से काम चल सकता है तो आप उसके लिये अलग सेक्शन भले ही कर दें, लेकिन अलग जेल डिपो रखने की जरूरत नहीं है।

मैं जो स्वावलम्बन की बात कह रहा था, उस सम्बन्ध में एक बात और कह दूं कि जेलों में कैदियों को कम्बलों की दिक्कत होती है। कम्बल ऊन का ऐसा उद्योग है कि हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े सभी जिलों में यह फैला हुआ है। बुन्देलखंड प्रधान हिस्सा है। यह बहुत सहज काम है और जेलों में बड़ी आसानी से चल सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि जेलों को बाहर से खादी खरीदनी पड़े या कम्बल खरीदने पड़ें।

*श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल विभाग के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि जितना सराहनीय कार्य इस ओर हुआ, जहां तक जेल में गये हुए कैदियों के बारे में बात है, उन्हें दो प्रकार की सजाएं होती हैं और उनको दो रीतियों से सुधारने की बात अभी तक रही है। एक तो उनको डिटरेंट सजा दी जाती थी, जिससे वह सजा के बोझ से इतने दब जायं कि आइंदा जुर्म न करें, और दूसरे किस्म का सुधार रिफॉर्मेटिव था। डेटेरेंट किस्म की सजा देने की बात जो थी वह अब समाप्त हो गयी है। प्रगति के युग में, बढ़ते हुए आज के उन्नतिशील समाज में उस किस्म की बात कहना, सजा की बात कहना, एक दकियानूसी बात, पिछड़ी हुई और आउट ऑफ डेट बात हो गयी है। अब तो सुधार की बात है और इस सुधार के युग में इसी के ऊपर प्रोबेशन आफिसर्स नियुक्त करके कैदियों की मनोवृत्ति को बदलना, उनके जीवन में सुधार लाना ताकि वे जेल से छूटने के बाद एक सुन्दर नागरिक देश के लिए बन सकें और वे गन्दा और काला धब्बा समाज में न हों, जो वह काला धब्बा बनकर जेल में बुरा नाम लेकर गया था। उसके लिये श्री गुप्त जी ने सुझाव रखे हैं और श्री मल्ल जी ने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो विचारणीय हैं। यह तो मैं पहले कह चुका हूं कि जितनी प्रगति और जितना सुन्दर कार्य जेलों को सुधारने के लिये हमारी सरकार ने किया है शायद उसके पूर्व कहीं भी नहीं हुआ होगा, वह एक बहुत ही श्लाघनीय कार्य है। लेकिन फिर भी जब हम बेरोजगारी को मिटाने के लिये एक नये वातावरण में आगे बढ़ रहे हैं तो इस दृष्टिकोण से हमें जेलों को देखना होगा।

अभी छोटे-छोटे उद्योग धंधों की बात चल रही थी। यदि जेलों को छोटे छोटे उद्योग धंधों में मिलों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तो कितना सुन्दर होगा! अभी अभी एक नया चर्खा 'अम्बर चर्खा' चालू हुआ है, जिसका नया निर्माण हुआ है और उसका मूल्य १५०-२०० रुपये होगा और उसको जो व्यक्ति इस्तेमाल करेगा वह दिन भर में डेढ़ दो रुपये की मजदूरी कर सकेगा। इससे स्पिनिंग मिल्स की जरूरत बहुत कम हो जायगी और गांव गांव में यह छोटे छोटे स्पिनिंग मिल्स ही हो जायंगे। अगर 'अम्बर चर्खा' जो अभी ईजाद हुआ है, चालू हो जाता है और इसको अगर हम अपने यहां की जेलों में लगा देते हैं तो सूत वहीं मिलने लगेगा और बिनने के लिये तो आज भी चादर बिनी जाती हैं और अगर हर जेल में इस कार्य को शुरू कर दिया जायगा तो यह निश्चित है कि जेल से बाहर निकलने के बाद जो व्यक्ति जेल से छूटेगा, उसके लिये यह इतना अच्छा उद्योग-धंधा होगा कि वह फिर बुरे रास्ते पर नहीं जायगा, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर ही चलेगा जिसको कि वह जेल के अन्दर से सीख कर आया है, और उसके द्वारा अपनी जिन्दगी को अच्छे रास्ते पर चलायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण कल्याणपुर का रखना चाहता हूं। वहां एक सेटिलमेंट था जो एक छोटी फैक्टरी के रूप में बढ़ गया था। वह क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये ही बनाया गया था और वहां पर पुलिस की वर्दी सिली जाती थी और मुख्तलिफ तरीके के कपड़े बनाये जाते थे। मैं यह चाहता हूं कि इसका उदाहरण लेकर हर एक जेल को एक आदर्श कारखाना या ट्रेनिंग सेंटर कर दें, जिससे जो कैदी बाहर आये वह अपने जीवन को ही न सुधारे बल्कि वह जहां जाय वहां लोगों को शिक्षा दें और उनके जीवन को भी उन्नतिशील बना सकें।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं अपने मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। रुड़की तहसील में एक हवालात है, रुड़की तहसील क्योंकि सब डिवीजन है इसलिये उसकी कचहरी भी रुड़की में ही है। जो कैदी सजा पाते हैं उससे पहले इस हवालात में ही उनके रहने का इन्तजाम होता है। मैं भी दो तीन बार इसमें रहा हूं। मुझे स्मरण आता है कि एक कोठरी १२ फीट लम्बी और १० फीट चौड़ी है। इस हवालात में हम २० कैदी बन्द किये गये थे। पिछले १०-१५ साल से सरकार का ध्यान दिलाया जा रहा है कि उसके बजाय जेल का इन्तजाम होना चाहिये। बड़ी खुशी की बात है कि वह जेल लगभग बन चुकी है और एक वर्ष हुआ मेरे प्रश्नों के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने बतलाया था कि वह जेल जल्द खुलने वाली है। लेकिन अभी तक रुड़की सब-जेल खाली पड़ी है और उसमें अभी तक हवालाती कैदी नहीं भेजे गये हैं। मैं समझता हूं कि रुड़की हवालात की हालत को देखते हुए उसका इन्तजाम जल्दी करना चाहिये। यहां की हवालात की जो बुरी दशा है वह खत्म होनी चाहिये और रुड़की सब-जेल में नया इन्तजाम होना चाहिये। इसके साथ ही मेरे से पहले वक्ताओं ने उद्योग धंधों के सम्बन्ध में और दूसरी बातों के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं मैं उनसे सहमत हूं। मेरी राय में मुजफ्फरनगर में जो बावरियों की बस्ती है उसमें भी ऐसा सुधार होना चाहिये जिसमें वे उद्योग-धंधे सीख जायं और वे बावरिये जो बम्बई, कलकत्ता और दूसरी जगहों में जाकर चोरी वगैरह करके हजारों रुपये लाते हैं उसको बन्द करके उद्योग धंधों द्वारा अपना निर्वाह कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी सदस्यों ने भाषण दिये उनको मैंने गौर से सुना। अभी एक माननीय सदस्य को यह बहुत भारी ताज्जुब हुआ कि हम लोगों ने सरकार को बधाई दी और यह कहा कि इसमें कुछ सुधार हुआ है। तो इस ताज्जुब का जवाब मैं क्या दूं, पता नहीं कैसे उनको ताज्जुब होता है? मालूम होता है कि उन्होंने अपनी धारणा ऐसी बना ली है कि हम लोग हमेशा खाली विरोध ही करते हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनसे कह देना चाहता हूं कि जो अच्छा काम होगा उसको हम हमेशा अच्छा कहेंगे और जो बुरा काम होगा उसको हम बुरा कहेंगे। कल ही जब पुलिस का मामला आया था तो सारे सदन ने एक तरफ से जो पुलिस के खराब काम हो रहे थे उनका क्रिटिसिज्म किया। आज जब जेल का मामला आया और हम देख रहे हैं कि सरकार इधर सुधार का काम कर रही है, तो हमने उसकी तारीफ की। तो मैं सब माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि उनके मन में जो यह भावना है कि हम हमेशा विरोध ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े अफसर आई० जी० और डी० आई० जी० वगैरह इन्सपेक्शन करने जाते हैं उनके इन्सपेक्शन का तरीका गलत है! उसमें सुधार होने की आवश्यकता है। वह इसलिये कि जेल वालों को पहले ही खबर दे दी जाती है कि कब आई० जी० आयेंगे और उनके आने के सात दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं! अगर जेल अधिकारियों को सूचना दिये बिना वे इन्सपेक्शन

करने जायं तब तो कुछ पता भी लग सकता है। इसी तरह नॉन आफिशल विजिटर्स का हिसाब है। उनकी तारीख पहले से मुकर्रर होती है। (कुछ आवाजें-अब ऐसा नहीं है)। पहले तो ऐसा था अब का मुझे ठीक पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है नहीं तो अगर ऐसे उनको पता लगता रहेगा कि कौन कब आ रहा है तो उस इन्सपेक्शन से कोई फायदा नहीं है। हां, एक फायदा जरूर होता है कि पहले इत्तला मिलने से वे हिसाब किताब वगैरह ठीक रखते हैं लेकिन सरप्राइज इन्सपेक्शन्स भी होने चाहिये जिससे सारी बातें खुलती रहें।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं इससे अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां कसया हवालात जिसका जिक्र किया गया है और अक्सर हर दफा उसका जिक्र होता है उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। एक-एक कमरे में वहां पर इतने आदमी रखे जाते हैं कि रात में लोग पैर फैला कर सो नहीं सकते। वहां पर काफी गन्दगी भी रहती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इनकी तरफ ध्यान देने की कृपा करें और उन हवालातों का सुधार करने की कृपा करें। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यहां पर काफी बहस हो चुकी है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी तरफ ध्यान दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिन बातों का यहां पर चर्चा किया गया मैंने उनको नोट कर लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों का प्रबन्ध हो जाय। केवल दो बातों की चर्चा करना चाहता हूं। एक कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जेल के उद्योग धंधे का खास तौर से जिक्र किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया मैं उससे करीब करीब पूरे तौर पर सहमत हूं। इसीलिये हमने हाल ही में जेल इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में एक कमेटी नियुक्त की है जिसमें सदन के दोनों तरफ के सदस्य हैं और कुछ दूसरे सरकारी अहलकार भी हैं। इंडस्ट्री के सम्बन्ध में २, ३ बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि जहां तक हो सके जेल अपने निजी काम में और अपनी जरूरतों के लिये स्वावलम्बी हो, इस बात की कोशिश होती है। एक सदस्य ने कम्बल का भी जिक्र किया है। हम अपने लिये जितने कम्बलों की जरूरत होती है उनको जेल में बना रहे हैं और प्रदेश में जितनी हमको जरूरत होती है वह सब प्रायः जेल से ही पूरी होती है लेकिन वह कम्बल हर जेल नहीं बनाती है। कुछ चुनी हुई जेल हैं वहां पर बर्तन बनाये जाते हैं और कुछ में कम्बल बनते हैं। तो इस तरह से हमको बर्तन और कपड़ों की जो भी जरूरत होती है कुछ वहीं से पूरी होती है। इसके साथ साथ यह भी ख्याल रखने की चीज है कि कैदियों को ऐसे उद्योग धंधे सिखलाये जायं जो बाहर निकल कर उनके काम में आ सकें। इस वक्त पूरे तौर पर ख्याल नहीं है, लेकिन यह चीज उस कमेटी से सम्बन्ध रखती है और वह इस सम्बन्ध में सलाह देगी कि कौन कौन से ऐसे उद्योग धन्धे हैं जिनको जेल से हटाया जा सकता है और जिनको जेल के अन्दर लाया जा सकता है? जैसे कि यहां पर खद्दर का जिक्र किया गया और उसके लिये यह बात कही गयी कि सूत खरीदा जाय और उससे जेल में कपड़ा तैयार किया जाय। कुछ लोगों की राय है कि खद्दर जेल में ही बने और वहीं पर सूत काता जाय और उसका खद्दर बनाया जाय। अब देखने की बात है कि क्या हम यदि सूत तैयार करने की कोशिश करें तो हमारे पास इतने ज्यादा कैदी हैं कि जिनको हम सूत कातने पर लगाकर और दूसरे काम के लिये भी भेज सकते यह हैं, और दूसरे कामों में भी लगा सकते हैं जो कि जेल से बाहर के काम हैं और बाहर हम उनको काम पर लगाते है? और यदि उन सब को सूत कातने और खद्दर बनाने में हमने लगा दिया तो फिर दूसरे काम करीब करीब बन्द हो जायंगे। और यह भी देखना है कि बाहर निकलकर क्या वह सूत कातकर अपनी जीविका चला सकेंगे?

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

और अधिकांश लोग उस काम को कर सकेंगे, और क्या वह चर्खा चलायेंगे जिन चर्खों का यहां पर जिक्र किया गया कि वह कातकर कपड़ा तैयार करायें ?

जेल इंडस्ट्री की बाबत जिक्र किया गया कि वहां पर ऐसी चीज तैयार की जायें जो कुछ सस्ती हो। इस बात का यहां पर कई बार सवाल किया जा चुका है और बताया गया है कि जो चीज वहां पर तैयार होती है वह बहुत सस्ती नहीं हो सकती है। जेल इंडस्ट्री की जो चीजें बनती हैं वह क्वालिटी की चीजें बनती हैं और वह अपना कुछ खास स्थान रखती हैं। अक्सर उसकी ज्यादा मांग होती है तो उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिये। बाहर के एक्सपर्ट की राय भी यही है कि जेल इंडस्ट्री की चीजें कुछ खास किस्म की होती हैं। इसी वजह से जेल की इंडस्ट्री का एक डाइरेक्टर है जो उसकी देखभाल करता है। उसके लिये अलग अलग जगहों में यूनिट्स हैं। उनके खुलने का समय नियुक्त है और उनके बन्द होने का भी समय नियुक्त है। और जेल इंडस्ट्री के लिये कुछ आदमियों को भी रखना पड़ता है, ऐसा मैं समझता हूं। इसके लिये हमने एक कमेटी बिठा दी है। यह प्रश्न उसके सामने रखा जायगा। आशा है उसकी रिपोर्ट जल्दी ही मिल जायगी और जो सुधार उसके अनुसार होंगे उनको करने का हम प्रयत्न करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने निवेदन किया है जगन्नाथ मल्ल जी उसके प्रकाश में अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे और जो मांग मैंने पेश की है उसको स्वीकार किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षक २५---जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १,३०,७१,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६---लेखा शीर्षक ५४-क---प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख---भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६---लेखा शीर्षक ५४---क---प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें तथा ५४-ख---भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते, के अन्तर्गत ७,६०,२०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि इसके सम्बन्ध में मैं क्या निवेदन करूं क्योंकि इसमें जो यह अंश है कि "भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते" यह भारत सरकार से तय होते हैं और उनको हमें देना होता है। फिर एक खैरात की मद है। ५४-क में, जो पोलीटिकल कार्यकर्ता हैं, उनको पेंशनें दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ कहना नहीं है। इतना ही कह कर मैं इस मांग को उपस्थित करता हूं। आशा है कि यह मांग स्वीकार की जायगी।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ३५ के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, अनुदान संख्या ३५ के सम्बन्ध में जो मांग माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित की है उसमें ८ लाख रुपया है जिसमें से राजनीतिक कारणों से जो भत्ते

दिये जाते हैं, उसमें २ लाख ७५ हजार रुपया रक्खा गया है और शासकों के सम्बन्धियों को जो भत्ते दिये जाते हैं उसमें ४,२३,४०० रुपया रक्खा गया है। श्रीमन्, जब मैं इस अनुदान पर विचार कर रहा था तो बजट में एक स्थान पर कुछ पढ़ कर मुझे बड़ा एतराज हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि 'धर्मादा भत्ता राजनैतिक पीड़ितों को'। मैं यह नहीं समझता कि जो रुपया राजनैतिक पीड़ितों को दिया जाता है वह किसी प्रकार भी धर्मादा या दान है। मैं तो समझता हूं कि राजनैतिक पीड़ितों को जो भत्ता सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वह उनके बलिदान, आत्म-त्याग, निःस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर देश में आजादी की लड़ाई में सहयोग देने के लिये उनको दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जो सब से पहला काम करें वह यही कि इस शब्द समूह 'धर्मादा भत्ता' को निकाल दें।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, दूसरे नम्बर पर जो रुपया रक्खा गया है वह राज्यों के शासकों के लिये है। इन दोनों लोगों के दो प्रकार से रोल देश में रहे हैं। एक का तो रोल यह रहा है कि उसने भारतीय संग्राम में आजादी के लिये सहयोग दिया और देश को आजाद करने के लिये बहादुरी के साथ त्याग और बलिदान किया तथा देश को आगे बढ़ाया और दूसरे ने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजी शासकों का प्रभुत्व इस देश में स्थापित करके उसका दामन पकड़ कर उसको बलात यहां बैठाये रखने की चेष्टा की। इन दोनों लोगों को हमारी सरकार की ओर से भत्ता दिया जा रहा है। अब इसके औचित्य और अनौचित्य को मैं सदन के माननीय सदस्यों के ऊपर ही छोड़ देता हूं कि क्या यह उचित है कि उन लोगों को जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के साथ-साथ, देश की जनता के साथ आजादी की लड़ाई के संघर्ष के दिनों में भी दुर्व्यवहार किया और आज भी कर रहे हैं, उनको हम भत्ता दें। श्रीमन्, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का एक भाषण जो बनारस राजनैतिक पीड़ित कांफ्रेंस के सिलसिले में उन्होंने दिया था उसको मैंने पढ़ा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के तर्क के साथ मैं सहमत हूं लेकिन फिर भी सरकार का यह निर्णय है कि राजनीतिक भत्ता लोगों को दिया जाय तो मैं एक निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, मुझे मालूम है कि पक्षपात पूर्ण ढंग से राजनीतिक पेंशनें लोगों को दी गयी हैं और यदि मैं आपका ध्यान दिलाऊं तो मैं श्रीमन्, बहुत से लोगों के नाम बतला सकता हूं कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई के दिनों में त्याग किया, बुढ़ापे के दिनों में अपनी जिन्दगी रो रो कर काट रहे हैं। बहुत से तो मर गये और बहुत से दाने-दाने को मुहताज होकर झंडे ले लेकर भीख मांग रहे हैं। श्रीमन्, आज जितनी पार्टीज हैं उनके बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिये त्याग किया, जेल की यातनायें सहीं और आज अपनी जिन्दगी बहुत बुरी तरह से गुजार रहे हैं। चाहे आज वे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के साथ हों, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ हों, लेकिन हैं वे राजनैतिक पीड़ित ही। श्रीमन्, मुझे दुःख होता है जब राजनीतिक पीड़ितों के नाम पर शोषण की व्यवस्था सरकार के द्वारा और उसका सहयोग पाकर कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। नैनीताल जिले के प्रतापपुर और नारायनपुर में ४० आदमियों की एक सोसाइटी है जो राजनीतिक पीड़ित के नाम पर सरकार से जमीनें लेकर जोत रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर वे वहां जांच करावें तो मालूम होगा कि उनमें १९ आदमी ऐसे हैं जो अराजनीतिक पीड़ित हैं लेकिन वे राजनीतिक पीड़ित के नाम पर सर्टिफिकेट लेकर जमीन जोत रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची बनवानी चाहिये और मैं कहूंगा कि इस सदन के कुछ लोगों की एक समिति बना करके उसके द्वारा प्रान्त के जितने राजनीतिक पीड़ित हैं उनकी दशा पर विचार करना चाहिये।

[श्री रामेश्वर लाल]

राजनीतिक पीड़ित शब्द भी बहुत बुरा है। चीन वाले जिन लोगों ने वहां के राजनीतिक संघर्ष में भाग लिया उन लोगों को 'लिबरेटर' कहा करते हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसे लोगों का नाम रखा गया है राजनीतिक पीड़ित। श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजनीतिक पीड़ित शब्द बड़ा बुरा है, इसलिये राजनीतिक पीड़ित शब्द को ही निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, मैं राजनीतिक पीड़ित लोगों के बारे में कहता हूं तो इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं। १९४२ के आन्दोलन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री तथा इस सदन के पूर्वी इलाके के रहने वाले माननीय सदस्यों को अच्छी तरह ज्ञात है कि देवरिया जिले ने बहुत बड़ी कुरबानी की। देवरिया प्रापर में ११ वर्ष का एक लड़का रामचन्द्र, १९ अगस्त सन् ४२ को शहीद हुआ था। लेकिन मुझे दुख हुआ यह देखकर कि गोरखपुर गांधी कुष्ट सेवाश्रम में उसका बूढ़ा पिता कोढ़ से पीड़ित होकर अपनी जिन्दगी निःसहाय व्यतीत कर रहा है। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने आजादी के आन्दोलनों में अपनी जिन्दगी कुरबान कर दी है, उनके पीछे उनके बूढ़े मां बाप, उनकी विधवा स्त्री और उनके बच्चे जो बुरी तरह से अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, उस तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री और सरकार का ध्यान अवश्य ही जाना चाहिये। श्रीमन्, जब हम यह देखते हैं कि जिले में गांवों में राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने वाले लोग अपनी जिन्दगी बुरी तरह काट रहे हैं तो श्रीमन्, मुझे प्रेरणा मिलती है, और दुख होता है और कहना पड़ता है कि राजनीतिक पीड़ितों के साथ पक्षपात का व्यवहार हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि जो लोग क्षम्य हैं या जिन लोगों में शक्ति है उनको सहायता दी जाय। या अगर मैं यह कहूं कि सदन के जितने सदस्य हैं वे राजनीतिक पीड़ित करार दिये जायं, क्योंकि हम लोगों ने भी राजनीतिक संघर्ष में भाग लिया है और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया है तथा जेल की यातनायें सही हैं तो श्रीमन्, यह नहीं कहता कि हम लोगों को राजनीतिक पीड़ित करार दिया जाय बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य हैं जो राजनीतिक पीड़ित के नाम पर नाजायज फायदा उठाये हैं। जो सदन के सदस्य हैं और यहां २०० रु० महीने पाते हैं, घर पर भी अपना काम देखते हैं उनसे सरकार को राजनीतिक पीड़ित का हक तो छीन लेना चाहिये। और इसके साथ साथ उन लोगों को जो सचमुच राजनैतिक पीड़ित हैं और खेती के अभाव में रोजी के अभाव में अपनी मुसीबत की जिन्दगी काट रहे हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुये एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भत्ते शासकों के लिये रखे गये हैं उनके संबंध में जो सरकार कहती है कि वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार देती है, इसके लिये मैं सरकार से कहूंगा कि यह तो ठीक है कि उस अनुदान का संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो मैं सरकार से इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि इस सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करना चाहिये कि वह इस तरह के भत्तों को बन्द करे और तब जबकि माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं "नो कम्पेनसेशन" की बात कहते हैं तो हमें इस बात का अधिकार है कि हम केंद्रीय सरकार से कहें कि यह भत्ते बन्द किये जायं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मुझे माननीय सदस्य के भाषण को सुनने के उपरान्त बहुत दुख हुआ और वह इसलिये कि बहुत सी चीजों को वह समझते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी की कठिनाइयों को भली भांति जानते हैं, और उसके बाद भी वह इसका मुआवजे से संबंध जोड़ते हैं! यह जो रुपया दिया जाता है वह शासकों के लिये और उनके उन प्रजीजों के लिये है जो रियासतों के एलर्स मर्जर के पहले पाते थे, या अपने रिश्तेदारों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को देते थे या हर स्टेट में उनके जितने बच्चे होते थे, जितने अजीज, मातायें, बहिनें या दादियां होती थीं, उसमें से कुछ विधवायें और असहाय भी होती थीं, उनको जो आर्थिक सहायता राज्य द्वारा दी जाती थीं मैं नहीं समझता कि उससे और माननीय मुख्य मंत्री जी के "नो कम्पेनसेशन" के नारे से क्या संबंध है ? मैं समझता हूं कि उनको भ्रम हो रहा है। मैं समझता हूं अगर कांग्रेस सरकार प्रतिकर देने से विमुख है तो कांस्टीट्यूशन में एक संशोधन लाया जा सकता है और वह यह समझते हैं कि उसके आधार पर यह शासकों का भत्ता भी रोका जा सकता है। मैं उनको आप के द्वारा बताना चाहता हूं कि इसमें और उसमें महान अन्तर है। आर्टिकिल ३१ का संशोधन एक दूसरी चीज है और जहां तक मर्ज्ड स्टेट्स का संबंध है उनसे जो समझौता और ऐग्रीमेंट हो चुका है जो भारत सरकार से मर्जर के वक्त हुआ था उसकी शर्तों और पाबन्दियों से इससे कोई सरोकार, कोई सम्पर्क या कोई वास्ता नहीं है।

यह भी कहा जाता है जहां तक इन रूलर्स या नरेशों का संबंध है वह ब्रिटिश राज्य की सत्ता को भारत में जमाना चाहते थे उनका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था और क्या हो सकता था जिस परिस्थिति में वे थे ? उसके पचड़े में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं अपने उन दोस्त को बताना चाहता हूं कि उन विधवाओं या उन असहाय बच्चों का जिनको यह भत्ता दिया जाता है उनका कोई सम्पर्क या संबंध ब्रिटिश राज्य को भारत में रखने से नहीं था। मान्यवर, मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा सा प्रीवी पर्स और एलाउन्स में भी भ्रम हो रहा है। किसी के राजनैतिक दृष्टिकोण पर यदि किसी की सम्पत्ति का प्रतिकर नहीं दिया जाता है तो मैं समझता हूं, और ललकार कर दावे के साथ कहता हूं कि वह सरकार निकम्मी है और उस सरकार को इस भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही बातें हैं तो आजकल वही सरकार हमारे माननीय सदस्य का घर भी ले सकती है। और यह कह सकते हैं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी में हैं और अब हमारे आपके पोलिटिकल डिफरेंसेज हैं, और सन् १९४२ में तुम ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे इस कारण से तुमको नहीं मिल सकता। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिये यह कहना उचित नहीं है कि यह राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है।

जहां तक पोलिटिकल पेंशन्स के बारे में है, मैं उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और इतना अवश्य उनको बतला देना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी गलतियां हैं कि जिनको रुपया नहीं मिलना चाहिये वे पा चुके हैं और जिनको मिलना चाहिये उन तक आज भी सरकार की निगाह नहीं हुई है। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--मेरे सोशलिस्ट भाई ने यह आक्षेप किया कि राजनीतिक पीड़ितों को जो दिया गया है उसमें पक्षपात हुआ है। यह चीज तो बहुत ही गलत कही गई है। जिस वक्त यह पेंशनें दी गई हैं राजनीतिक पीड़ितों को उस वक्त यह पार्टीबाजी न थी और इतनी भिन्न-भिन्न पार्टियां न थी और उस वक्त जितने राजनीतिक पीड़ित थे उनकी रिपोर्ट मांगी गई, और जो रिपोर्टें आयीं उनके आधार पर यह पेंशनें दी गईं। तो यह कहना उसमें पक्षपात हुआ है यह मेरी समझ में गलत चीज है और ऐसा आक्षेप एक जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिये। मैं इस संबंध में यह जरूर कहना चाहता हूं कि राजनैतिक पीड़ितों में कुछ अब भी ऐसे हैं जिनको कि सहायता की आवश्यकता है जिसके न मिलने के कारण उनकी दशा शोचनीय हो रही है, कुछऐसे भी हैं जिनके पास छोटी-छोटी जमींदारियां हैं, छोटे-छोटे हिस्से उनके पास थे; लेकिन चूंकि वे जेल में थे, उनका जीवन वहां व्यतीत हो रहा था इसलिये उनकी सीर पर शिकमी वगैरः काबिज थे। जमींदारी उन्मूलन होने के कारण अब वे उससे भी हाथ धो बैठे और जो कुछ भी उससे उनकी आय थी उससे भी वे वंचित हो गये। ऐसी दशा में उनकी हालत बहुत बदतर हो रही है और उनको सहायता की जरूरत है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि उस जमाने में खराब हालत में थे लेकिन जिस सख्ती के साथ जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

भेजीं उसमें वह बेचारे न आ सके। हालांकि यह सही है कि आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया था यह हम भलीभांति जानते हैं लेकिन वह सहायता न पा सके हालांकि मालूम है कि उस जमाने में उनकी कुर्की हुई, उनके घर द्वार बरबाद किये गये, लेकिन उनमें से बहुत से बेचारे तो ऐसे थे कि वे राष्ट्रीय कार्य में बराबर लगे रहे और अपने घरद्वार को न देख सके कि उनकी हालत शोचनीय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जो केसेज हैं उनका पुनर्विचार होना चाहिये और एक लिस्ट फिर बनाई जाय ताकि जितने वाकई में इसके अधिकारी हैं उनको सहायता मिले ताकि हम पर यह आक्षेप न हो कि उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिये अपना जीवन दिया लेकिन वे बेचारे आज इस दुर्दशा में हैं! मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर इस पर विचार करेंगे।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उन माननीय सदस्यों के भाषण जिन्होंने इस अनुदान के संबंध में अपने विचार प्रकट किये बड़े गौर से सुने और खासकर माननीय सदस्य, जो महाराजाधिराजों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके भाषण को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ।

श्रीमान्, मैं उनकी बातों का उत्तर देने के लिये वादविवाद के प्रश्नों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो रकम रक्खी गई है वह अधिक है। यदि माननीय सदस्य को यह गलतफहमी हुई हो कि हम यह चाहते हैं कि बिलकुल न दी जाय तो ऐसी बात नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के स्वभाव को जानता हूं। अभी जेल के संबंध में अनुदानों पर बहस हुई और सदस्यों ने सुना होगा कि वे उन स्त्रियों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं जो जेल से छूटने के बाद समाज में फिर वापस आयेंगी। जिन विधवाओं की फिक्र माननीय सदस्यों ने की इसमें मुझे कोई एतराज नहीं कि राज्य को उनके लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। यह मैं भी चहता हूं यह नहीं कहता कि खाना पीना न मिले। लेकिन ऐसी व्यवस्था न हो जिसमें उनके कुत्ते, तीतर, बटेर, मोटर बावरची, सिनेमा आदि सब के लिये व्यवस्था हो।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—कुत्ते और बटेरों के लिये कोई प्रावीजन नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—जी हां, है। जो खासी रकम दी जायगी तो पुरानी आदतों के अनुसार वे वैसा ही करेंगे। माननीय वर्मा जी ने मुझ पर आरोप लगाया और कहा कि राजनैतिक पीड़ितों के साथ पक्षपातपूर्ण रूप से व्यवहार नहीं होता। मैं तो दावा करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री और वर्मा जी से पूछता हूं कि वे दिल पर हाथ रख कर देखें, और अगर वे चांज करें तो उन्हें मालूम होगा कि जिलाधीशों पर प्रभाव डाल कर अपने पक्ष के लोगों को राजनैतिक पीड़ित बनाया गया है। मैं यह नहीं कहता कि किस पार्टी ने ऐसा किया लेकिन दबाव डाला गया यह मैं कहता हूं। मेरे जिले में आज भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दीं लेकिन उनको राजनैतिक पीड़ित होने की पेंशन प्राप्त नहीं हुई क्योंकि वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में चले आये थे। माननीय मुख्य मंत्री जी को अगर आवश्यकता होगी तो मैं नाम दे दूंगा। मेरे पास नाम नोट हैं और मेरा दावा है कि मेरे जिले में लोगों ने, किसी पार्टी का नाम मैं नहीं लेता, जिलाधीश पर जोर डाल कर गलत काम करवाये। लिहाजा वर्मा जी का यह कहना कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक पीड़ितों को जो सुविधा दी जा रही है उनका बेजा फायदा उठाया जाता है। एक आदमी राजनैतिक पीड़ित बनकर थानेदार बन जाता है, खेत अपने घर वालों को दिलवा देता है, उसे व्यापार मिल जाता है। उसे पोलिटिकल सर्टिफिकेट क्या मिल जाता है पचासियों रोजगार उसको मिल सकते हैं? लिहाजा सरकार इस बात का खयाल रक्खे कि एक आदमी को एक ही सुविधा मिले, साथ ही यह भी देखे कि वह सुविधा का पात्र है भी या नहीं? हमारे यहां सुभाष नगर में राजनैतिक पीड़ितों को

खेत दिये गये हैं वहां कोई सड़क नहीं थी। कोई सुविधा न होने से ५, ७ आदमी मलेरिया में मर गये। लिहाजा उनकी सुविधा का भी ध्यान रक्खा जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं इस अनुदान के संबंध में तीन बातों की चर्चा हुई है। एक तो उन रकमों की जो राजा महाराजाओं को दी जाती हैं। जरूर एक अच्छी खासी रकम है जो इस काम में खर्च होती है। सबसे बड़ी रकम जो किसी को मिलती है वह है ७ लाख रूपये की, और सबसे छोटी रकम जो किसी को मिलती है वह है ३ हजार रुपये की। मैं इस संबंध में इस विषय पर विचार नहीं करता कि इन लोगों को कुछ मिलना चाहिये या न मिलना चाहिये और अगर मिलना चाहिये तो क्या मिलना चाहिये, और रकम मिलती है वह ज्यादा है या कम है। क्यों? जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह तो जब मर्जर्स हुये तो मर्जर के बाद उनके जो छोटे या बड़े, जैसे भी राज्य थे वह तो हमारे उत्तर प्रदेश में मिल गये और उनको क्या दिया जाय यह गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तय किया, और उसने जो तय किया उसके अनुसार हम उस रुपये के देनदार हैं। उस रुपये को अगर घटा सकती है तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ही घटा सकती है। यह सही है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने खुद उन लोगों से इस बात की अपील की थी कि दो तीन हजार वाले क्या करेंगे? मैं नहीं जानता लेकिन उन्होंने बड़ों से यह अपील की थी कि जो रुपया आप लेते हैं उसमें कुछ कमी करें। वह अपने से कमी करेंगे या क्या करेंगे यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जब तक हमारे पास ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन्स न आ जायं तब तक हम उस रुपये के देनदार हैं। हम मजबूर हैं, उसमें हम कोई कमी नहीं कर सकते।

दूसरे, शायद एक भ्रम हुआ या मेरे सुनने में अगर गलती नहीं हुई तो रामेश्वर लाल जी ने जिक्र किया कुछ चैरिटी या खैरात के साथ पोलिटिकल प्रिजनर्स का, यह बात सही है। कुछ ऐसा है कि बजट में कुछ फिक्स्ड हेड्स रहते हैं। वह ५० या १०० वर्ष से चल रहे हैं और सारे भारत में वह इस वक्त चल रहे हैं। जो नई रकम खर्च की जाती है उसे उन्हीं हेड्स में, उसी ढांचे में बैठाना पड़ता है। यह हो सकता है कि स्वराज्य के बाद चूंकि यह एक नई मद थी और सहायता की मद थी जो सब उसी हेड में लिखी जाती हैं, इसलिये यह भी उसी में लिख दी गई हो और उसके बाद ऐसा ही होता चला आ रहा है। जब यह पोलिटिकल प्रिजनर्स की ऐड की बात इस हेड में डाल दी गई तो मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। यह मदद खैरात के तौर पर दी जाती है, ऐसा नहीं है। हां, यह जरूर है कि इस मद के अंदर खैरात की रकमें आती हैं। कुछ रियासतों में बुड्ढों और विधवाओं को रुपया दिया जाता था वह अब हमारे जिम्मे आ गया है और हमको देना पड़ता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से कुछ मंदिरों और मस्जिदों को १२,२०० रुपया दिया जाता है, वह भी हम देते हैं, तो खैरात की रकमें भी इसमें हैं, एक हेड कामन है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो पोलिटिकल प्रिजिनर्स की सेवा करते हैं वह खैरात की बात है, यह हमारा मतलब नहीं है।

तीसरी बात यह कि पोलिटिकल प्रिजनर्स को जो सहायता दी जाती है उसके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि कुछ ऐसे लोगों को सहायता हो गई होगी कि जो उसके अधिकारी नहीं हैं। किसे हुई मैं नहीं जानता; बहरहाल, जहां तक गवर्नमेंट की बात है, हमारी तरफ से कोई पक्षपात की बात नहीं हुई, अब भी नहीं है। शायद उस तरफ जो सदस्य बैठे हैं उन में से कुछ लोगों को यह बात मालूम होगी कि वह लोग मेरे पास नाम लाये और मैंने उनसे एक क्षण के लिये भी नहीं पूछा कि आप किसी पोलिटिकल पार्टी में हैं या नहीं। जब तक मेरा इससे सम्बन्ध रहा है तब तक की बात मैं कहता हूं और मैं समझता हूं कि पहले भी ऐसा ही रहा होगा। जो कोई पोलिटिकल प्रिजनर है उसको मदद मिलनी चाहिये, वह किस पोलिटिकल पार्टी में है, इससे मैं समझता हूं कि हमें मतलब नहीं। जैसे सरकारी नौकर हैं, रिटायर होने के बाद वह पोलिटिकल काम करते हैं और उसके लिये वह स्वाधीन हैं तो जो हमारी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

स्वाधीनता की लड़ाई के सिपाही रहे हैं उनके लिये कोई पक्षपात की बात न हो, यह मैं मानता हूं । ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको सहायता होनी चाहिये थी लेकिन उनको सहायता नहीं मिली । इसके अनेक कारण हैं । एक तारीख नियत कर दी गई कि उस तारीख तक सारी एप्लीकेशन्स आ जानी चाहिये । किन्हीं कारणों से वह दरख्वास्तें नहीं आ पाईं, लेकिन सहायता बंद नहीं की गई उसका काम जारी रहा । उसके बाद भी जैसा मैं कह रहा हूं, कुछ मेरी विशेषता नहीं, लेकिन दो तीन महीने के अंदर करीब २५–३० आदमियों को सहायता दी जा चुकी है, कई दरख्वास्तें पेंडिंग हैं । अगर इस सदन के सदस्य अपनी जानकारी से कहें कि इसने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और इसको सहायता मिलनी चाहिये तो जो जेनुइन केसेज होंगे, भले ही वह किसी पोलिटिकल पार्टी में काम करता हो, इससे हमें मतलब नहीं, उसकी सहायता हम अवश्य करेंगे । इन शब्दों के साथ में इस मांग को फिर पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे और यह मांग स्वीकार की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५ (लेखा शीर्षक ५४–क–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेन्शनें तथा ५४–ख– भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते) के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५–प्रादेशिक और राजनैतिक पेन्शनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते (लेखा शीर्षक: ५४–क–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेन्शनें तथा ५४–ख– भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते) के अन्तर्गत ७,६०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७–अनुसूचित और पिछड़ी हुयी जातियों का सुधार और उत्थान

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा शीर्षक ५७–विविध) के अन्तर्गत ७४,२८,७०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय ।

इस अनुदान को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ी सी बातें इस सदन के समक्ष रखनी हैं । इस हरिजन सहायक डिपार्टमेंट की समस्यायें बहुत हैं, क्योंकि इनका संबंध सरकार के प्रत्येक डिपार्टमेंट से है । ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस जाति या जिस डिपार्टमेंट की समस्यायें इतनी हों उनका निराकरण किस तरह कर सकते हैं, तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार अच्छी तरह से कर सकें । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि सन् १९५१ में जो ग्रुप ऑफिसर्स जो कि रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट में थे और इस डिपार्टमेंट में आये, तो उस समय से लेकर के अब तक ऑफिसर्स की जो तनख्वाह थी वह तो रीजनल ऑफिसर्स के आधार पर थी,

लेकिन उनके आफिसेज वगैरा का जो रेंट था वह बहुत कम था। लेकिन इस बजट में आप देखेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ग्रूप आफिसर्स के आफिस रेंट की वृद्धि कर दी गयी है और इसके परिणाम स्वरूप इस बजट में एक हजार रुपये की मांग की गयी है। साथ ही साथ जब यह डिपार्टमेंट, रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट, हरिजन सहायक डिपार्टमेंट के साथ मर्ज हुआ, ऐसी परिस्थिति में यहां पर ५ तरह के सुपरवाइजर्स काम कर रहे थे जिनका वेतन २५ रुपये से लेकर १०० रुपये तक था। लेकिन उनके काम में कोई विशेष फर्क नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उनमें एक निराशा दिखाई पड़ती थी। अतः सरकार ने सुपरवाइजरों की ५ श्रेणियों को तोड़ कर दो कर दी हैं, जिस में एक श्रेणी की तनख्वाह ३० रुपये से लेकर ६० रुपये तक होगी और दूसरी की ५० से लेकर १०० रुपये तक होगी। इसमें ३,००० रुपये की और जरूरत पड़ेगी।

इसके अलावा जब हम एजूकेशनल ऐक्टीविटीज पर आते हैं तो हरिजन सहायक विभाग पर हम देखते हैं कि सन् १९५४–५५ में ४८,६१,००० रुपया खर्च किया जाता था और सन् १९५५–५६ में सरकार हरिजन सहायक डिपार्टमेंट पर ५१,७४,९०० रुपये खर्च करने जा रही है, इस तरह से ३,१३,५०० रुपये की वृद्धि हो गयी है। अब यह रुपया किन मदों में बढ़ाया गया है उसका एक विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी में फीस के घाटे की पूर्ति के लिये ५४–५५ में २८ हजार रुपया दिया गया, लेकिन १९५५–५६ के बजट में ६६ हजार रुपया कर दिया गया। इस तरह से इस हेड के अन्दर करीब ३८,८०० रुपये की वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कालेजेज में जो फीस की वजह से कमी होती थी उनको पूरा करने के लिये १९५४–५५ में ६८,००० रुपया था। लेकिन ५५–५६ के बजट में यह बढ़ाकर १,५६,९०० रुपया कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि ८८,९०० रुपया इसमें बढ़ाया गया है। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि हमारे हरिजन छात्र अधिक से अधिक संख्या में आर्ट कालेजेज में जाते हैं। लेकिन हम यह देखते हैं कि हरिजन विद्यार्थी या पिछड़ी जाति के विद्यार्थी इंजीनियरिंग कालेजेज में बहुत कम जाते हैं जब कि नौकरियों में इसमें उसकी डिमांग बहुत ज्यादा होती है। ऐसी परिस्थिति में उनको इधर प्रोत्साहन देने के लिये एक नया आइटम इस बजट में जोड़ा गया है जिसमें १,८०० रुपये के करीब खर्च किया जायगा।

साथ ही साथ डम्ब्स यानी बहरे गूंगे और अंधों की शिक्षा का प्रबन्ध अब तक हरिजनों के लिये नहीं था। यह निस्सहाय किधर जायं लेकिन इनमें कुछ विद्यार्थी उत्साही निकलते थे जिनको शिक्षा देना अनिवार्य समझा जाता था। इसलिये ऐसी परिस्थिति में सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिये १,४०० रुपये की व्यवस्था की है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि अब हरिजन और पिछड़ी जाति के विद्यार्थी संस्कृत भी पढ़ने लगे हैं। लेकिन १९५४–५५ में जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते थे बजट में उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिये हमारे बहुत से हरिजन विद्यार्थियों को वजीफा नहीं मिल पाता था और इससे वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। अतएव इसको देखते हुये विचार करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया। २३ विद्यार्थी परिगणित जाति के १९५४–५५ में संस्कृत पढ़ते थे और ४८ विद्यार्थी पिछड़ी जाति के पढ़ते थे। अतः उनको वजीफा देने के लिये सरकार ने १९५५–५६ के बजट में ५,१०० रुपये की व्यवस्था की है।

इस प्रकार से आप जानते हैं कि परिगणित जाति के विद्यार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। १९४६–४७ में जब इस मुहकमे का कुल बजट ६,७०,००० रुपये था लेकिन आज उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ इस विभाग का बजट करीब ७४,२८ हजार के करीब हो गया है। ऐसी परिस्थिति में जब विद्यार्थियों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है तो इन विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति में वृद्धि करने की भी जरूरत होगई है। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि १९५४–५५ के बजट में शिड्यूल्ड कास्टस के लिये १४,३०,९०० रुपये दिये जाते थे लेकिन आज वह रक़म बढ़ कर के १५,९३,१०० रुपये हो गई है! इस तरह से १,६२,२०० रुपये छात्र वृत्ति में ज्यादा दिया जायगा।

[डाक्टर सीताराम]

इसके अलावा हरिजन सेवक संघ दिल्ली में हमारे उत्तर प्रदेश के हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनको कुछ रुपया दिया जाता था लेकिन यह देखा गया कि वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी संख्या में कमी नहीं हो रही है। अतः सरकार ने हरिजन सेवक संघ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी और रेकरिंग के रूप में १२,००० रुपया इस साल इसको दिया जा रहा है। इसकी संख्या ५५-५६ के बजट में दी गई है जो कि १९५४-५५ के बजट में नहीं थी।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के प्राइमरी स्कूलों में आजकल हरिजन विद्यार्थी पढ़ने लगे हैं। उनकी संख्या को देख कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को मदद करने की इस विभाग का थोड़ा सा कर्तव्य हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने इस पर भी १९५५-५६ के बजट में १,३३,५०० रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेज और पिछड़ी जातियों के लिये सरकार ने वजीफे के लिये १९५५-५६ के बजट में ४,३३,००० रुपये की व्यवस्था की है। साथ ही साथ मोमिन छात्रों के वजीफे के लिये भी १,३३,५०० रुपये की व्यवस्था की है। इस भांति जब हम टोटल लगाते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सन १९५५-५६ में सरकार हरिजन, पिछड़ी जाति और मोमिन (अन्सार) के लोगों की शिक्षा पर ५१,७४,९०० रुपये खर्च करने जा रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि यद्यपि संविधान में छूआ छूत की भावना को दूर कर दिया गया है लेकिन थोड़ी सी जगहों में आजकल भी यह भावना उसी तरह से प्रचलित है और बहुत से लोग हरिजनों को कुयें से पानी नहीं भरने देते हैं इस लिये सरकार उन हरिजनों के लिये जिनके पास पानी के साधन नहीं हैं कुयें बनवाने की व्यवस्था कर रही है। पिछले बजट में इस कार्य के लिये साढ़े तीन लाख रुपये की व्यवस्था थी जिसे बढ़ा कर इस साल चार लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हरिजन ग्रांट के लिये ५४-५५ में १,७०,००० रुपये की व्यवस्था थी लेकिन ५५-५६ में इसके लिये २,७०,००० रुपये की व्यवस्था की जा रही है, यानी एक लाख रुपये की वृद्धि की जा रही है।

इसके पश्चात् आप बजट में देखेंगे कि क्रिमिनल ट्राइब्स कही जाने वाली जातियों के लिये भी व्यवस्था की गयी है। यहां पर यह कहना असंगत नहीं होगा कि अंग्रेजों के जमाने में सन् १८३९ में केन्द्रीय सरकार ने जो लोग चोरी डकैती करते थे उनके लिये एक कानून बनाया था। उस कानून में पहली बार सन् १९११ में सुधार हुआ और फिर सन् १९२४ में हुआ। परन्तु अंग्रेज कानून के द्वारा ऐसी जातियों को गुलाम बनाये रहे। जब हमारे देश में जनतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई तो हमारी सरकार ने सन ४८ में ऐसी जातियों के लिये एक कमेटी बनायी। उस कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी कि जो अपराधशील जाति कहे जाने वाले व्यक्ति हैं उनमें से दो या तीन फीसदी से अधिक जुल्मी नहीं हैं बल्कि उनकी जाति के नाम पर या उनके जेल में रहने के नाते उनके सम्पूर्ण खान्दान को आजीवन कारावास में रखा जाता है। इस भावना को दूर करने के लिये जनतांत्रिक सरकार ने ३१ अगस्त, १९५२, को उस कानून को खत्म कर दिया और उसी दिन से हमारी जो भूतपूर्व अपराधशील जातियां थीं उनके लोग आजाद हो गये। लेकिन इस आजादी के साथ साथ इस जाति के जो लोग मुज़फ्फर नगर, मुरादाबाद, गोंडा, गोरखपुर वगैरा में रहते थे उनको बसाने का भार सरकार के ऊपर आ पड़ा। इस कार्य को पूरा करने के लिये हमारी सरकार ने भारत सरकार की मदद से खीरी जिले में भटपुरवा गांव में जो वहां से कुछ दूरी पर है उनको बसाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। वहां ऐसे ६०० परिवारों को बसाया जायगा और फी परिवार ८ एकड़ जमीन सरकार की ओर से दी जायगी। वहां पर ७० परिवारों को बसाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और कई सौ एकड़ जमीन में खेती भी शुरू कर दी गई है और ८५ एकड़ में चना पक कर तैयार हो गया है। इसके अलावा इन भूतपूर्व अपराधशील जाति के लोगों को और जगह बसाने के लिये भी, जैसे रायबरेली, लखीमपुर-खीरी और पीलीभीत में सरकार जमीन एक्वायर करने का विचार कर रही है और उनको कोरें

धीरे बसायेगी, उनके घरों को बनवायेगी। इसके साथ ही साथ वहां सिंचाई की व्यवस्था भी करेगी और उनके बच्चों की शिक्षा आदि का भी प्रबन्ध करेगी। यानी जिस भी तरीके से वे लोग वहां रह सकें उनको बसाने का प्रयत्न करेगी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद सरकार ने बरवार जाति के बच्चों की शिक्षा के लिये १३०० रुपये का बजट में प्राविजन किया है जिससे वहां के विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में पढ़ सकें। बरवार कालोनी गोंडा जिले में है वहां पर उस कालोनी को बसाया गया था लेकिन वहां पर ट्यूबवैल की कमी की वजह से पानी नहीं मिलता था तो वहां पर ट्यूबवेल बनाने के लिये सरकार ने ३६ हजार रुपये की व्यवस्था इस बजट में जो ५५-५६ के लिये रखा गया है, की है। इसके बाद सरकार ने कल्याणपुर और गोरखपुर के सैटिलमेंट बसाने के लिये करीब ६७ हजार रुपये की व्यवस्था की है जो इस बजट में है। इसके अलावा कल्याणपुर सैटिलमेंट में करीब २ हजार आदमी रहते हैं लेकिन वहां की बहुत सी औरतें हैं जो वहां के मिल में काम करती हैं, जो करघे का काम करती हैं और सिलाई वगैरा का काम करती हैं तो सन् १९४८ के फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार वहां के लोगों ने एक संस्था बनायी और उसको सन् १९५० में रजिस्टर्ड करा लिया। फैक्टरी ऐक्ट सन् १९५० के सेक्शन ४८ के मुताबिक यह प्राविजन है कि जिस फैक्टरी में ५० औरतों से ज्यादा औरतें काम करती हों तो उनके बच्चों की देख रेख के लिये एक स्कीम है। यदि उनके पास रुपया नहीं है तो उनके बच्चों की देखरेख के लिये सरकार ने यह किया है कि ७ हजार रुपये की व्यवस्था बजट में की है। इसके बाद आप जानते हैं कि सरकार छूआछूत को दूर करने के लिये बहुत सा रुपया खर्च कर रही है क्योंकि हम जाते हैं कि इस छूआछूत की वजह से जो हमारे देश में है, हम दुनियां के देशों में कलंकित रहे हैं और किसी भी देश का अछूतपन उस देश का कोढ़ है और वह कोढ़ मानव-जाति के लिये अभिशाप है। अपने देश में हम यह भी देखते हैं कि हमारे समाज में जो यह कोढ़ है उसको हमको मिटाना है। हम यह भी देखते हैं कि इसी प्रकार से हरिजनों की और संस्थायें भी मदद कर रही हैं यानी गैरसरकारी संस्थायें जो हरिजनों के बीच में जाकर छूआछूत दूर करने के लिये या और जातियों के बीच में अछूत की भावना को दूर करने के लिये अपने कदम को बढ़ा रही हैं और बहुत दिनों से वह इस काम को कर रही हैं। सरकार उनकी रुपये के द्वारा मदद कर रही है जिससे कि वह लोग इनके बीच में जाकर प्रचार करें जिससे कि अछूतपन दूर हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ८ हजार रुपया ऐसी संस्थाओं को दलितोद्धार के लिये दिया। ४ हजार रुपया आर्य समाज को दिया और ३ हजार रुपया हरिजन सहायक संघ दिल्ली को दिया और दो हजार रुपया डिप्रेस्ड क्लास एसोसियेशन को दिया। जिससे यह संस्थायें अपने अपने तरीके पर हरिजनों के बीच में और सवर्ण हिन्दुओं के बीच में यह प्रचार कर सकें, जिससे छूआछूत की भावना किसी तरह से दूर हो। यह भावना केवल अपने लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये भी बहुत घातक होगी। इसमें बहुत सी कमी हो सकती है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इन स्कीम्स को लागू करने से बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों को मिलेगी। साथ ही साथ सरकार ने एक एक जिले को एक एक हजार रुपया हरिजनों की मदद करने के लिये और दिया और जिलों के अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि वह इस रुपये से हरिजनों और विभिन्न जातियों के बीच कुछ खाने पीने का प्रबन्ध करें और प्रचार करें जिससे छूआछूत की भावना लोगों के दिल से निकल जाय। अभी पिछली जनवरी के महीने में हरिजन सप्ताह भी प्रान्त के हर जिले में मनाया गया। उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह मांग सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं इस समस्त प्रस्तुत अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, यह अनुदान हमें उस महान् उत्तरदायित्व की याद दिलाता है कि हमें इस देश को समाजवाद और वर्गहीन समाज की ओर ले जाना है। शताब्दियों से जो इस देश और प्रदेश में एक प्रकार की खाई चली आ रही थी उस खाई को पाटने की ओर यह अनुदान हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जब एक ओर मैं इस महान् कार्य को अपने सामने देखता हूं और दूसरी ओर जब उसकी तुलना बजट से करता हूं तो मैं अपने को असमर्थ पाता हूं कि मैं माननीय मंत्री जी को उसके लिये पूर्ण रूप से बधाई दे सकूं। वास्तव में देखा जाय तो यह हरिजन सहायक विभाग केवल शिक्षा संबंधी सुविधाओं का विभाग है जो उन लोगों को दी गयी हैं; इसलिये शिक्षा मंत्री इसके चार्ज में रक्खे गये हैं। अगर उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाय तो हमें मालूम होता है कि कि एजूकेशन के लिये ४४,४० ४०० रुपया शिड्यूल्ड कास्ट के लिये रक्खा गया है, तथा बैकवर्ड क्लासेज की एजूकेशन के लिये ७,३४,५०० रुपया रक्खा गया है। इस प्रकार से पूरे बजट में केवल साढ़े इक्यावन लाख रुपया ही शिक्षा के लिये रक्खा गया है। अब ५,८६ हजार रुपया तो केवल इस्टेब्लिशमेंट पर ही खर्च हो जाता है, साढ़े छै लाख रुपया रिक्लेमेशन पर खर्च होता है यानी क्रिमिनल ट्राइब्स जो बसायी गई है उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। अब शिक्षा के अलावा जो रुपया हरिजनों और पिछड़ी जातियों पर खर्च होता है वह केवल ९ लाख ६२ हजार रुपया है। केवल ९ लाख ६२ हजार रुपये के लिये कहना कि यह हरिजन सहायक विभाग है या पिछड़ी जातियों को सहायता करने वाला विभाग है, मैं समझता हूं किसी हालत में भी उचित नहीं है। एक माननीय मित्र ने कहा कि उसका ऐसा नाम रखने के बजाय उसको तोड़ ही दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह तो नहीं कहता कि इसको तोड़ दिया जाय लेकिन हो सकता हो तो सुधार किया जाय। अनुदान बढ़ाया जाय, योजना को नियंत्रित और विस्तीर्ण रूप दिया जाय लेकिन अगर जैसा अब चल रहा है वैसा ही भविष्य में चलने वाला हो तो वह बिलकुल ही निरर्थक है फिर तो दूसरा विभाग ही इसका काम कर सकता है; इसको तोड़ देना ही श्रेयस्कर होगा। यदि हम इस विषय में अपने राज्य की दूसरे राज्यों से तुलना करें तो हम देखेंगे कि मद्रास, बिहार, मध्य भारत, हैदराबाद में यह अनुदान कहीं ज्यादा है। मद्रास ने ५२-५३ में ही हरिजनों के वैलफेअर के लिये १२६ लाख रुपया रक्खा था। मद्रास ने शिक्षा के अलावा ५२-५३ में ११ लाख रुपया रक्खा था, ५३-५४ में साढ़े नौ लाख रुपया रक्खा था। एक बात मैं और बतला दूं कि हमारे यहां जितने हरिजन हैं उनके हिसाब से अगर इस अनुदान को देखा जाय तो यह बिल्कुल निरर्थक है। पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में तो सरकार कहती है कि अभी लिस्ट भी तैयार नहीं है और लिस्ट बनाने को कहा जायगा तो माननीय मंत्री जी यह कह देंगे कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार है। अभी हाल में जो जनगणना हुई थी उसको अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि यू० पी० में १७.८ प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज का अनुपात है। अगर आप इस अनुपात को देखें और साथ ही साथ इस बात को भी देखें कि उन पर कितना खर्चा किया जा रहा है तो उसके अनुपात में जो भेद दिखलाई देता है वह एक बड़ी भारी खाई है और उससे यह मालूम होता है कि जो सहायता दी जा रही है वह केवल नाममात्र की ही है। यदि पिछले सालों के बजट को लें और उसमें बजट की रकम के साथ साथ हरिजन सहायक विभाग की रकम को देखें तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलिस का बजट कम हो रहा है, उसी प्रकार इस विभाग पर भी खर्चा बराबर अनुपात में कम ही होता जा रहा है। आप पिछले तीन सालों के आंकड़े ले लीजिये। ५२-५३ में उसका प्रतिशत ०.९ है जो कि हरिजन सहायक विभाग के लिये रक्खा है। वह पिछले साल ०.७५ था और इस साल घटकर ०.६७ या ०.६८ हो गया है। तो जहां पूरा बजट बढ़ रहा है वहां हरिजन सहायक विभाग का बजट घट रहा है। हमारे यहां एक रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट बना हुआ है, जैसा कि डा० सीताराम जी ने अस्पृश्यता को मानवता का अभिशाप कहा, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। सोशल डिसएबिलिटी ऐक्ट बना तो है लेकिन मालूम नहीं कि वह ऐक्ट लागू भी है या नहीं लागू है? किसी भी रिपोर्ट में इसका कहीं

जिक्र नहीं है कि इसके मातहत कितने प्रोसिक्यूशन हुए, कितने लोगों को सजायें हुईं ? इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट में आंकड़े तो दिये हुये हैं कि कहां कितनी सजायें हुईं, लेकिन यू० पी० की किसी रिपोर्ट में यह नहीं है कि यहां कितने प्रोसिक्यूशन हुए। सन् ५२-५३ में एक माडेल विलेज की स्कीम हरिजनों के लिये बनी थी और उस स्कीम पर ७ हजार रुपया खर्च भी हुआ तथा वह रिपोर्ट सामने भी आयी, लेकिन उस स्कीम को ठप कर दिया गया।

इसी तरह से नियुक्तियों का प्रश्न है। माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने उस पर बिलकुल चुप्पी साध ली क्योंकि वे अपनी कमजोरियों को जानते हैं कि जो पहले १० प्रतिशत था उसकी जगह पर १८ प्रतिशत तो रख दिया गया। यह ठीक है और प्रचार के लिये कहा जा सकता है कि हमने १८ प्रतिशत कर दिया है लेकिन वास्तव में हैं कितने, इस सम्बन्ध में आंकड़े जरा माननीय मंत्री जी हमको दें और इस सदन को बतलायें कि सेक्रेटेरिएट में गजटेड पोस्ट पर कितने हैं और दूसरे जो नं० १, २, ३ और नं० ४ ग्रेड के इम्पलाईज हैं, उनमें उनकी संख्या कितनी है ? अगर संख्या को देखा जाय तो गजटेड पोस्ट पर तो ०.१ से कम ही हम पायेंगे। इस समय जो आंकड़े हमारे पास हैं उनसे यह साबित होता है कि यू० पी० भर में केवल २५ गजटेड आफिसर हैं और ४१ बैकवर्ड क्लास के हैं। सारे यू० पी० में जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चपरासी से लेकर ऊपर तक, उनकी संख्या ११,५२१ है और अगर सारी सर्विसेज का अनुपात लगाया जाय तो इस हिसाब से १ परसेंट कुछ और बैठता है हरिजन सरकारी कर्मचारियों का। तो १८ प्रतिशत की जगह १ परसेंट कुछ हैं और सारे यू० पी० में बैकवर्ड क्लास का जो नानगजटेड स्टाफ है उनकी संख्या ३९,४२१ है। इससे अच्छी सर्विस तो मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियों की ही समझता हूं जहां बैकवर्ड क्लास की संख्या ७,५४१ है वहां सारे यू० पी० में सरकारी कर्मचारियों की संख्या सिर्फ ३,९४२ ही है। यह १/३ के लगभग आता है। तो अब यह कहा जा सकता है कि योग्यता के अनुसार लोग नहीं मिलते हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस सम्बन्ध में दूसरे राज्यों ने क्या किया है उसका भी जरा अनुकरण करें। सौराष्ट्र के ढेबर मंत्रिमंडल को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां एक कोचिंग क्लास की स्कीम निकाली कि जितनी योग्यता चाहिये उतनी योग्यता वाले आदमी न मिलें तो उनका क्लास लिया जाय और इस तरह से जो वहां सबसे अच्छे योग्य मिलें, या जो योग्यता की निर्धारित सीमा के कम से कम या अधिक से अधिक नजदीक पहुंच सकते थे उन लोगों को उन्होंने रखा और उनकी नियुक्ति की। उनके लिये रेफरेशर क्लास खोले और कोचिंग क्लास खोले। तो क्यों नहीं यू० पी० की सरकार बजाय यह कहने के कि हमको योग्य आदमी नहीं मिलते उनके लिये रेफ्रेशर कोर्स और कोचिंग क्लास खोलती जैसा कि सौराष्ट्र की सरकार ने किया है और शायद इस साल से मध्य प्रदेश और आसाम में भी ऐसा होने जा रहा है ?

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान समाज कल्याण रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में भी हरिजनों की सहायता के लिये बहुत कुछ कहा गया है। मैं समाज कल्याण रिपोर्ट के पेज १० की अन्तिम दो लाइनें ही पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। "सन् १९५४ में हरिजन कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर कुल व्यय ५ लाख रु० था। इस वर्ष १ करोड़ रुपये से भी कुछ अधिक होने की सम्भावना है।" इस रिपोर्ट में तो है कि इस वर्ष एक करोड़ से भी कुछ अधिक बजट होने की सम्भावना है लेकिन यह सारा बजट ही ७५ लाख रु० का है। तो, श्रीमन्, यह सरकारी रिपोर्ट में असंगति मैंने देखी और मैंने पूरे बजट को भी देखा। और शायद ३२ लाख रुपया स्वीपर्स के मकानों का भी अगर इसमें मिला लिया जाय तब भी वह १ करोड़ नहीं होता है। शिडयूल्ड कास्ट कमिश्नर, श्री श्रीकान्त जी, ने इस सम्बन्ध में ३ सुझाव दिये थे और उनका उसमें से पहला सुझाव यह था कि इन लोगों की मकानों की समस्या दूर करने के लिये एक हाउसिंग ऐक्ट बनना चाहिये, और जहां जहां पिछड़ी जातियां

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आबादी उनके मकानों की व्यवस्था उसके अनुसार होनी चाहिये। लेकिन उनके इस सुझाव को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं माना और कुछ ने पुराने हाउसिंग ऐक्ट को खत्म कर लागू कर दिया, परन्तु यू० पी० में वह भी नहीं हुआ? दूसरा उनका सुझाव था कि इन लोगों के लिये सिक्योरिटी आफ लैन्ड टिन्योर होना चाहिये और उन्होंने कहा था कि अगर बेदखली हो रही है और किसी की भूमि ले ली गयी है तो उनको रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से उस भूमि को वापस दिलाया जाय। यहां पर भूमि सुधार कानून आता है लेकिन उनको रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट नहीं दिया जाता है।

तीसरा उनका सुझाव उनके डैट रिडम्पशन के बारे में था। यानी उनको जो महाजन लोग जिन्दगी भर के लिये गुलाम बना लेते हैं, और एक तरह से खरीद सा लेते हैं वह न होने देना चाहिये, और जिसकी बड़ी से बड़ी मिसाल जौनसार भाभर के इलाके में कोल्टा लोगों को मिलती है और इसी सदन में जब बात चली थी तो उनके लिये कहा गया था कि वह अब भी पितामह और महापितामह तक का कर्जा चुका रहे हैं! यह समिति की रिपोर्ट है और इससे ज्यादा क्या नमूना हरिजनों के कर्जे का मिल सकता है! लेकिन मुझे दुख है कि सरकार ने इस कमीशन की रिपोर्ट पर कुछ ध्यान नहीं दिया। जो शिडूल्ड कास्ट कमीशन की रिपोर्ट संविधान की धारा ३८७ के अनुकूल है और जो विधान का निर्देश हमारे लिये है उसका पालन करने में सरकार को क्या कठिनाई है? यह साढ़े ५ लाख रुपये का हरिजन विभाग का एस्टेबलिशमेंट मौजूद है लेकिन कोई काम नहीं हुआ।

इसी प्रकार से एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स की बात कही जाती है कि उनके सेटिलमेंट के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है। इनको अब हैबिचुअल आफेन्डर कहा जाता है और इन पर पहले सन् ५३--५४ में जो खर्च था वह साढ़े ८ लाख का था और अब वह घटकर साढ़े ६ लाख रह गया है यानी २ लाख कम हो गया, इससे मालूम होता है कि सरकार की नजर में अब वह समस्या हल हो गयी है। इसके अलावा ३ साल से जितना रुपया भी इसके लिये रखा गया था वह खर्च ही नहीं हो पाया। सन् ५२--५३ की रिपोर्ट श्रीमन् देखें तो उसमें लिखा है कि डेढ़ लाख रुपया कोआपरेटिव सोसाइटीज वाला खर्च नहीं हो पाया इसके अलावा श्रीकान्त जी कहते हैं कि आपने अगर क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट रिपील कर दिया लेकिन जो हैबिचुअल आफेन्डर्स का कानून है वह भी प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है। उनकी पहली लाइन यही है कि हैबिचुअल आफेन्डर्स के बारे में कानून बन गया लेकिन वह प्रैक्टिस में लागू नहीं हो रहा है। यह आप जानते हैं कि सांसू या भातू या बरवार हरवार आदि लोग जो अलग-अलग सेटिलमेंट्स में हैं उनके लिए न किसी भूमि का प्रबन्ध है न रोजगार का इंतजाम है। उनको हर प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता है। लखीमपुर जिले की जो कालोनाइजेशन की स्कीम है मैं कहूंगा कि बजाय इसके कि हम इन चीजों पर एक दूसरे को बधाई देते रहें जरूरत इस बात की है कि हम कुछ ठोस काम करें जिससे भूमिहीनों को भूमि मिले और कर्जदार कर्ज से मुक्त हों और वह जो सदियों और शताब्दियों से उत्पीड़ित रहे हैं उससे उनकी मुक्ति हो। समय बहुत कम है मैं तो चाहता था कि कुछ और भी सुझाव रखता। तो उद्योग धंधों के सम्बन्ध में सरकार ने सिर्फ दो स्कूलों को एक गोरखपुर और एक नैनीताल में खोलने की बात कही है जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिये विद्यार्थियों को रखा जायगा। १३ लाख हरिजन विद्यार्थी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हैं उसमें से केवल १२० विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे और उसमें आप यह भी सोचें कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि केवल हरिजन ही उसमें नहीं रहेंगे बल्कि और लोग भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार समस्या के साथ खिलवाड़ करना अन्याय है। मैं जानता हूं, श्रीमन्, एक हरिजन या पिछड़ा वर्ग इस प्रकार की बातें ५,२० वर्षों में नहीं रहेंगी और हमारा वर्गहीन समाज बननेवाला है लेकिन केवल हमारे भाषणों से होने वाला नहीं है, बिना एक क्रांतिकारी कदम से वह होने वाला नहीं है। जैसा कि भारत के प्रधान मंत्री ने कहा था कि आज समाजवाद के सामने एक सबसे बड़ी रुकावट जातिवाद है, रूढ़िवाद है, तो आज इस महान् प्रयत्न को हम सब लोगों को मिलकर करना है। लेकिन

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी वर्तमान सरकार केवल लिप सिम्पैथी, केवल ओष्ठ प्रक्रिया के, ओठ हिलाने की प्रक्रिया के और कुछ नहीं करती। वह कोई ठोस प्रयत्न न सामाजिक, न आर्थिक और न भूमिहीनों के किसी भी दृष्टिकोण से कोई प्रयत्न नहीं कर रही है, केवल शिक्षा के क्षेत्र में फीस माफ कर दी गयी है, उसके अलावा और कोई प्रयत्न नहीं हो रहे हैं जिसके लिये हम माननीय मंत्री जी को बधाई दे सके।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में तो अवश्य खड़ा हुआ हूं लेकिन इसमें कुछ कमियां जरूर हैं। वह हम महसूस करते हैं, माननीय मंत्री जी भी महसूस करते हैं। प्रयत्न अवश्य किये जा रहे हैं कि वे दूर हो जायं वे अभी दूर नहीं हुयी हैं। हमारे देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं। हमारे स्वर्गीय बापू ने हरिजनों को सच्चे दिल से उठाया था और उनको हृदय से लगाया था लेकिन अफसोस है कि हममें से कितने आदमी इस सदन में हैं जो हरिजनों की वास्तविक समस्या क्या है यह समझते हैं। कहते बहुत कुछ हैं लेकिन जहां तक अमल में काम करने की बात है हम बहुत पीछे हैं। आज हम इस बजट को पढ़कर देखें तो १२ लाख ४५ हजार ९ सौ रुपये कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरः और रखरखाव में खर्च होता है। ५४ लाख १८ हजार ९ सौ रुपया ही केवल हरिजनों के लिये खर्च होता है। हमारे प्रदेश की आबादी सवा ६ करोड़ है उसमें १ करोड़ ६७ लाख से अधिक हरिजन हैं। अब अगर इसका हिसाब बैठाया जाय तो कितना नगण्य ५ आ० २ पा० फी कस बैठता है। इसी तरह से शिक्षा के आंकड़ों का हिसाब लगाया जाय तो आप देखेंगे कि १३ लाख हमारे हरिजन बालक स्कूलों में पढ़ते हैं तो करीब ३ रुपये ५ आने के करीब प्रति बालक बैठता है। मैं तो इसको मानता नहीं कि १३ लाख हरिजनों के बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि ३८ लाख बच्चे हमारे सारे सूबे में पढ़ते हैं। मैं तो किसी स्कूल में नहीं देखता, जिसमें १/३ बच्चे हरिजनों के हों। मैं इसको मानता हूं कि उत्थान हो रहा है लेकिन जो कुछ कार्य हो रहा है उसमें और प्रगति की आवश्यकता है, ऐसा हम सब एहसास करते हैं। लेकिन यह बात भी जरूर है कि हरिजनों के आत्मिक उत्थान का जो मसला है वह भी ठीक प्रकार से हल नहीं हो रहा है। आज हम उद्योग धंधों के लिये भी १ लाख ५५ हजार रुपये खर्च करना चाह रहे हैं, जिसमें हरिजनों का आर्थिक उत्थान हो। आज उद्योग धंधों की आवश्यकता है। हरिजन विभाग की ओर से काफी उद्योग धंधे हमारे ग्रामों में खुलने चाहिये। जहां तक उद्योग धंधों के लिये ग्रांट देने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में क्या हो रहा है यह सब माननीय सदस्यों को विदित है। यह भी उनको मालूम होगा कि हरिजन सहायक समितियों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे जिलों में जाकर उद्योग धंधों के लिये ग्रांट निर्धारित कर दें कि किस किसको कितनी ग्रान्ट मिलनी चाहिये, लेकिन जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो इन कमेटियों की सिफारिश पर कितना विचार होता है यह विचारणीय प्रश्न है। जो योग्य हैं जिसको देना चाहिये वह तो रह गया और जो रुपया भी उस काम में नहीं लगा रहे हैं और पाने के योग्य नहीं हैं उनको दे दिया जाता है, यह बड़े दुख की बात है। हम देखते हैं कि हमारा देश गरीब है, खास कर हरिजन गरीब हैं। मैं मानता हूं कि देश में पूर्व का इलाका ज्यादा गरीब है लेकिन इसका मतलब यह न होना चाहिये कि पश्चिम के इलाके को एक तरह से इग्नोर कर दिया जाय। जैसे पश्चिम के काश्तकार, भूमिधर ऊंचे उठे हैं वैसे ही वहां के मजदूर भी ऊंचे उठे हैं और जैसे पूर्व के काश्तकार गरीब हैं वैसे ही वहां के मजदूर भी गरीब हैं तो उसी स्टेटस और दायरे से हमको उन्हें उठाना भी चाहिये। तो इस तरह से जो रुपया हरिजन विभाग को दिया जाता है उसे सब जिलों में उनकी आवश्यकता को देखते हुये, संख्या को देखते हुये वितरित करें तो बहुत अच्छा होगा।

जहां तक छात्रवृत्ति का प्रश्न है, कहा जाता है कि हम तो ७५ रु० तक छात्रवृत्ति देते हैं ७५ रुपये कितने लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाती है और ७५ रु० के हिसाब से कितने रुपये दिये जाते हैं, इसके बारे में अगर पूछा जाय तो बहुत कम मिसालें मिलेंगी और एक तरह से कागज पर ऐसी चीज ले आयी जाती है। लेकिन अमल में जो चीज आती है वह नहीं के बराबर रह जाती है। तो देखना इस बात का है कि हमारे हरिजनों की वास्तविक दशा क्या है, उनकी

[श्री रामदास आर्य]

बस्तियों का क्या हाल है ? ऐसे घरों में वे रह रहे हैं कि अगर माननीय सदस्य उन्हें देखें तो वे अचरज करेंगे कि कोई जानवर भी उनमें रहना पसन्द नहीं करेगा । उनके मेहमान भी उन्हीं मश्राकर रहते हैं और वे भी उन्हीं में रहते हैं । कई बार पहले भी कहा गया कि बस्तियों पर ठीक ध्यान दिया जाय । थोड़ा सा रुपया बस्तियों के लिये रक्खा गया है उससे उनके मकान नहीं बन सकते । मेरी तजवीज तो यह है कि हर जिले में कुछ गांव छांट लिये जायं और वहां पंचायत घर बना दिये जायं, ताकि उनकी बारात तो ठहर जाय, उनके फंक्शन्स हो जायं, उनकी दिक्कतें दूर हो जायं । बरसात में बारात पेड़ के नीचे पड़ी रहती है, और गर्मी में तड़पती रहती है । अगर उन्हें वह अनुदान दे दिया जाय तो उनका कुछ फायदा हो जायगा । इस तरह से बस्तियों की समस्या हल की जाय । दशा सुधारने के लिये उद्योग धंधों की बात कही गयी । यह जरूर है कि उद्योग धंधे खोले जायं और यह रिसर्च करके खोले जायं कि किस उद्योग की कहां जरूरत है । मिसाल के तौर पर मुजफ्फरनगर में, कई बार कह चुका हूं कि वहां कम्बल, चमड़े, पीतल, छापे और रंगाई का काम अच्छा होता है; कोई तो उद्योग धंधा वहां खोलिये । कोई तो उसमें काम करिये तभी हम समझेंगे कि आपकी स्कीम कार्यरूप में परिणत हो रही है और अगर यह नहीं होता है तो उद्योग धंधों की दिशा में कैसे उन्नति होगी और कौन सा तरीका उनकी तरक्की का निकाला जायगा ? सिवाय इसके कि अमली काम करें, यह काम नहीं हो सकता है । मैं मानता हूं कि आपने कदम उठाया है, आपके हृदय में भी लगन है और हमारे हृदय में भी लगन है लेकिन उस लगन से जो काम हो वह ऐसा होना चाहिये कि आम जनता को इस बात का एहसास हो कि काम हो रहा है और महात्मा गांधी की जो आत्मा है उस को हम अमर कर रहे हैं । अगर यह काम नहीं होता और बरसों तक हम चिल्लाते रहे तो निश्चय ही हम हृदय में यह समझेंगे कि यह जो बजट है और इस तरह के जो काम हैं, वह सब बेकार हैं । उनसे हमें संतोष नहीं होगा । तो यह बातें जो थीं वह उनकी तरक्की और उत्थान के सिलसिले में थीं ।

शिक्षा के लिये जो बतलाया गया, उसमें भी उन्नति की आवश्यकता है और जब तक उसमें कार्य न होगा तब तक सफलता उसमें हमें नहीं मिलेगी । आज हम देख रहे हैं कि जो हरिजन डिपार्टमेंट से अनुदान पाने वाली संस्थायें हैं, खास कर प्राइमरी स्कूल्स, उनके टीचरों को जो तनख्वाह दी जाती है उसका अगर म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों से मुकाबला किया जाय तो वह बहुत कम है । तो आप ही सोचिये कि यहां शिक्षक कहां से काम करने के लिये आ सकते हैं ? मैंने दो साल हुये यह लिखकर दिया था कि क्या उनकी तनख्वाहें बढ़ादी जायंगी, लेकिन आज तक उस पर कोई तवज्जह नहीं हुयी है । अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम उन बातों को कहते हैं और उन पर अमल नहीं किया जाता है तो क्या आशा है कि इन पर अमल होगा ।

जहां तक हरिजनों की बात है, मैंने पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी से और अपनी सरकार से निवेदन किया था कि आप जब जिलों में जाया करें तो कलेक्टर साहब से यह पूछा करें कि वहां छोटे विभागों में कितने हरिजनों को १८ प्रतिशत के हिसाब से नौकरियों में रखा गया है । अगर ऐसा किया जाय तो संतोष हो सकता है और वह उसका खयाल रखेंगे इसलिये कि काम कुछ हो रहा है । जो कानून आपका पास हुआ, उसे कई साल हो गये लेकिन उस पर अमल कहां तक हुआ ? कई केसेज इस प्रकार के आये लेकिन उनको शहादत नहीं मिली । यह कानून इस प्रकार का है कि उसमें तरमीम की आवश्यकता है । तो जब तक इस तरह का कोई कदम न उठाया जायगा कि जिससे जनता को लाभ हो और जनता जिससे ठीक तरह से फायदा उठा सके तो उस समय तक मैं नहीं कह सकता कि हरिजनों के लिये कोई इस प्रकार का ठोस कार्य हुआ है कि जिससे उनकी उन्नति हो सकती है ।

*श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत अनुदान है मैं उसका स्वागत और समर्थन करते हुये माननीय मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसा अनुदान आपने सदन के सम्मुख पेश किया हैकि जिसपर इन पिछड़ी हुयी जातियों का उत्थान निर्भर है, और जिस अनुदान से तमाम कास्ट की कमजोरी और राष्ट्र की कमजोरी दूर होने वाली है। तो इस महत्वपूर्ण अनुदान के लिये मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। यह अनुदान जो आया है इसका उद्देश्य इन पिछड़ी हुयी जातियों का उन्नति करना है, उत्थान करना है। यह उत्थान किस तरह होगा ? मेरा तो यह निश्चय है, मेरा तो यह अनुभव है और मैं हमेशा सरकार से यह कहता आया हूं कि इन पिछड़ी हुयी जातियों के उत्थान के पांच साधन हैं। प्रथम शिक्षा, दूसरे भूमि, तीसरे उद्योग, चौथे नौकरियां और पांचवां उनके प्रति जो आमानुषिक व्यवहार होता है वह दूर कर दिया जाय। यह पांच साधन हैं उनके उत्थान के। इनके हो जाने से ही उनका वास्तविक उत्थान हो सकता है। अब इसके लिये देखना यह है कि हमारी सरकार ने इन पांच साधनों में से किन किन की पूर्ति की है। मैं कहता हूं कि इसमें जो पहला साधन शिक्षा का है उसकी बाबत मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वास्तव में शिक्षा में तो हमको बहुत कुछ मिल चुका है और बहुत सा होना अभी बाकी है। जब मैं इस सदन में आया था तो उस वक्त शिक्षा की बाबत अनुदान सात लाख थी अब ७४ लाख हो गयी है, यानी १० गुनी बढ़ी है इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। और वास्तविक मांग जो उत्थान की बाबत है वह दो करोड़ तक की है और जब दो करोड़ होगा तभी वास्तविक सुधार होगा।

दूसरे, भूमि की बाबत बहुत कुछ काम नहीं हो सका, बहुत थोड़ा हुआ है। जो कुछ आंकड़े इस वक्त तक भूमि की बाबत दिये गये हैं यह ऐसे हैं जैसे कुयें में बताशा डालने से कुआं मीठा होने की कल्पना की जाती है। भूमि की बाबत ८ साल पहले ५० हजार एकड़ की मांग पेश की थी। मैं यह भी कहता हूं कि जो ५ साधन मैंने उत्थान के बताये वे सारे प्रदेश के लिये लागू होते हैं, मैदान तथा पहाड़ के लिये। इसके अलावा भूमि के सम्बन्ध में मैं जहां रहता हूं वहां की बाबत कह सकता हूं कि वहां के लिये ७,८, साल पहले ५० हजार एकड़ भूमि की मांग पेश की थी, जो वहां भूमि है वह पहले से जिनके कब्जे में है उनकी है, जंगल की भूमि जंगलात के अधिकार में है और बची खुची फारेस्ट पंचायत के अधिकार में चली गयी। जब से हरिजनों और शिल्पकारों ने दर्ख्वास्तें दी, भूमि की बाबत बहुत कुछ प्रयत्न किया। मैंने मार्च सन् १९५० और फरवरी सन् १९५२ में प्रश्न पूंछे थे उससे मालूम हुआ कि ५ हजार दर्ख्वास्तें सन् १९५० तक आयीं और ५ हजार सन् १९५२ तक आयी हैं। इसके बाद इधर ५ हजार के लगभग और आ चुकी हैं। मेरा अन्दाजा है कि कम से कम १५ हजार दर्ख्वास्तें सरकार के पास आयी हैं उनमें से १०० पीछे अगर एक दर्ख्वास्त कामयाब हुयी होगी तो मैं नहीं कह सकता वरना सब कोई विचाराधीन है, कोई खारिज हुयी। जिनके पास धन की कमी है उन्होंने अपने बर्तन भांडे बेच करके, मेरा खयाल है कम से कम प्रत्येक दर्ख्वास्त पर १५,१५ रुपया लगाया होगा। तो कम से कम दो लाख या सवा दो लाख रुपया खर्च किया। इतना खर्च करके आखिर वही कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ भी नतीजा नहीं निकला।

मैं ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहता। रामनगर में कुछ शिल्पकारों ने सत्याग्रह शुरू किया इसलिये कि हमारी सरकार जनप्रिय है और हमारा बन्दोबस्त होना है। सरकार की घोषणाएं थीं कि हमको जमीन मिलेगी और यहां भी महामान्य राज्यपाल की घोषणा हुयी थी थी कि हरिजनों को भूमि दी जाय। अब इसी सदन में माननीय पंत जी ने भी यह कहा था कि जितने अंश में जंगलात से जमीन निकाली जायगी, वह निकाल कर दी जायगी। जमीन वन विभाग से ही निकल सकती है, लेकिन वह अभी तक नहीं निकली है। मामूली तौर पर उन आंकड़ों को देखा जाता है जो पहले अंग्रेजों के वक्त में दिये गये थे उनको मिलाया जाता है। तराई भाभर में जो कुछ हुआ उससे भूमिहीनों का नाम हुआ लेकिन जो वास्तविक हरिजन भूमिहीन हैं उनको नहीं मिली। तो सौ डेढ़ सौ से ज्यादा नहीं दिया गया। इससे बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी हालत में सत्याग्रह जो हुआ है, उन लोगों का कहना है कि हमको यह भूमि नहीं दी जाती है और ५० हजार एकड़ की मांग है। जंगलात के आफिसर्स ने आश्वासन दिया था कि जमीन दी जायगी, इसी आश्वासन पर वह समझने लगे कि हमको जमीन मिल जायगी।

[श्री बुशीराम]

जंगलात के आफिसर्स से यह मालूम हुआ कि यह जमीन घास के लिये है, देने के लिये नहीं है। तो हमें तो अन्न के लिये जमीन चाहिये, घोड़ों के लिये घास उगाने के लिये नहीं चाहिये। उसमें घास हो रही है। इसलिये सत्याग्रह करने वालों का कहना वास्तव में सही था। जब चार आदमी हैं, उनमें ३ मालदार हैं तो एक गरीब क्यों रहे? एक ओर तो हमारा संविधान कहता है कि सबको बराबर बना लो, सबकी आर्थिक दशा समान होनी चाहिये और यही हमारे राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्य मंत्री का ध्येय है कि उनको ऊपर उठाना है। लेकिन वह उठेंगे, जब उसके लिये उनको साधन नहीं दिये जायेंगे? मतलब यह है कि जहां तक हो सके उनके लिये भूमि का इन्तजाम होना चाहिये। पहाड़ में और भी चीड़ के जंगल हैं, वह ऐसे हैं कि वहां न तो घास उगती है और वह भूमि पानी सुखा लेती है। तो ऐसी हालत में कमेटी में भी मेरा यह सुझाव था कि कम से कम २० हजार एकड़ भूमि चीड़ के जंगल से निकाल कर १० हजार एकड़ तो भूमिहीन आबादी के लिये दी जाय और १० हजार एकड़ फलदार और पत्तीदार पेड़ों के लिये सुरक्षित कर दी जाय। वहां केवल चीड़ ही उगता है। मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि ये अनुदान आपके अधीन है तो इसका सुधारना आपके हाथ में है। मेरी सारे सदन से प्रार्थना है कि हरिजनों की हीन दशा केवल पहाड़ों पर ही नहीं है बल्कि सभी जगह उनकी आर्थिक दशा बड़ी दयनीय है और बिगड़ी हुयी है, इसलिये उसको सुधारने का प्रयत्न किया जाय।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, यह कहना कि कांग्रेस सरकार ने बैकवर्ड क्लासेज या हरिजनों के लिये आज तक कुछ नहीं किया है यह उचित न होगा, लेकिन दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि आज तक जो कुछ भी किया गया है वह इतना काफी नहीं है कि जिससे उन जातियों में संतोष हो सके। मान्यवर, जो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४६ में स्पष्ट कर दिया गया है :---

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the peopled, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

श्रीमन्, जहां एक तरफ यह कहा जाय कि उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है, मैं यह उस सरकार से आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि कितना समय लगेगा, जिस रफ्तार से आज वह पिछड़ी जातियों और हरिजनों का सुधार और उद्धार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह निर्धारित समय जो दस वर्ष का है, वह भी पर्याप्त नहीं हो सकता है इस सरकार के लिये और फिर भी इस सरकार के लिये, वही परिस्थिति रहेंगी, वही मजबूरी रहेंगी जो कि आज हैं। मान्यवर, यह कहना किसी भी सरकार के लिये बहुत ही सरल है कि हमारी यह नीयत है, हमारा यह डायरेक्टिव है और हम इस मार्ग पर चलने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं और इस लक्ष्य पर हम शीघ्रातिशीघ्र पहुंचेंगे। लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर हुआ करता है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय, उपमंत्री महोदय की नीयत पर मैं कभी भी हमला नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं, और मुझे विश्वास है कि मुझसे कहीं कम उनके दिल में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लिये स्थान नहीं है। मान्यवर, आज जो सबसे बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है वह यह है कि लोग यह समझते हैं कि हरिजन और पिछड़ी जाति हमारे पीछे इतनी मजबूर है कि वह सदा हमारे साथ ही रहेगी। मैं आपके द्वारा कांग्रेस सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि उसका कभी नाश होगा, यदि कभी वह अपना पतन देखेगी तो उन्हीं हरिजन और बैकवर्ड जाति के द्वारा देखेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, आज जो हरिजनों में असंतोष है वह सबको मालूम है, परन्तु आज वह अनुशासन में बंधे हुये हैं, उनके सामने यह भी कठिनाई है कि आज उनके पास ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जिसके अधीन वह अग्रसर हो सकें। श्रीमन्, जहां तक पिछड़ी जाति का प्रश्न है वह आपको और इस प्रदेश के कोने कोने में सभी को मालूम है कि यह शोषित संघ उसी का स्वरूप ही रहा है। इसमें क्या है, श्रीमन्, आज यह आप से भयभीत होकर अलग नहीं हो सकते हैं और पिछड़ी जाति में भी असंतोष है। वह समझते हैं कि कांग्रेस में हिम्मत नहीं है, अब उसमें शक्ति बाकी नहीं रह गयी है जिससे पिछड़ी जातियों का उद्धार कांग्रेस में रह करहो सके। हरिजनों केलिये भी यह कठिनाई है, लेकिन वह विवश हैं।

मान्यवर, आज मैं समझता हूं कि डाक्टर अम्बेदकर अगर लाभ उठा पाये तो भारत की हिस्ट्री ऐसी होगी जो काले अक्षरों में लिखी जायगी। श्रीमन्, आप दूर न जाइये, आपको प्रदेश के किसी जिले में जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप कौंसिलर्स रेजीडेंस में ही जाकर देख सकते हैं कि हरिजन मेम्बरों में और पिछड़ी जाति के मेम्बरों में इस सरकार के प्रति कितना विश्वास बाकी रह गया है, यह वहां पर दृष्टिगोचर हो सकता है और सबको असंतोष है लेकिन वह लोग अनुशासन भंग नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस जिसमें वह मुद्दतों से रह चुके है उससे उनका विलग होना सरल बात नहीं है। इस परिस्थिति में वह आपके साथ हैं क्योंकि वह कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के लिये भी उचित नहीं होगा कि उनको ठुकराये।

मान्यवर जहां तक पिछड़ी जाति तथा हरिजनों का प्रश्न है अगर कांग्रेस इस मसले को नहीं सुलझाती है तो इसकी प्रतिक्रिया १९५७ में ही नजर आ सकती है और अगर ५६ में न आयी तो थोड़े ही दिनों में आप यह देख सकते हैं कि उनमें जब पोलिटिकल कांशसनैस आ चुकी है। तो उसका अगर आप गला घोंटना चाहते हैं तो यह आपकी प्रथम श्रेणी की मूर्खता होगी और इस ओर कोई संलग्न है तो वह कांग्रेस सरकार है, इसलिये कि उन्होंने उनको रास्ता बतला दिया है और जो उनकी मांगें उचित समझी जाती थीं आज वह अनुचित समझी जाती हैं। मान्यवर, जो चीज आज से दस साल पहले उचित हो सकती थी और जबकि कांग्रेस के लोग उसकी सराहना करते थे तो उसमें आज कौन सी बुराई आ गयी, जिससे कि उन उद्देश्यों से आपको ग्लानि हो रही है, घृणा पैदा हो रही है? कांस्टीट्यूशन में भले ही डायरेक्टिव हो, मंत्री और उपमंत्री की इच्छायें भी हों कि इन जातियों का कल्याण हो, परन्तु आज इस सूबे में मैं कह सकता हूं कि न तो डेमोक्रेसी है, न ओलीगैरकी है बल्कि प्योर एंड सिम्पिल ब्यूरोक्रेसी है जिसमें कि आज बहुत से मंत्रिगण बहुत सी चीजें चाहते भी हैं लेकिन वे मजबूर हैं, कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से वे कुछ कर नहीं पाते हैं। यहीं नहीं, अभी तो इब्तदा है! एक ही कठिनाई नहीं बल्कि अगर यह बजट सेशन एक महीना और भी चलता रहा तो यह अच्छी तरह से लोगों को मालूम हो जायगा कि इस गवर्नमेंट में कितनी पोल है और कितने दिनों तक यह कायम रह सकती है? श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज यह बजट सदन के अन्दर पेश हुआ है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। पहले मैं पूज्यनीय बापूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से आज यह हरिजन समुदाय के उत्थान का बजट पेश हुआ है। जहां श्री रामचन्द्र जी ने त्रेता युग में भीलनी के यहां बेर खाकर उसका उद्धार किया था उसी तरीके से आज जौनपुर के ठाकुर हरगोविंद सिंह जी ने प्रांत के हरिजनों का उद्धार करने का बीड़ा उठाया है और आशा है कि वह क्षत्री कुल में होते हुये भी इस हरिजन समुदाय की समस्याओं का हल करेंगे। साथ ही आज हमें यह बहुत खुशी है कि गांधी जी का जो लक्ष्य था जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हरिजन का बच्चा हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा आज उसी लक्ष्य की पूर्ति हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा में देखने में आयी कि जब आज एक हरिजन के बालक डाक्टर सीताराम जी ने हरिजन उत्थान का बजट प्रस्तुत किया, जिससे इस देश के सारे हरिजनों का उद्धार होगा।

[श्री गंगाप्रसाद]

ठाकुर साहब ने सन् ५७ की बात कही। ठाकुर साहब, भूल जाइये। जब आपकी जमींदारी थी, जब अंग्रेज साम्राज्यशाही यहां पर थी तब आपने हमारे साथ क्या किया? हमें कहीं का न रखा। हमसे हरी, बेगार और न जाने क्या-क्या काम लेते थे। शिक्षा के लिये जब मैं स्कूल जाता था तो हमें खदेड़ा जाता था, टाट पर नहीं बैठने दिया जाता था, लोग कहते थे कि अगर यह हरिजन पढ़ गया तो इसे कुर्सी मिलेगी, यह हमारे सामने बैठेगा। यह आपके जमाने की हालत थी। आज पूज्य बापू की प्रेरणा से, कांग्रेसी नेताओं की प्रेरणा से, जवाहर लाल जी और पंत जी की प्रेरणा से हम इस स्थान पर रिजर्वेशन करा के यहां बैठे हुये हैं और चाहे जिस तरीके से हो हम ८३ भाई एक साथ बैठकर अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप समझते हों कि यह कांग्रेस जो समाजवादी ढांचा लाना चाहती है, जो वर्णहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना इस देश में करना चाहती है वह फिर उन दकियानूसी चीजों को ले आये तो यह नहीं होगा। आज भले ही कुछ हरिजन भाई गुमराह हो जायं लेकिन हरिजन यह अच्छी तरह से समझते हैं कि जहां गांधी का आदर्श हो, जिसमें सन्त विनोबा जी जैसे महापुरुष हों उसी संस्था के द्वारा उनका कल्याण हो सकता है। आज ठाकुर साहब सन् ५७ की धमकी दे रहे हैं लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिये कि अब धन और धरती बट कर रहेगी, हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं।

अब मुझे कुछ बातें इस विभाग से भी कहनी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमको परम खुशी है कि ३१ अगस्त सन् १९५२ को जो क्रिमिनल ट्राइब्स थीं, अपराधशील जातियां थीं, वह आजाद हो गयीं। यह दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। उसी दिन इन जातियों के गले की जंजीर कट गयी और आज उस जंजीर के कटने से वह आजादी के साथ इधर-उधर आ जा सकते हैं। भारत सरकार ने ८ लाख रुपया और अपराधशील जातियों के उत्थान के लिये दिया है। सरकार तीन साल से बराबर यह कोशिश कर रही है कि उनको बसाया जाय। गोंडा जिले में २१ हजार रुपया उनके लिये खर्च किया जा रहा है। २०० एकड़ भूमि में बसाने के लिये वहां पर प्रबन्ध किया जा रहा है जिसमें ४३ परिवार तो वहां पर बस गये हैं और उनके लिये ४० मकान भी बना दिये गये हैं। कुछ गिर भी गये हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ठेकेदारों का काम जिस प्रकार का होता है। बहुतों की हालत भी इसी प्रकार की है। तो सरकार को यह भी देखना चाहिये कि यह रुपया उचित रीति से व्यय किया जाय, जिससे हरिजनों का उत्थान हो। यह क्रिमिनल ट्राइब्स और यह बर्बर जातियां सब काम जानती हैं। कालीन बुनना यह जानती हैं, दरी बुनना यह जानती हैं और निवार का बुनना भी यह बहुत अच्छा जानती हैं। इनके उद्योगधंधे सरकार को बढ़ाने चाहियें। हमारे जिले में बहुत जमीन पड़ी हुयी है। राजा मोतीचन्द के उत्तराधिकारी ज्योतिभूषण और हिन्दूभूषण ने अपनी बहुत सी जमीन का पट्टा महालक्ष्मी कम्पनी को दे दिया है। उनसे उस जमीन को लेकर इन अपराधशील जातियों को दे दिया जाय तो इनकी समस्या हल हो सकती है। अभी हाल ही में सरकार ने गोलागोकरननाथ में इन लोगों को बसाने के लिये कुछ जमीन ली है। वहां पर करीब ८५ एकड़ जमीन में चना बोया गया, जो खड़ा हुआ है। वहां करीब ७० फैमिलियों को बसाने के लिये मकान भी बनाये जा रहे हैं। परन्तु एक बड़ी भारी बात यह है कि जो जिन्दगी भर कटघरे में रहा हो उसको बाहर निकलने पर हवा लग सकती है और वह कैसे इस तरह से रह सकता है तो उनके निर्वाह का प्रबन्ध भी कुछ न कुछ होना चाहिये। वहां पर एक सैटिलमेंट के लिये अधिकारी भेजे गये हैं वहां पर वह अधिकारी इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार कर रहा है कि कोई भी आदमी वहां पर बसने के लिये तैयार नहीं है। अगर उस अधिकारी को वहां से हटा दिया जाय तो वहां पर लोग बसने के लिये तैयार हो सकते हैं और मुझे आशा है कि वहां पर लोग बस सकते हैं और रह सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो मकान बनाये जा रहे हैं उनके अन्दर मुर्गे भी नहीं रह सकते हैं। उन मकानों को आप जाकर देखें कि १२ बाई १० का तो एक कमरा है और ४ बाई ५ का किचन है। कोई आदमी भला उसमें

किस तरह से रह सकता है ? जब कि सरकार इतना रुपया वहां पर खर्च करने जा रही है और हजारों रुपया खर्च कर रही है तो इस तरीके पर यह मकान बनाकर यह रुपया बर्बाद किया जा रहा है उनके अन्दर उनके बच्चे भी नहीं रह सकते हैं । कहां पर वह अपना अनाज रखेगा और कहां पर वह अपना दूसरा सामान रखेगा । मुझे आशा है कि सरकार इस नक्शे को खत्म करके कोई दूसरा नक्शा बनायेगी जिससे वहां पर उनके आराम के लिये दूसरे मकान बन सकें । कहां पर उनके बच्चे रहेंगे और वह सोयेंगे इस बात का उनमें खयाल नहीं रखा गया है । यह सारी चीजें अच्छे तरीके से होनी चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो वहां पर कोई भी बसने के लिये तैयार नहीं होगा । जिस प्रकार से रिफ्यूजीज को मकान बनाकर बसाया गया है उसी तरीके से इनको भी बसाने का प्रोग्राम बनाया जाय तो वे लोग वहां पर बस सकते हैं और रह सकते हैं । इसके साथ-साथ वहां पर दूर तक कोई बाजार नहीं है । तो इसके लिये भी कोई प्रबन्ध होना जरूरी है । अभी तक वहां पर १०० एकड़ जमीन में काश्तकारी की गयी है और बाकी जमीन इसी प्रकार से पड़ी हुयी है तो उस बाकी जमीन को भी तोड़ने की जरूरत है और अगर उसको भी तोड़ दिया जाय तो उससे लाभ हो सकता है । आज यह कहा जाता है कि इस तरीके से अपराधशील जातियों का उत्थान हो रहा है, लेकिन जब वह कहीं पर जाते हैं नौकरी करने के लिये तो उनको नौकरी नहीं दी जाती और उनको कह दिया जाता है कि तुम तो चोर हो और तुमको कैसे नौकरी दी जाय । आज हालत यह हो गयी है कि हमारे लोगों को रिक्शा चलाना भी दुश्वार हो गया है । कोई हलवाहा भी नहीं रखता है, हरिजनों को तो रख लिया जाता है लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स भाइयों को कोई भी अपने यहां जगह देने के लिये तैयार नहीं है । जब इस समाज की यह हालत है तो किस तरह से उनका उत्थान हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें ४ मिनट का समय और दे दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स की ओर से केवल एक मैं ही बोलने वाला हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--मेरे पास बहुत से लोगों के पर्चे आये हुये हैं इसलिये और अधिक समय देना तो कठिन होगा ।

श्री गंगाप्रसाद--श्रीमन, हरिजनों के लिये एक नियोजन विभाग खोला गया है । यह एक भानुमती का कुनबा है वहां की हालत बहुत ही खराब है वहां कोई भी हरिजनों की समस्या को छूता भी नहीं है । वे तो केवल अपनी योजनाओं में मस्त रहते हैं इसके लिये आवश्यक है कि हर जिले में एक हरिजन सहायक विभाग खोला जाय क्योंकि हरिजन अधिकारी ही हरिजनों का ज्यादा ख्याल कर सकते हैं । इसलिये हर जिले में हरिजन विभाग खोला जाय तभी हरिजनों का कल्याण हो सकता है ।

*श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस समय सदन के सम्मुख है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जो खर्चा इस विभाग पर सन् ४५-४६ में होता था और जो खर्चा आज हो रहा है यानी सन् ५५-५६ के बजट में रक्खा गया है और सरकार द्वारा जिसकी मांग की जा रही है, उसको देखने से यह पता चलता है कि सरकार हरिजनों के उत्थान के लिये कितना आगे बढ़ रही है उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कितना कार्य कर रही है । कटमोशन मूव करते हुये माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि इस बजट को देखने से पता चलता है कि शिक्षा के अलावा और कोई बजट नहीं रक्खा गया है लेकिन मेरा तो यह निश्चित मत है कि अगर हरिजनों में शिक्षा की कमी न होती अज्ञान न होता, तो शायद आज हम उस स्थिति में न होते जिसमें हैं और हमें उन कठिनाइयों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामस्वरूप भारतीय]

का सामना न करना पड़ता जिनका हमें करना पड़ा है। मैं तो समझता हूं कि किसी भी देश, जाति या समाज के उत्थान के लिये, उनकी बेकारी को दूर करने के लिये, उनकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिये, किसी भी सरकार का पहला कर्त्तव्य उनको शिक्षा देने का होना चाहिये। जितना ही अधिक शिक्षा का प्रसार होगा उतना ही हमारा देश और समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। अभी हमारी तरफ के एक वक्ता महोदय ने तो यह कहा कि सरकार द्वारा और सदन के माननीय सदस्यों द्वारा कह दिया जाता है कुछ और और किया कुछ और जाता है। अस्पृश्यता को दूर करने का भी जिक्र किया और यह कहा कि इस ओर सरकार दृष्टि नहीं कर रही है और यह कि सवर्ण का सहयोग प्राप्त नहीं है। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हरिजन जिस स्थिति में हैं उसको देखने से यह पता चलता है कि यह स्थिति सवर्णों के सहयोग से ही प्राप्त हुई है। आज हम लोगों के बीच में दो तरह की विचारधारा के लोग कार्य कर रहे हैं। एक विचारधारा तो यह कहती है कि अस्पृश्यता शहरों से तो करीब-करीब खत्म हो चुकी है और देहातों में कहीं कहीं पायी जाती है। दूसरे लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता बिलकुल खत्म नहीं हुयी है और उस ओर सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस ओर सरकार की ओर से काफी काम हुआ है। सरकार ने भी काफी धन इसके लिये दिया और सवर्णों की संस्थाओं द्वारा भी काफी सहयोग प्राप्त हुआ है, यह सहयोग सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कहा गया कि सरकार की तरफ से कुछ काम नहीं हो रहा है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। सरकार के द्वारा शिक्षा की उन्नति के अलावा हरिजनों के लिये और भी विशेष कार्य किये जा रहे हैं जैसा कि अभी हमारे भाई खुशीराम जी ने यह बतलाया कि शिक्षा के अलावा भूमि, कुटीर उद्योग भी हरिजनों के उत्थान के लिये आवश्यक हैं। जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, इस ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। भूदान द्वारा जो जमीन प्राप्त हो रही है उसमें से अधिकांश जमीन भूमिहीन हरिजनों को दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने अपने ग्राम पंचायत मैनुअल में भी ऐसा प्रबंध कर रखा है कि जो गांव की जमीन खाली हो, उसमें से सबसे पहले भूमिहीन हरिजनों को जमीन दी जायगी।

मुझे तो अपने जिले प्रतापगढ़ के बारे में विशेष तौर पर कहना है कि वहां हरिजनों के लिये विशेष काम हो रहा है। जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, काफी भूमि हरिजनों को जो जमीन कि भूदान से मिली है उसमें से दी गयी है और गांवों के अन्दर गांव समाज द्वारा भी काफी भूमि भूमिहीन हरिजनों को दी जा रही है। इसके अलावा देखा यह गया है कि जो कुटीर उद्योग हैं उनमें कुछ ऐसे क्लास के भी हैं जो विशेष महत्व के हैं और हरिजन लोग उनको अधिकांश रूप में करते हैं या बड़े पैमाने पर करते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे उस ढंग से जिस ढंग से कि करना चाहिये नहीं कर पाते हैं। इस विषय में भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और अनुदान देकर इन कुटीर उद्योग धंधों को काफी प्रोत्साहित कर रही है। तो इस तरीके पर सरकार का ध्यान हरिजनों का उत्थान करने के लिये और उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये जितनी भी दिशाओं में हो सकता है सभी दिशाओं में सरकार का ध्यान है। शिक्षा, भूमि तथा कुटीर उद्योग धंधों के अलावा सरकार ने हरिजनों के लिये पानी पीने के कुओं का भी प्रबंध कर रखा है। हर साल काफी रुपये नये कुवें निर्माण के लिये दे रही है और पुराने कुओं के निर्माण के लिये भी काफी रुपया दिया जा रहा है। इस प्रकार से काफी रुपया दिया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं अन्त में एक दो सुझाव सरकार को विशेष तौर पर देना चाहता हूं और वह यह है कि अभी तक जिलों में सरकार की ओर से हरिजनों के लिये दो प्रकार के सुपरवाइजर काम करते हैं लेकिन दोनों के काम एक होते हुये भी उनकी तनख्वाह में विशेष अन्तर है। सरकार ने किसी हद तक तनख्वाह के अन्तर को तो दूर किया है लेकिन अभी भी इनके टी०ए० में विशेष अन्तर है। डी०सी० सुपरवाइजर को १५ रु० टी०ए० मिलता है और एजूकेशन सुपरवाइजर को २० रु० मिलता है। दोनों को दौरा करना पड़ता

हैं और काम भी एक सा ही करना पड़ता है, तो सरकार का ध्यान मैं इस ओर भी विशेष तौर पर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अन्तर को भी दूर करना चाहिये, कार्य में एफिशियेंसी लाने के लिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से पहले नाइट स्कूल, लाइब्रेरीज तथा डे स्कूल भी चलते थे। नियम यह था कि लोग स्कूल खोल कर साल भर चलाते थे और सरकार आखिर में अनुदान दिया करती थी लेकिन इस साल पता लगा है कि उन स्कूलों के लिये इस प्रकार की हरिजन संस्थाओं के लिये इस बजट में कोई प्राविजन नहीं है। तो मैं सरकार से विशेष तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार को इस प्रकार की संस्थाओं की मदद नहीं करना था तो पहले ही उसे यह घोषणा कर देनी चाहिये थी कि हम इस साल नयी संस्थाओं की मदद नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग साल भर से इस प्रकार की संस्थाओं में काम कर रहे हैं अवैतनिक रूप में, वे बेचारे अपने लिये कोई और काम करते और अपने जीविकोपार्जन का साधन निकालते। इसलिये सरकार इस ओर भी विशेष ध्यान दे।

†श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, देश आजाद हुआ और जिस वक्त यहां पर बाहरी देश के लोग राज्य करते थे तो एक समुदाय यहां पर ऐसा भी था जो अपने बड़े भाई का भी गुलाम कहा जाता था और वह समुदाय गुलामों का भी गुलाम कहा जाता था। देश ने आजाद होने पर बाहरी लोगों की गुलामी से तो छुटकारा पाया लेकिन जो दूसरे लोग पिछड़े समुदाय को गुलाम बनाये हुये हैं उनकी गुलामी से भी अभी हरिजनों को निकलना है और उन बन्धनों को काटना है और उसी गुलामी को दूर करके जन कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य हमारी राज्य सरकार ने बनाया है। जब हम यह कल्पना करते हैं कि यहां जनकल्याण-कारी राज्य की स्थापना कैसे हो, हम ५ साल से जनकल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में लगे हैं और अब तो हम एक सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं और यही नहीं हम यह भी चाहते हैं कि जो आपस की बीच की खाई समाज में है वह भी दूर हो और खाने पीने, रहन-सहन, शिक्षा की व्यवस्था और दवादारू की व्यवस्था सब के लिये हो और जितनी भी जीवन की सुविधायें हैं उन सब में सबके लिये बराबरी लायी जाय। जो एक बड़ी भारी खाई, धार्मिकता की, जातीयता की या वर्गवाद को लेकर अभी है उसको हमें मिटाना है। जब हम देखते हैं कि हमारे सामने इतना बड़ा भारी लक्ष्य है और वह जो एक बड़ा समुदाय है वह भी पिछड़ा हुआ है, गांधी जी ने उस वर्ग के लिये आवाज उठायी थी और हमारी मौजूदा सरकार ने उनके लिये जो काम किये हैं, किये जरूर हैं लेकिन वह बहुत न्यून हैं और उनका कोई महत्व नहीं रह जाता और हम उसको अधिक महत्व नहीं दे सकते जबतक हम उस पूरे पिछड़े वर्ग की मनोकांक्षा की पूर्ति नहीं करते। जितनी सुविधाओं की जरूरत है कि यहां जनकल्याणकारी राज्य स्थापित हो वह चीजें अभी नहीं हो रही हैं और जब तक वह नहीं मानते हैं कि हमारे लिये सुविधायें दी जा रही हैं तब तक हम कैसे विश्वास करें कि यहां सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी आयेगा। जिस समय यहां पर बैकवर्ड क्लासेज कमीशन आया तो कुछ लेजिस्लेटिव के माननीय सदस्यों ने भी एक-एक मेमोरेन्डम उस कमीशन को दिया और उस में जो बातें दिखाई गयी हैं उनको सरकार अगर आंख खोल कर देखे तो उसको पता चलेगा कि अभी सरकार के इस काम के संचालन में कितनी कमी है। जब माननीय पंडित गोविंदवल्लभ पंत जी यहां मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में दारुलशफा में कहा था कि हम हरिजनों के लिये अनलिमिटेड एमाउन्ट खर्च करेंगे लेकिन मुझे दुख है कि ऐसे मौके पर इस तरह के एलान किये जाते हैं परन्तु सदन में जिस समय बजट बनता है तो उन वादों को भुला दिया जाता है। जो वादे किये जाते हैं उनको बालाएताक कर दिया जाता है। अगर हम देखें तो पिछले साल हरिजनों का खर्च बजट में ७५ लाख ८४ हजार था और इस साल का अनुमान ७४ लाख का है बैकवर्ड

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]

जातियों का, रिक्लेमेशन का और सेटिलमेंट का सब का रुपया जोड़कर दिखा दिया गया है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा। सब को मिलाकर कहा जाता है कि हमने हरिजनों के लिये ७५ लाख रुपया रखा है। जहां हम जनता को धोखा दें और कहें कि हम हरिजनों पर इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं और वास्तव में उनकी शिक्षा पर और दूसरी बातों पर केवल ४८ लाख रुपया खर्च किया जाता हो जिसमें से ४० लाख कुछ हजार शिक्षा पर खर्च किया जाता हो और इसके लिये दम भरा जाता है कि हम उनके लिये बहुत काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यह खुद ही अपनी तारीफ करने वाली बात है, यह प्रोपेगेंडा की बात हो सकती है लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको नहीं छिपाया जा सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को एक मर्ज सा हो गया है कि वह अपनी तारीफ कराना अच्छा समझती है। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है।

हमारे यहां एक हरिजन सहायक विभाग है, उसका कार्य संचालन यहां किस तरह से होता है? आपका जो हरिजन सहायक बोर्ड है उसको कहा जाता है कि वह हरिजनों का गार्जियन है और कस्टोडियन है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है लेकिन उसकी गत मीटिंग जो नैनीताल में हुई उस की सिफारिशों को सरकार ने कतई नहीं माना और छात्रवृत्ति आदि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुयी और न कोई ध्यान हरिजनों के बजट को बढ़ाने में रखा गया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आपको अपने यहां जन कल्याणकारी राज्य बनाना है तो हरिजनों के लिये आप को तमाम सुविधायें देनी होंगी और एक निश्चित योजना के अनुसार चलकर इस मामले को देखना होगा और देखना होगा कि उनके लिये देश की दूसरी सरकारें क्या कर रही हैं। चूंकि समय कम है इसलिये मैं अधिक नहीं कह सकता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जहां सरकार को भरोसा है कि वह दूसरे प्रदेशों से अधिक प्रयास हरिजनों के लिये कर रही है तो वह 'हरिजन टुडे' जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की किताब पब्लिकेशन ब्योरो निकली है और जिसमें सारी सरकारों के आंकड़े निकले हैं उसमें मुकाबला कर लें और यू०पी० के फिगर भी देख लें कि वह कितने कम हैं। दिल्ली हमारे पड़ोस में एक छोटी सी स्टेट है जिसकी आबादी हमारे मेरठ जिले के बराबर है और वहां पर मैं आप को बता देना चाहता हूं कि पहले साल से छात्रवृत्तियों में ७६ गुना वृद्धि हरिजनों के लिये हुयी है। हमारा इतना बड़ा देश है नैनीताल में पानी की व्यवस्था के लिये एक लाख रुपया रखा गया है अगर हर जिले को एक-एक लाख रुपया देते और वहां की समस्या को देख कर हर जिले को यह इतना रुपया दिया जाता तो बहुत कुछ कल्याण हो सकता था। अगर शुरू से देखा जाय तो जैसा कि कहा गया अच्छा हो कि हरिजन सहायक विभाग को शिक्षा विभाग से मिला दिया जाय।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर बोलने के लिये आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यह जो हरिजन और पिछड़ी जातियों का अनुदान पेश है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमारे संविधान की मंशा यह है कि हमारे देश में वर्गहीन, जातिविहीन समाज बने और उसको कायम करने के लिये सब से पहले कौन तैयार होगा, वही इसके लिये ज्यादा उत्सुक है जो देश में धनहीन हैं और भूमिहीन हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ज्यादा धन है या अधिक जमीन है वह तो चाहते हैं कि यह बात जल्द न हो और देश में वर्गहीन समाज न कायम हो। सब को आराम तभी हो सकता है। उसी तरह से जातिविहीन समाज को कायम करने के लिये और संविधान की मंशा को को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये वही लोग सबसे पहले तैयार होंगे जो जातियों में सबसे नीचे और सबसे ज्यादा अपमानित और दबाये हुये रहे हैं, जिन्होंने अपने इसी अपमान के कारण अपने नामों को छिपाने के लिये सबसे अधिक प्रयत्न किया था, वही सबसे पहले चाहेंगे कि जाति-पांति खत्म हो ताकि जो उन्हें लज्जित होना पड़ता था और अपने नामों को छिपाना पड़ता था वह खत्म हो लेकिन वह वर्ग तैयार नहीं होगा जिनको जाति के नाम पर सम्मान मिलता था और आगे बढ़ने का जिन्हें अवसर मिला करता था, वे चाहेंगे कि जितनी ज्यादा देर तक यह जाति-पांति

बनी रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन हम सभी माननीय सदस्यों ने संविधान की शपथ खाई है और इसलिये हमारे सदस्यों का और सभी सरकारी कर्मचारियों का भी कर्त्तव्य है कि संविधान की मंशा को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये तैयार हों और अपने-अपने क्षेत्र में जाकर हम सब अपने-अपने वर्ग को समझावें कि हमारे संविधान के अनुसार हमें क्या करना चाहिये। आज हमें खुशी होती है कि हमारे उन्नत वर्ग के भाइयों की मनोवृत्तियों में भी काफी परिवर्तन हुआ है और उन्होंने कई वर्षों तक हरिजन समस्याओं को समझने की कोशिश की है और अब जाकर समझा है कि इसके लिये जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है और उन्होंने उसे उठाने का प्रयत्न किया है और इसके लिये हम सभी माननीय सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ग विहीन और जातिविहीन समाज को कायम करने के लिये दो तीन बातों पर बहुत ध्यान देना है। पहली बात तो शिक्षा की है। पिछड़ा कहने में किसी को खुशी नहीं होती, सबको दुख होता है और हमको तो शर्म आती है, लेकिन किया क्या जाय? जो बात है वह है। बहुत दिनों से पिछड़े भाइयों ने अपनी जातियों को ऊंचा नाम दिया कोई शर्मा बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई कुछ बना लेकिन यह समस्या टस से मस नहीं हुयी और वह कलंक धुला नहीं और वह जहां का तहां है। तो अब लोग सोचने लगे कि क्या करना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा में जो पिछड़े हुये हैं उनको शिक्षित बनाया जाय। इससे वे होशियार तो होंगे। लेकिन इससे उनको समाज में समानाधिकार नहीं मिलेंगे और वह तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के आदमियों को हम ऊंचे-ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचायेंगे। जिस वर्ग के लोग ऊंचे-ऊंचे पदों पर है आज वे लोग स्वाभिमान के साथ हर जगह उठ सकते हैं बैठ सकते हैं लेकिन जिस वर्ग के लोग ऊंचे-ऊंचे पदों पर नहीं है उनका कोई मान नहीं है। आज होता क्या है? पुलिस विभाग में ही लीजिये। जाति के नाम पर जाति के आधार पर वहां सजा दी जाती है। जाति के आधार पर चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता और जाति के आधार पर उसको मारा जाता है पीटा जाता है। अभी-अभी मेरे क्षेत्र में बहाउद्दीन-पुर में एक थानेदार साहब गये। वहां एक अहीर उनके पास आकर चारपाई पर बैठ गया। बस इसी जाति के आधार पर उन सब-इंस्पेक्टर साहब ने उसको खूब मारा कि साले अहीर होकर तुम हमारे बराबर बैठते हो और जब उन्होंने आगे मौका नहीं देखा तो उसको मारपीट कर चले आये लेकिन उसके बाद फिर आजकल उन्होंने १२ आदमियों के ऊपर १९१ की कार्यवाही की और उनको गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। तो आज यह बातें हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि संविधान की मंशा जल्द से जल्द पूरी हो तो हमें तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे प्रदेश में और प्रदेशों की अपेक्षा कम काम हुआ है और कम ध्यान दिया जा रहा है इस तरफ और कम रुपया दिया जा रहा है। और प्रदेशों की अपेक्षा यहां पर सर्विसेज में कम सुविधायें दी गयी हैं। पंजाब में पुलिस कान्सटेबुल्स की भर्ती में ५० फीसदी रिजर्वेशन कर दिया गया है। कभी-कभी कहा जाता है कि योग्य आदमी नहीं मिलते कांसटेबिल के योग्य क्या पिछड़े वर्ग में आदमी नहीं हैं। ताकतवर, लम्बे चौड़े खेलकूद में होशियार ऐसे हजारों आदमी मैं देने के लिये तैयार हूं। उनमें ज्यादा शिक्षा की योग्यता की तो आवश्यकता है नहीं। ऐसे ही आदमी चाहिये जो दौड़ने भागने में तेज हों, पहलवान हों, खेल कूद में होशियार हों। उसी में क्यों आदेश नहीं निकाला जाता कि ५० फीसदी ले लिये जायं ताकि देहातों में जो उनको दबाया जाता है उससे उनकी रक्षा हो सकेगी। यह काम दूसरे प्रदेशों में ज्यादा तेजी से हो रहा है लेकिन हमारे प्रदेश में उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, इसको होना चाहिये।

शिक्षा के बारे में मुझे निवेदन करना है कि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षित बनाना है तो कुछ दिनों के लिये, मैं यह तो नहीं चाहता कि सबकी फीस माफ कर दी जाय, एक ऐलान कर दिया जाय कि जिनकी २०० रुपये से कम आमदनी होगी उन सभी के बच्चों को जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों के होंगे उनको हायर सेकेंडरी स्कूल तक फीस माफ कर दी जायगी ताकि

[श्री रामबचन यादव]

जल्दी से जल्दी उनमें शिक्षा आ सके। तभी वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना हो सकेगी। जब हमारे देश में कोई पिछड़ापन या अगलापन न रहेगा, शिक्षा में लोग बराबर आ जायेंगे और सरकारी नौकरियों में लोग बराबर आ जायेंगे तो ये सारी परेशानियां और समस्यायें खुदबखुद हल हो जायंगी। इसलिये इसकी रफ्तार तेज की जाय और जल्दी से जल्दी लोगों को आगे बढ़ा कर मौका दिया जाय।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर उन्नत वर्ग के सदस्यों से कि वे २६ जनवरी के काका कालेलकर के लेख "नये नेतृत्व की आवश्यकता" को पढ़ें तभी वे समझ सकते हैं कि पिछड़े वर्ग और जातियों की समस्यायें कैसे हल हो सकती हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्षप महोदय, इस अनुदान के अन्तर्गत और सब मदों पर ज्यादा खर्च करने की मांग की गई है लेकिन मुझे दुख है कि पिछड़ी जातियों के लिये जो स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है, उस में बहुत कम रकम रक्खी गयी है। मैं आप का ध्यान पेज २८१ पर दिलाऊंगा जिसमें बैकवर्ड क्लासेज के लिये हैं ५३–५४ में ८,२८,२८४ रुपये वास्तव में खर्च हुये हैं वहां इस साल के बजट में केवल ७,३४,५०० रुपये रक्खे गये हैं, जब कि कुछ अन्य तरीकों पर जैसे संस्कृत पढ़ने वालों के लिये, गूंगे और बहरों के लिये भी व्यवस्था की जाने वाली है, उनको भी स्टाइपेंड दिया जाने वाला है। यह इस बात का बड़ा जबरदस्त सबूत है कि माननीय शिक्षा मंत्री को पिछड़ी जातियों के प्रति कितनी पीड़ा और वेदना है और उन्हें उठाने के लिये उनकी कितनी उत्कंठा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री को हरिजन सहायक बोर्ड की सदस्यता के लिये सारे प्रदेश में कोई बैकवर्ड क्लास का मेम्बर नहीं मिला। जब कि जौनपुर जिले में उन्हें ऐसा एक व्यक्ति मिला जो न तो हरिजन है और न पिछड़ी जाति का। सोशल वर्कर के लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति यहां की गई है जौनपुर में, जिनका कि यह काम है कि वो एक लोकल अखबार निकालते हैं और उसमें मुझे लक्ष्य कर के तुकबन्दी छपाते हैं और तरह-तरह की बातें लिखते हैं। वह मुझे लक्ष्य कर के लिखते हैं कि नारद की तरह मुंह बना कर बैठे लेकिन जयमाला तो विष्णु भगवान के गले में पड़ गई। वह कवितायें मेरे पास यहां नहीं हैं उसका मुझे दुख है लेकिन वह ऐसी-ऐसी तुकबन्दियां छपाया करते हैं और इस तरह की तमाम बातें लिखते रहते हैं और उनका नाम पं० रामकुमार वैद्य है। वह एक कवि हैं और उनके जिम्मे यह काम दिया गया है।

मैं आप के द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस अनुदान के ही अन्तर्गत हरिजन लाइब्रेरी और नाइट स्कूल वगैरह के लिये भी ग्रान्ट दी जाती है। मेरे जिले में एक नाइट स्कूल और एक हरिजन लाइब्रेरी है डिप्रेस्ड क्लास की आठ साल से। जिस मकान में यह लाइब्रेरी है उसका मालिक अपना मकान खाली कराना चाहता है और अपना मकान खाली कराने के लिये उसने मैनेजर को नोटिस दिया कि मकान खाली कर दीजिये। जब मैनेजर ने मकान खाली नहीं किया तो उसने एक दरख्वास्त माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भेज दी उस लाइब्रेरी की शिकायत कर के। इस दरख्वास्त के आने पर फौरन् उस हरिजन सहायक लाइब्रेरी और उस पुस्तकालय की ग्रान्ट बंद कर दी गई और ग्रान्ट बन्द करने के बाद यहां से हुक्म यह गया कि उस लाइब्रेरी का चार्ज डिप्टी इंस्पेक्टर आफ़ स्कूल ले लें और लाइब्रेरी और नाइट स्कूल को वहां से हटा कर दूसरी जगह कर दिया जाय। जब मैनेजर ने चार्ज नहीं दिया और नहीं हटे तो उनके खिलाफ फिर दूसरा चार्ज लगाया गया है और उनको यह नोटिस दिया गया है कि तुम्हारे ऊपर गबन का मुकदमा क्यों न चलाया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि गबन है या नहीं, अगर होगा तो मुकदमा चलाया जायगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैनेजर ने उस की व्यक्ति की दरख्वास्त पर मकान खाली कर दिया होता तो शायद यह गबन का मुकदमा चलने वाली बात आज न होती। वह मैनेजर इसी विधान सभा के सदस्य

श्री बाबूनन्दन जी, एम० एल० ए० हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही से, मैं समझता हूं कि इसमें नाम लेना कोई ऐसी बात नहीं है कि जो असंगत हो, क्योंकि यह घर के झगड़े की बात नहीं है, जनता पर बुरा असर पड़ेगा। मेरी समझ में यह जो हुआ वह उचित बात नहीं हुई है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री जी को मैंने एक सुझाव दिया था कि हरिजन और पिछड़ी जाति के पढ़े लिखे लोगों की एक फेहिरिस्त हरिजन सहायक विभाग में रक्खी जाय और उन्हें सरकारी नौकरियों में भर्ती कराने का प्रयत्न किया जाय। आशा है, मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर माननीय मंत्री जी गौर करेंगे। पहले एक सवाल भी मैंने यहां इस हाउस में किया था कि पिछड़ी जातियों और हरिजन विद्यार्थियों को जो स्टाइपेंड दिया जाता है, उसमें उनकी पढ़ाई के बाद उनकी कोई खोज नहीं होती। जितना रुपया उन पर खर्च किया जाता है तो उसका कुछ उपयोग भी होना चाहिये। इसकी खबर रखनी चाहिये कि वह पास कर के कहां जाते हैं, कहां भटकते हैं उनके लिये कोई नौकरी की व्यवस्था होती है या नहीं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जवाब में यह कहा गया कि नौकरियों के लिये इम्प्लायमेंट एक्सचेंज है, उसके जरिये से लोग अपनी दरख्वास्त भेजें वहां अपना नाम दर्ज कराने के बाद। मेरा सुझाव यह है शायद वह माननीय शिक्षा मंत्री को मंजूर न हो लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे यह सिफारिश करना चाहता हूं कि उसको नोट कर लें और उस पर गौर करें जब कि आप इतना रुपया लगा कर उनको पढ़ाते हैं तो जब वह पास होकर निकलें और किसी विभाग में किसी हरिजन की आवश्यकता हो तो आप उस विभाग को अपनी लिस्ट भेज दें ताकि विभाग के अधिकारियों को यह कहने को न रहे कि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। योग्य उम्मीदवारों के होते हुये भी जिन विभागों में जगहें होती हैं वहां तक उम्मीदवारों की पहुंच नहीं हो पाती। अगर आप के यहां से वह नाम जायंगे योग्य उम्मीदवारों के तो मुझे आशा है कि उनकी कमी न रहेगी और योग्य उम्मीदवार काफी तादाद में भर्ती हो सकेंगे।

मैं चाहता हूं कि जो पिछड़ी जाति के लड़के हैं इनके लिये नौकरियों में संरक्षण जरूर दिया जाय। बिला संरक्षण के कितनी बड़ी तादाद है उनकी, सरकार पैसा भी खर्च करती है, माननीय शिक्षा मंत्री स्टाइपेंड भी देते हैं, तो मैं यह चाहता हूं कि उनके लिये संरक्षण हो, और हरिजन सहायक बोर्ड जो पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा करता है वह इस बात के लिये गवर्नमेंट को परिचित कराये कि उनके लिये संरक्षण हो ताकि उनके लिये सरकारी नौकरियों में विशेष सुविधा हो सके और सरकार में उनका विश्वास बढ़े। मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों पर ध्यान दिया जायगा।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूरत नहीं महसूस करता था कि पिछड़ी जाति और हरिजन जातियों के संबंध में जो मद है उस पर अपने विचार सदन के सामने रखूं, लेकिन सदन में विवाद में विभिन्न अवसरों पर पूर्वी और पश्चिमी जिले की पिछड़ी जातियों और हरिजन जातियों के बारे में विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त करते हुये माननीय सदस्यों को सुना है इसलिये मैं जरूरत समझता हूं कि इस अवसर पर पूर्वी जिलों के हरिजन एवं पिछड़ी हुई जातियों की समस्याओं की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करूं। पश्चिम के रहने वाले हरिजन जाति या पिछड़ी जातियों के लोगों की समस्यायें पूर्वी जिलों में रहने वाले हरिजन जाति या पिछड़ी जातियों की समस्याओं से अलग हैं। मैंने पश्चिमी जिलों में देखा है और विभिन्न अवसरों पर खुद देखा है कि पिछड़ी हुई जातियों की समस्यायें हमारे पूर्वी जिलों की जातियों की समस्याओं से भिन्न है। इस सदन में बराबर अनेक अवसरों पर माननीय सदन का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करते हुये यह कहा गया था कि पूर्वी जिलों में रहने वाले हरिजन गोबर से निकाले हुये अनाज पर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। श्रीमन्, चैत का महीना है और मैं

[श्री रामेश्वर लाल]

माननीय शिक्षा मंत्री जी और उनके साथ बैठे हुये डा० सीताराम जी को न्यौता देता हूं कि वे पूर्वी जिलों में जायं और चैत के दिनों में खलिहान में देखें कि हरिजनों के नंगे नंगे लड़के और लड़कियां गोबर से अनाज इकट्ठा करते हैं कि नहीं। यदि यह सही है तो मैं समझता हूं कि सरकार के सिर पर यह एक कलंक है कि आजादी के सात साल बीतने के बाद भी गोबर से निकाले हुये अनाज पर मनुष्य अपनी जिन्दगी व्यतीत करें। मैं मानता हूं कि मंत्री जी कोई मंतर फूंक कर एक दिन में यह परिस्थिति दूर नहीं कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि यदि मंत्री जी चाहें तो चन्द आने वाले वर्षों में उनका स्तर ऊंचा हो सकता है।

श्रीमन्, हरिजनों और पिछड़ी जातियों की तरफ ध्यान जाने के दो मुख्य कारण हैं। जहां तक मैंने समझा है एक तो यह कि उच्च जातियों ने इनका शोषण किया है इसलिये आज के युग में जब कि प्रजातंत्र की हम डींग हांकते हैं और समाजवादी पैटर्न की बात करते हैं, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उन लोगों का जिनका शोषण किया गया है उन्हें ऊंचा उठायें, और दूसरा कारण यह है दुनिया के सभी देशों में मेहनत करने वालों की कीमत है, जो मेहनत नहीं करता उस को समाज में, राजनीति में स्थान नहीं मिलता। लेकिन हमारे देश में बिल्कुल उल्टा है कि जो श्रम करता है उसका कोई मूल्य नहीं और जो श्रम नहीं करता है उसका मूल्य है। आज राजा साहब का मूल्य हो सकता है लेकिन पिछड़ी हुई जाति का जो विशेष रूप में श्रमिक है उस की कोई क़ीमत नहीं। मैं यह समझता हूं कि सरकार को श्रमिकों की कीमत आंकने की आवश्यकता है। श्रमिक का उच्च स्तर हो इसके लिये भी आवश्यकता है कि पिछड़ी हुई जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाय और विशेष सुविधा दी जाय।

श्रीमन्, इस अवसर पर मैं अवश्य चाहूंगा कि मैं माननीय मंत्री जी से कहूं जहां एक तरफ वह कहते हैं कि बड़ा दान देते हैं उधर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कोई मंत्री जी राम हैं और वह भीलनी। श्रीमन्, राम के राज्य में, "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा--रामराज काहू नहिं व्यापा।" आज उन्हीं के शब्दों से मालूम होता है कि सभी ताप व्याप्त हैं। तो मैं नहीं जानता कि यहां कोई राम है और रामराज्य यहां हो गया है जहां कोई राम किसी भीलनी के यहां जाता है। आदमी की दो दशाएं हैं, एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत। समाज में एक आदमी दूसरे का जूठा तक खा सकता है, लेकिन घर में क्या आप हरिजनों को स्थान देते हैं, क्या आप उसके श्रम को समझते हैं? सीने पर हाथ रख कर माननीय मंत्री और सदन सोचे। मेरा दावा है कि समाज में छूआछूत के आचरण के विरुद्ध जो हममें से लोग डींग हांकते हैं कि हम कोई भेद-भाव नहीं रखते, वह घर में अवश्य छूआछूत का भेद-भाव रखते हैं। कानून बनाया आप ने, यह ठीक है, लेकिन आज कानून बनाने के बाद भी गांव के गरीब हरिजन की वही दशा है और वह उन्हीं कुओं पर पानी पीते हैं जहां अब तक पीते रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि भेद भाव कानून जानने के बाद भी है। माननीय मंत्री को, सरकार को, सख्ती करनी चाहिये और इसके लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना चाहिये कि वह हरिजन बस्तियों में जा कर ठहरे और उनकी मुसीबतों को जानने की चेष्टा करे कि समाज में वह वर्ग कितना ताड़ित और पीड़ित है और किस तरह से उसका उत्थान हो सकता है इसकी जांच पड़ताल कर के सरकार को वह रिपोर्ट दे।

श्रीमन्, हमारे कुछ माननीय साथी कह रहे हैं कि बड़ा रुपया खर्च किया है सरकार ने। सरकार को तो रुपया खर्च करना ही है। शिक्षा में सरकार ने रुपया दिया है। ट्रावनकोर कोचीन में जितने लड़के पैदा होते हैं उनमें ९९ परसेंट स्कूल में पढ़ते हैं। पंजाब में ४९ प्रतिशत पढ़ते हैं। हमारे यहां भी जो प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च होता है वह १.३ है। तो हमको व्यय बढ़ाना पड़ेगा। मेरा दावा है कि राजा महाराजाओं और बड़े-बड़े लोगों के यहां बच्चे पैदा कम होते हैं और हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के यहां ज्यादा पैदा होते

हैं और इस अनुपात से शिक्षा पर यदि व्यय बढ़ता है तो वह तो इधर निश्चित बढ़ना ही है। तो यह हमारा मान और घमंड बेकार है कि हमने हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया, मैं तो कहूंगा कि आपने कुछ नहीं किया।

मैं तो अब यह कहूंगा कि पिछड़ी हुई जातियों के लिये यही अवसर है जब वे भूमि के बंटवारे के लिये मांग करें कि भूमि बंटे। कहा गया कि हमने भूमि बांटी। कहां से बांटी? वह बांटी जो विनोवा जी द्वारा प्राप्त हुई थी। कौन सा बड़ा काम आप ने कर दिया, आप ने अपनी ओर से क्या काम किया है? इसलिये मैं यह कहता हूं हरिजनों और पिछड़ी जाति के भाइयों से कि यही अवसर है। बिना भूमि के बटवारे के कभी भी हरिजनों की समस्या हल नहीं हो सकती। शिक्षा में रुपया खर्च करने से हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकता है, जब तक उनका आर्थिक उत्थान न हो जाय। जिनकी समस्या हल हो रही है उन बड़ी जातियों के लोगों ने अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर ली है। लेकिन अगर हरिजन शिक्षा में पिछड़े हैं तो उसका एक ही कारण है कि वह मजबूर हैं कि वह अपने बच्चों को छोटे और बड़े स्कूलों में भेज सकें। इस लिये माननीय मंत्री को विशेष कर हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों की तरफ रुपया व्यय करने की चेष्टा करनी चाहिये। माननीय चरण सिंह जी इस समय सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं अन्य मंत्रियों का ध्यान पिछड़ी हुई जाति के भाइयों की तरफ आकर्षित करूंगा कि इस अवसर पर जमीन के बटवारे का प्रश्न अवश्य हल करें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आज सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं एक दो भाषणों के बाद तय करूंगा।

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत की है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और यह भी कहता हूं कि जो भी कार्य सरकार ने किया है वह किसी हद तक संतोषजनक है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन समस्या तो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और केवल ७४ लाख रुपया इस ९० करोड़ के बजट में रख कर हमारी सरकार यदि उद्धार करना चाहती है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा उद्धार नहीं हो सकता। प्रचार के लिये बहुत ऊंची ऊंची बातें कही जाती हैं। जब पुस्तिकाओं में विभाग की रिपोर्ट छपती है तो उसमें बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं और यह जो सब्ज बाग हरिजन विभाग द्वारा दिखाया जाता है उसकी वास्तविकता में जब हम जाते हैं तो कुछ भी नहीं पाते हैं और हमें तो वही कहावत याद आती है कि "हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस समय विभाग की हालत हो रही है उसको कह सकते हैं कि वह क्षय रोग से पीड़ित है और आखिरी सांस ले रहा है। अगर उचित डाक्टर नहीं मिला तो मैं कह सकता हूं कि वह नष्ट हो जावेगा और हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सरकार इस विभाग में जीवन डालना चाहती है, हरिजनों का उद्धार करना चाहती है तो माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इसको अपने हाथ में लें और आगे बढ़ायें।

जहां तक हरिजन सहायक विभाग के अधिकारियों का ताल्लुक है मैं उनके लिये यही कह सकता हूं कि कहा तो यह जाता है कि चश्मा देखने के लिये लगाया जा सकता है लेकिन इन अधिकारियों के लिये मैं कह सकता हूं कि चश्मा लोगों के लिये, एवाएड करने के लिये लगाया जाता है। एक माननीय सदस्य डायरेक्टर महोदय के पास जाते हैं तो वह चश्मे

[श्री पुत्तूलाल]

के अन्दर आंख छिपा कर ऊपर देखते तक नहीं है और उप-संचालक देखते तक नहीं है। क्या बात है? जब हम जाते हैं तो संचालक महोदय की ओर कहा जाता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जाओ, उनके पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि मि० बनर्जी के पास जाओ, मि० बनर्जी कहते हैं कि संबंधित क्लर्क के पास जाओ। हम विधान सभा के सदस्य हैं, थोड़ा मान रखते हैं। हम चपरासी नहीं हैं जो जगह जगह दुत्कारे जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आप के द्वारा शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक जिलों का सवाल है, ४,६ जिलों को मिला कर एक रीजनल आफिसर रख दिया गया है उससे काम नहीं चल सकता है। मैंने पार साल सुझाव दिया था और अब भी देता हूं कि हर जिले के लिये कम से कम एक अधिकारी होना चाहिये साथ ही साथ उसकी सहायता के लिये कुछ सुपरवाइजर्स भी बढ़ाये जायं। उनका आफिस स्वतंत्र हो और प्लानिंग विभाग से उसके सुपरवीजन का कोई संबंध नहीं होना चाहिये। अन्यथा वह प्लानिंग विभाग की चपरासगिरी करता रहता है और हरिजनों का कुछ काम नहीं कर पाता है। जो जिले में अधिकारी हो उसको स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिये। आखिर वह किसलिये रखा गया है, जब उसको कोई अधिकार ही नहीं है?

तीसरी बात जिस पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह रुपये के वितरण के संबंध में है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत रुपया दिया जाता है उसका वितरण ठीक तरह से नहीं किया जाता है। कुछ संस्थायें तो ऐसी हैं जिनको अंधाधुंध रुपया दिया जाता है और कुछ को बिलकुल इन्कार कर दिया जाता है। पिछले साल १८-१९ हरिजन छात्रावास नए खोले गये। किसी को १५० रु० दिये गये, किसी को २०० रुपये दिये गये यानी किसी को भी ४०० रुपये से ज्यादा नान रेकरिंग अनुदान में नहीं दिये गये। लेकिन एक हेमपुर है उसको नान रेकरिंग ग्रांट दो हजार रुपये दी गई थी जब कि मुश्किल से उस में १५-२० लड़के थे और और जगह १००-१०० लड़के रहते थे उनको इतना रुपया नहीं दिया गया। इस तरह से गलत डिस्ट्रिब्यूशन होना न्याययुक्त बात नहीं है। इसलिये ऐसा नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा सरकार का ध्यान उद्योग धंधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उद्योग धंधों की उन्नति के लिये एक लाख ५५ हजार रुपया रखा गया है और यह रुपया एक करोड़ १४ लाख हरिजनों के आर्थिक उत्थान के लिये है। अगर हम हिसाब लगायें तो केवल ढाई पाई फी आदमी आर्थिक उत्थान के लिये सरकार व्यय करती है। इससे हमारा भला होने का नहीं। इस थोड़े से रुपये के अनुदान को रखकर सरकार हमारा इंडस्ट्रीज विभाग के अधिकार को छीन लेती है। वह हमको रुपया नहीं देती है। अगर कुछ दरख्वास्तें वहां पहुंच भी जाती हैं तो उनको यहां ट्रांसफर किया जाता है। इस तरीके से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हमारे अधिकार मारे जाते हैं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हरिजन और पिछड़ी जातियों के कल्याणकारी बजट पर आपने मुझे विचार व्यक्त करने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं आज इस सदन में अपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस प्रदेश के हरिजन और पिछड़ी जातियों की तरफ आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों ने भी यह गाना इस देश में गाया था :--

कभी वह दिन भी आयेगा जब अपना राज्य देखेंगे,
जब अपनी ही जमीं होगी और अपना आसमां होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस देश के उत्थान के साथ साथ मैं इन हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के संबन्ध में सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि ये वे कमाऊ पूत हैं इस देश के जो इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं।

(इस समय ४ बज कर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज छोटी-छोटी बातों के लिये सरकार से हाथ जोड़ कर भीख मांगते हैं। सरकार का दृष्टि कोण क्या होता है, बहुत से उदाहरण हैं। अभी कुछ दिन हुये इस प्रदेश के अन्दर पूज्य काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों का एक कमीशन आया था। उस कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की। विधान सभा में प्रश्न उठाया गया कि क्या रिपोर्ट है। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि वे सिफ़ारिशें गोपनीय हैं। मैं नहीं समझ सका कि पिछड़ी हुई जातियों के लिये सिफ़ारिशें हैं और वे गोपनीय हैं। मैंने दिल्ली के भूतपूर्व प्रधान मंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के उस बयान को पढ़ा जो उन्होंने दिल्ली प्रान्त का कमीशन द्वारा दौरा किये जाने के समय दिया था, मैंने दिल्ली प्रदेश के प्रधान श्री के० सी० नैयर के उन भाषणों को पढ़ा, मैंने दिल्ली प्रदेश के उन एम० एल० एज़० के बयानों को पढ़ा जो पिछड़ी जातियों के कमीशन के साथ साथ देहातों में गये थे, मैंने दिल्ली, पंजाब और इस देश के देहातों में गरीब हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक हालत का अन्दाजा लगाते हुये देखा, लेकिन मैंने देखा कि इस प्रदेश की सरकार ने उस कमीशन को रायल होटलों में ठहराया और उस कमीशन को इस प्रदेश के ऐतिहासिक और तीर्थ स्थानों में घुमाया। मैंने कमीशन के मेम्बरों से शिकायत की, मैंने काका कालेलकर जी से कहा कि आप हरिजन और पिछड़ी जातियों की सही हालत अभी नहीं देख पाये, तो उनका खुद बयान है कि यह प्रोग्राम हमारा नहीं है, यह प्रोग्राम तो आप की सरकार ने बनाया था। यह रुख है हमारी सरकार का। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस ने हरिजन और पिछड़ी जातियों के उत्थान का बीड़ा उठाया है और हम आज के जो मुख्य मंत्री हैं उनके सामने अनेक बार डेपुटेशन और अपनी समस्यायें लेकर गये हैं तो वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। इन तीन-मुखी सरकारी नीति से पिछड़ी और हरिजन जातियां आज परेशान हो रही हैं।

मैं दिल से कहना चाहता हूं कि अगर सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा आज कांग्रेस ने लगाया है तो वह तभी सफल सिद्ध होगा जब आप इन हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान कर दें। तभी समाज का कल्याण और समाजवादी ढांचा इस प्रदेश में और देश में हो सकता है। इसलिये मैं कहता हूं कि सारे प्रदेश की सरकारें देश में हमारे प्रदेश की सरकार की तरफ देखती हैं कि उत्तर प्रदेश कौन महत्वपूर्ण कदम उठाता है। देश की अन्य प्रदेशीय सरकारें आपकी नकल करती हैं। मगर अन्य प्रदेशों में पिछड़ी और हरिजन जाति के लिये अनेक सुविधाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, लेकिन हमारी सरकार चोर की थाती तरह से हमसे बात छिपाती है। पिछड़ी जाति के कमीशन की रिपोर्ट यदि सरकार हमको दे देती तो यह हमारा बड़ा सौभाग्य होता। इससे हमारी बहुत जानकारी हो जाती या सरकार कोई बयान दे देती कि इस प्रकार से उसने कहा है, लेकिन आज क्या होता है कि चोर की थाती की तरह से उसको रख लिया गया और यहां पर बतलाया गया कि वह सिफारिशें गोपनीय हैं और यह जनहित में नहीं हैं कि उसको बताया जा सके। ऐसी बात से दुख होता है। मैं जब गरीबों के बीच जाता हूं तो उनको राणा प्रताप के आज उदाहरण नहीं दे सकता हूं। आज उनके सामने भुखमरी का उदाहरण दिया जा सकता है। इधर सरकार को सुझाव दिया जाता है कि आप अनेक फिजूल खर्ची की योजना बना रहे हैं इनको आप कम करें और पिछड़ी तथा हरिजन जातियों के लिये पैसा बढ़ायें। लेकिन सरकार उसको नहीं सुनती है। तो फिर हम 'जायें तो जायें कहां' वाली बात याद आती है। न सरकार हमारी बात सुनती है और न राणा प्रताप की कहानी जनता सुनने को तैयार है। वह जनता कहती है कि आज सरकार के अनेक विभाग फजल काम के लिये खुले हुये हैं और लालन पालन के लिये खुले हुये हैं।

[श्री रामचन्द्र विकल]

कितनी गलत योजनायें सरकार चलाती है उसके लिये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इन गरीब और पिछड़े हरिजनों के उत्थान और कल्याण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यदि वह आपसे मांगते हैं तो आपको उदारता के साथ उनको सहायता देनी चाहिये और यदि धन के लिये विवशता है तो उसको आप सद्भावना के साथ इन्कार कर सकते हैं। कभी कभी साफ बात करने से दिल खुश हो जाता है, लेकिन जब दिल में दुर्भावना हो तो इस प्रकार से इस देश का कल्याण कठिन है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान उन बड़े अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जो पैसे के लाभ पर विभिन्न योजनायें सरकार को दिया करते हैं। मैं साथ ही सरकार की उन समस्याओं की तरफ आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं और सरकार की उन योजनाओं की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो फजूलखर्ची की तरफ जा रही है। अगर यह गरीब थोड़ा बहुत मांगते हैं तो यह अर्थशास्त्री उनकी समस्याओं को क्या जानते हैं? हम गरीबों में रह कर उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि इन पिछड़े और हरिजन जातियों के कल्याण के लिये एक क्रान्तिकारी कदम उठाये। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मंत्री और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार देश में नामी है। हमने अपने भूतपूर्व मुख्य मंत्री से और अभी जो मुख्य मंत्री हैं उनसे यह मांग की थी कि हमारा एक और मंत्री होना चाहिये और उपमंत्री होना चाहिये, सभापति होना चाहिये और इस तरह से सरकार को सोशलिस्टिक पेटर्न का व्यवहार करना चाहिये। हमारे पिछड़ी जाति के एक उपसचिव थे उनको निकाल दिया गया और उनके स्थान पर उनके जिले के ही श्री लक्ष्मी शंकर को ले लिया गया।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज यह महत्वपूर्ण विषय है इस लिये आज सदन का एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)—मैं बहुत बार उठा बैठा लेकिन मुझको बोलने का अवसर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—जिस समय, समय नियत किया था उस समय आप की ओर से कोई आक्षेप नहीं हुआ था। उस समय यदि कहा जाता तो अवश्य समय बढ़ा दिया जाता। मैं समझता हूं कि इस समय बहुत से माननीय सदस्य चाहते हैं कि भाषण दें तो आध घंटा यदि बढ़ा दिया जाय तो ठीक रहेगा। मैं समझता हूं ऐसा हो सकता है कि हम आज विवाद जारी रखें और कल एक घंटा शुरू में इस अनुदान पर और ले लें, बाद में शाम को कल समय बढ़ जायगा। लेकिन कल शायद 'लास्ट डे' है इसलिये आज ही लेना होगा। तो आज ही १ घंटा समय बढ़ाने में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

तो यह सब की राय है कि आज १ घंटा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रस्तुत अनुदान के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज पूरा एक साल होने के बाद यह हमारे सामने यह हरिजन विभाग का बजट आया है। पिछले साल जब यह अनुदान हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था तो इस विभाग और सरकार की मनोवृत्ति की काफी चर्चा यहां की गयी थी और देश में जो हरिजन समस्या पिछले वर्ष थी वही आज भी बनी हुई है कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, कोई नयी आशा की बात भी नहीं है। हम यह जानते हैं कि पिछले साल ७० लाख का बजट हुआ और इस साल उसको बढ़ा कर ७४ लाख कर दिया गया है, लेकिन अगर सरकार कहे कि जो प्रगति वह करना चाहती है और जो समस्या वह हल करना चाहती है वह इस प्रकार से कर लेगी, मेरा ख्याल है उसमें कोई उन्नति नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि इसके लिये जितना भी रुपया अधिक रक्खा जायगा,

वह आज की स्थिति को देखते हुये कम ही होगा। हमारा जो भी कदम होना चाहिये वह ऐसा होना चाहिये जो हरिजनों की समस्या को जल्दी से जल्दी दूर कर सके। आज हम अगर देखें तो हरिजनों की अनेक समस्यायें हैं, उनकी शिक्षा की समस्या है, उनकी आर्थिक समस्या है, उनके रहन सहन के स्तर को उठाने की समस्या है इसके। अतिरिक्त और भी समस्यायें हैं जिनको हमें जल्दी से जल्दी हल करना चाहिये।

अगर हम अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं तो हमें अविलम्ब यह घोषणा करनी होगी कि हम इन समस्याओं को हल करके इस देश को प्रगति के पथ पर ले चलेंगे, जिसमें हर एक आदमी सुखी और सम्पन्न दीखेगा, लेकिन आज इस ओर सरकार जो कदम उठाने जा रही है, वह कदम संतोष-जनक नहीं है। जो व्यय करते हैं वह केवल एक ही दृष्टिकोण से होता है। शिक्षा को आपने प्रमुख स्थान दिया है। इस शिक्षा से जिन लोगों को लाभ होता है वह केवल वे लोग हैं जो एक स्थान पर स्थायी रहते हैं, जिन लोगों को एक ही स्थान पर रहने की सुविधा है वही लोग इस शिक्षा पर होने वाले व्यय से लाभ उठाते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो घूमने वाली जातियां हैं, जो खानाबदोश लोग हैं, अपराधशील जातियां हैं, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती, उनका निवास स्थायी न होने के कारण वे शिक्षा में कोई प्रगति नहीं कर पातीं। इसलिये आप जो शिक्षा के ऊपर व्यय करते हैं उससे कुछ ही लोगों को लाभ हो पाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है "उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण का ब्यौरा तब तक पूरा न हो सकेगा जब तक हम अपने समाज के उस अंग का भी जिक्र न करें, जिनको अब तक हम अपराधशील जातियों के नाम से सम्बोधित करते रहे हैं। यह पूर्वकथित अपराधशील जाति संख्या में ३० तथा ५० प्रतिशत अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हैं।" इस प्रकार से हम देखते हैं कि विमोचित जाति की संख्या ३० से ५० प्रतिशत तक हैं। अब सरकार अगर उन लोगों की सख्या को देखे जो कि सरकारी सहायता से पढ़ते हैं तो सरकार यह पायेगी कि ऐसे विमोचित लोगों की संख्या उनमें बिलकुल नगण्य है। हम देखेंगे कि उससे विमोचित और अपराधशील जातियों का स्तर ऊंचा नहीं उठ रहा है, उनमें शिक्षा की बहुत ही कमी है। उसी प्रकार से मैं देखता हूं कि हरिजन समुदाय के लिये उद्योग के लिये खर्च किया गया है और सरकार की तरफ से उद्योग के लिये हरिजनों को सहायता प्राप्त होती है और हम देखते हैं कि वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं लेकिन जो घूमने वाली जातियां हैं जिनके सामने समस्या है कि वे किस प्रकार से तरक्की करें, तो हम देखते हैं कि उद्योग धंधों पर तो काफी खर्चा होता है लेकिन उन लोगों पर वह नहीं खर्च हो पाता है। तो इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां सरकार और जातियों के लिये खर्च करने को तय करे वहां इस दृष्टिकोण से भी खर्च करे कि उनका भी लाभ हो सके।

कभी कभी हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित कर दिये जाते हैं जिनको देख कर बड़ा दुख होता है। आज कलपूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रश्न यहां नहीं उठना चाहिये कि पूर्वी जिलों पर ज्यादा खर्च हो रहा है और पश्चिमी जिलों पर कम खर्च हो रहा है या पश्चिमी जिलों पर ज्यादा खर्च हो रहा है और पूर्वी जिलों पर कम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी को मालूम है कि पूर्वी जिलों की समस्या बहुत कठिन है। जो कुछ भी पूर्वी जिलों पर खर्च होता है वहां बाढ़ और अकाल को देख कर ही खर्च करना चाहिये। पूर्वी जिलों में ही सब से पहले बाढ़ आती है, वहीं सूखा पड़ता है और वहीं अकाल भी पड़ता है और उस बाढ़ के सब से पहले जो शिकार होते हैं वे हरिजन ही होते हैं। बाढ़ का पानी तो उनके मकानों में जाता है जो छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं। बाढ़ से कच्चे मकानों का ही नुक्सान होता है और कच्चे मकानों में हरिजन कहलाने वाले लोग ही रहते हैं और जो छोटे क्लास के हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं उन्हीं की उससे हानि होती है। इसलिये जितना भी धन व्यय करना हो वह इस इसी दृष्टिकोण से व्यय करना पड़ेगा कि उनको अधिक से अधिक सहायता दे सकें

[श्री श्रीनाथ राम]

ताकि जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं, अकाल से पीड़ित होते हैं, उनकी मदद हो सके। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये इसमें ४४ लाख रुपये की मांग और की गयी थी जिसमें डिपार्टमेंट के द्वारा २३ १।२ लाख रुपये की मांग थी और इसके अलावा १० १/२ लाख रुपया फाइनेन्स कमेटी के द्वारा मांगा गया था। पर केबिनेट ने इसे अस्वीकृत कर दिया। तो हम चाहते हैं कि यदि हमें हरिजन समस्या को हल करना है तो उनके ऊपर अधिक से अधिक व्यय करना चाहिये लेकिन वह कम ही खर्च होता है। एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं कि जितने भी छात्रावास खोले जाते हैं वे छात्रावास दूसरों के द्वारा ही खोले जाते हैं और सरकार उनको सहायता देती है। हमारे प्रदेश में कोई भी ऐसा छात्रावास नहीं है जो सरकार अपनी ओर से खोल कर चलाती हो। मैं यह चाहता हूं कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे और अधिक पैसा इस दृष्टिकोण से खर्च करे ताकि उससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।

*श्री श्यामलाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह बजट हरिजन विभाग का पेश है वह हर वर्ष आता रहता है और इस पर बहस भी होती है। शुरू-शुरू में जब हम लोग यहां आये तो ४६, ४७ लाख रुपये का बजट था और कुछ बढ़ाया भी गया था और मांग की गयी थी कि ज्यादा बजट बढ़ाया जाय। अब ५ साल से यह चल रहा यह बजट पहले ७० लाख रुपये का बजट था और सप्लीमेंटरी बजट में भी सरकार ने १९ लाख रुपया दिया। इस साल ७४ लाख रुपये का बजट है और मेरा ख्याल है कि सप्लीमेंटरी में भी कुछ होगा ही। खास बात यह है कि अछूतों की जो फीस माफ होती है उसका तखमीना इसमें नहीं है। इससे हम सन्तुष्ट तो नहीं हैं लेकिन खुश हैं इस बात पर कि हमारा बजट इस प्रकार से बनाया गया है कि यह बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मैं खुश तो हूं लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी हैं जिनका जिक्र करना मेरे लिये बहुत जरूरी है।

मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या खेतिहर मजदूरों की है जिनमें ज्यादातर हरिजन हैं और उनकी समस्या किसी सूरत से हल नहीं हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वह समस्या यह है कि उनके पास जमीनें नहीं हैं। देहात में बसने वाले लोग मजदूरी करते हैं और वह मजदूरी भी साल में ६ महीने चलती है और बाकी वह बेकार रहते हैं। उनके पास कोई जमीन भी नहीं है जिसके जरिये वह अपने बाल बच्चों की गुजर कर सकें। सरकार ने जमीन के लिये यह बात तो की कि उन्होंने पंचायत के प्रधानों को यह आदेश दिया कि जितनी जमीन बाकी बचे उसको जहां तक हो सके हरिजनों को दिया जाय। मैं आप को बतलाऊं कि वास्तव में होता क्या है। जो जमीन देहातों में उनको दी गई है वह बलुई और खराब से खराब जमीन है और उनके पास पैसा नहीं है कि उसमें वे खाद छोड़ सकें या उसको बनवा सकें और वह जमीन बिना जोते पड़ी रहती है। अच्छी जमीनें गांव सभाओं के प्रधान किन लोगों को देते हैं यह मैं कहना नहीं चाहता। यह भी मैं नहीं कहता कि किसी की जमीन एक्वायर कर ली जाय लेकिन मैं यह सुझाव अवश्य रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रुपया पंचवर्षीय योजना में रखा जाय और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के पास वह रुपया रहे और उनसे वह यह कहे कि हर लोग जो अपनी जमीन को बेचना चाहें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनको खरीदें और हर एक आदमी को कम से कम दो एकड़ जमीन दे और कोई न कोई कानूनी अधिकार भी उनको दे कि यदि कोई भी जमीन बेचना चाहे तो वह बिना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इजाजत के न बेच सके। इस प्रकार अगर २० लाख रुपया प्रति वर्ष ५ साल तक सरकार रखती जाय तो यह एक करोड़ रुपया हो जाता है और अगर एक करोड़ रुपये की जमीन खेतिहर मजदूरों को दे दी जाय, तो मेरा ख्याल है कि सारी समस्या हल हो जायगी और उन्हें अच्छी जमीनें मिल जायेंगी। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, न यह चाहता हूं कि इस रुपये के लिये कोई नया टैक्स लगाया जाय, लेकिन मैं कह सकता हूं और बतला सकता हूं कि ऐसा रुपया गवर्नमेंट के बजट में बहुत है जिसमें से यह रुपया अच्छी तरह से निकाला जा सकता है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में बहुत से भाइयों ने राय दी कि डिपार्टमेंट को तोड़ दिया जाय। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर उनकी यह दलील मानी जाय तो फिर एक जनरल डिपार्टमेंट रहने दिया जाय और उसी के अधीन सब काम होता रहे, किसी चीज के लिये डिपार्टमेंट अलग-अलग न रहे। लेकिन यह ठीक नहीं है। डिपार्टमेंट को तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं उनको आप दूर करें। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधीन जो इस विभाग का काम होता है वह ठीक तरह से नहीं होता। इस विभाग से पैसा खर्च होता है, अपने सुपरवाइजर रखते हैं, अपने खजाने से तनख्वाह देते हैं, लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधीन होने के कारण काम में कठिनाई होती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार चाहती है कि काम ठीक से हो और जल्दी से हो तो आज अपने इस डिपार्टमेंट को पूर्णतया हरिजन वेलफेयर आफिसर के अधीन कर दिया जाय; इससे सहूलियत होगी।

*श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके द्वारा अपने हरिजन निर्माण मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस हरिजन सहायक कार्य को अपने मंत्री पद के समय में इतना उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न किया है। इससे पहले हरिजनों में न इतना उत्थान था और न उसके लिये उन्नति का कोई मार्ग था, लेकिन आज हममें इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि हमको आज जो दिक्कत है, जो पीड़ायें हैं या जो वेदनायें हैं उन्हें हम स्वतंत्रतापूर्वक उनके समक्ष और सदन के समक्ष रख सकते हैं।

सर्वप्रथम मैं आपसे सुरक्षित स्थानों के लिये निवेदन करना चाहता हूं, गत वर्ष भी मैंने आपसे उसके लिये निवेदन किया था कि हमारी सरकार की तरफ से या केन्द्रीय सरकार की तरफ से सरकारी सर्विसेज में जो सुरक्षित स्थान हैं उनकी पूर्ति आपके विभाग द्वारा होनी चाहिये, लेकिन मुझे खेद है कि उस पर नाम मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। समझ में नहीं आया कि इसका क्या कारण है। क्या हरिजन विभाग का यही काम है कि वह छात्रवृत्तियां दे और यही काम है कि २०० और ३०० रुपये की मशीनें मंगा कर बांटे? उसमें भी हरिजन सहायक विभाग के अधिकारियों को अधिकार नहीं होता, इंडस्ट्रीज विभाग के जो उच्चाधिकारी होते हैं वे सलाह देते हैं। यह हाल हमारे हरिजन विभाग का है। देश में तीन प्रकार की गुलामी अंग्रेजी शासन काल में थी। सर्वप्रथम जो सबसे बड़े मालदार और जमींदार थे वे गुलाम थे, उन्होंने काश्तकारों को गुलाम बना रखा था और काश्तकारों ने श्रमिकों को चाहे वे किसी वर्ग के हों उनको गुलाम बना रक्खा था, परन्तु आज देश आजाद हो गया तो सरमायादार आजाद हुये, उनके बाद काश्तकार आजाद किये गये, लेकिन जो श्रमिक वर्ग है चाहे वह ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या किसी वर्ग का हो जिसके पास साधन नहीं हैउसके लिये कोई स्वतंत्रता का रास्ता दीख नहीं पड़ता। गरीब वर्ग के लोग किसी भी अच्छी से अच्छी सर्विस में नहीं रक्खे जाते क्योंकि हरिजन विभाग के पास कोई भी ऐसे साधन नहीं हैं, कोई भी लिस्ट नहीं है जिससे पता चल सके कि किन किन नौकरियों में कितने स्थान रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति हरिजन विभाग द्वारा कराई जाय। मैंने एक सुझाव दिया था कि हमें यह पता होना चाहिये कि किस किस श्रेणी में हरिजनों के कितने लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन पर कितना व्यय हो रहा है ताकि हम हरिजन विभाग को यह बतला सकें कि इस इस तरह के विद्यार्थी फलां-फलां स्थान के लिये मिल सकते हैं। मुझे यह देख कर खेद हुआ कि मेरठ जिले में जो सबसे लम्बा चौड़ा जिला है, जिसमें हरिजनों की बहुत संख्या है, उसके लिये केवल ११,३०० रुपये दिये गये हैं जब कि मामूली मामूली तहसीलों के लिये कुल मिला कर ६३,५०० रु० खर्च होते हैं। यह हमारे हरिजन विभाग का कार्य है। इसका कारण यह है कि इस हरिजन विभाग को प्लानिंग से मिला दिया गया है और उसमें केवल हरिजनों के लिये कोई काम नहीं होता। हमने बार बार सरकार से निवेदन किया या तो इस विभाग को पूरे अधिकार दिये जायं या सरकार इस विभाग को तोड़ दे और इस तरह से हरिजनों पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिसिंह]

कलंक न लगाया जाय। अगर इसे चलाना है तो पूरे अधिकार दिये जायं ताकि हरिजनों का सच्चा कल्याण हो सके।

इंडस्ट्रीज का जहां तक सम्बन्ध है जूते बनायें हरिजन, दूसरे काम करें हरिजन, लेकिन दूकान खोलें ऊंचे ऊंचे वर्ग वाले। आज लखनऊ में क्या, प्रदेश के किसी भी स्थान पर आप जा कर देखें चमड़ा का व्यवसाय तो पुकारा जायगा हरिजनों के नाम से, लेकिन व्यापारी बड़े बड़े सेठ साहूकार होंगे, किसी भी शहर में कोई हरिजन दूकानवाला आप नहीं बतला सकते विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिये हरिजनों के नाम पर अगर कोई भेजा जायगा तो वह उच्च वर्ण का ही होगा और शिक्षा के नाम पर केवल १०,२० रुपये का प्रलोभन देना इससे हरिजनों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े व्यापार हैं उनमें आप हरिजनों को सुरक्षित स्थान दें, सहायता दें। जहां जमीन का बंटवारा होता है वहां आप दूसरों की जमीन क्यों छीनते हैं, गांव समाज के पास जो जमीन है उसका रेकार्ड मंगा कर, उसका ही बंटवारा कर दीजिये ताकि जमीन का सच्चा बंटवारा हो सके।

जहां तक दस्तकारी का ताल्लुक है वह सही मानों में सिखलाई जाय और उनको दो सौ रुपया या तीन सौ रुपये की मशीनों से मदद न दी जाय बल्कि कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर उनके द्वारा उत्पादन कराया जाय। हरिजनों को जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं और जो बड़े बड़े व्यापार हैं, वह सब उनके हाथ में दिये जायं ताकि वह उनको अच्छी तरह से चला सकें और उनमें तरक्की कर सकें ताकि सरकार पर बोझ कम पड़े। आज हमारा बजट केवल ७४ लाख का है जब कि शरणार्थियों पर इससे कहीं ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। कम से कम ५ या ६ करोड़ का बजट हरिजनों के लिये इसलिये रखा जाता कि उनके लिये मकान बन सकें तो मैं समझता हूं कि कुछ काम हुआ है। पंजाब से जो लोग आये हैं उनके लिये फौरन मकान बन गये इसलिये कि उनके पास डंडे का जोर था, उनसे डर था इसलिये फौरन उनके लिये बिल्डिंग्स बन गयीं, लेकिन हरिजनों के लिये झोपड़ियां भी नहीं बन सकीं। यह हमारी सरकार के कारनामे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम १० करोड़ रुपया इसके लिये रखा जाना चाहिये और जो हरिजन बेकार हैं उनको तमाम इंडस्ट्रीज और व्यापार दिया जाय ताकि वह उत्पादन बढ़ा सकें।

श्री नारायणदीन वाल्मीकि (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो आज मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह हरिजन समस्या जिसके ऊपर आज चर्चा हो रही है वह महात्मा गांधी की एक समस्या है। उनके रचनात्मक कार्यों का एक कार्य है। महात्मा गांधी ने जिस तरह से देश के लोगों को कहा था कि यह देशवासियों के लिये एक प्रायश्चित है और उसको तमाम समाज के लोगों को और समाज को ही नहीं बल्कि सरकार को भी उसका प्रायश्चित करना चाहिये, इस प्रायश्चित के अनुसार जो आज हमारी सरकार बात कर रही है वह बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन वह अपने कार्यों में जिस तरह से व्यस्त है और आज जिस तरह से उसके सामने और बड़े बड़े कार्य हैं, उनको देखते हुये बहुत कुछ हो भी रहा है यह कहा जा सकता है। मैं बतलाऊं आपको कि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि संसार के बहुत से देश, अमरीका तक इस प्रायश्चित को करने के लिये तैयार हैं। अमेरिकन जाति जो बहुत सभ्य जाति कहलाती है उनके यहां भी यह एक बहुत बड़ी समस्या है और वह है गोरे और काले की समस्या। वहां के लीडरों को देखिये जो आज संसार में सभ्य कहे जाते हैं और बहुत बड़े लीडर हैं वह लोग भी एक जाति के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, अत्याचार करते हैं और जब हम अपने देश को अमरीका से मिलान करते हैं, जो अपने को बहुत बड़ी एक सभ्य जाति कहता है तो हम अपने को ऊंचा पाते हैं। वह इस तरह से कि आप देखें वहां की विधान सभाओं को और अपने देश की विधान सभाओं को। हिन्दुस्तान की विधान सभाओं में आज जितनी अछूत जाति की संख्या है और जितनी संख्या में उनके लीडर यहां विधान सभाओं में हैं, आज हमारी संख्या हजारों में विधान सभाओं और लोक सभाओं में पहुंच गयी है, उसके मुकाबिले में

अमरीका वाले हमसे पिछड़े हैं। इसी तरह से अमरीका ही नहीं पूर्वी देशों में जहां का मेरा स्वयं का अनुभव है, बरमा और श्याम में आज हरिजनों की एक बहुत बड़ी समस्या है और वह बहुत व्यस्त हैं अपने यहां इस समस्या को हल करने में। हमारे देश में भी हरिजनों की एक समस्या है और हमारे सूबे में भी। मैं तो कहता हूं कि इस समस्या को हल करने में हमारे प्रदेश की सरकार सब से ज्यादा आगे है। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि मैसूर की सरकार ने इनकी उन्नति के लिये १ करोड़ रुपया रखा। सही है, रखा और रखना चाहिये लेकिन काम की तरक्की भी वहां पहले से इतनी नहीं थी। मुझे ठीक पता है कि उड़ीसा में हरिजनों के पास वैसे मकान भी नहीं हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के हरिजनों के पास हैं। यहां के हरिजन कच्चे मकानों में रहते हैं लेकिन वहां उनके पास वैसे मकान भी नहीं हैं। बंगाल का हरिजन केवल झोंपड़ी में रहता है, उड़ीसा का हरिजन भी झोंपड़ी में रहता है और उन हरिजनों के बदन पर सिर्फ एक लंगोटी है और वहां केवल एक फसल पैदा होती है और वह कई महीने भूखे मरते रहते हैं। मुझे मालूम है कि उड़ीसा का हरिजन नमक बनाकर गुजर करता है। इस तरह हमारी समस्या बहुत बढ़ी। इसी तरह आप पूर्वी और पश्चिमी जिलों को देखिये, हमारी आंखों के सामने एक नजारा रहता है। मुझे पूर्वी जिलों के बारे में यह कहना है कि वहां पर एक मील के अन्दर ६ हजार आदमियों की आबादी है और पश्चिमी जिलों में एक मील के अन्दर ३ हजार की आबादी है। एक साथी ने एक छोटा सा सुझाव दिया था इसलिये मुझे कहना है मेर सुझाव है कि हरिजन विभाग की तरफ से जो कार्य हो रहे हैं उसमें पूर्वी जिलों का भी ध्यान रखा जाय। हमारे यहां हरिजन विभाग ने मकानों की समस्या ली। ठीक बात है मकान बनते हैं, मुझे ठीक पता है। हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक हजार रुपया जाता है। उस एक हजार रुपये को जब विधान सभा के सदस्य बांटने बैठते हैं तो कुछ संकोच भी आता है लेकिन हम समझते हैं कि हरिजन ही नहीं हमारे देश में और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर पड़े रहते हैं। इस लिहाज से अगर हरिजनों के लिये थोड़ी सी सहायता दी जाती है तो हतोत्साह होने की जरूरत नहीं। हमें थोड़ा सा रुपया यानी २५० रुपया हरिजनों को उद्योग धंधे के लिये दिया जाता है। सही बात है वह रुपया बिल्कुल कम है, इतने रुपये में कोई उद्योग नहीं चल सकता है। मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से कहिये, हमारे जो मंत्री हैं, हरिजन उप मंत्री हैं जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं उनसे कहें, सिफारिश करें कि अधिक से अधिक रुपया हरिजनों के लिये उद्योग के लिये दिया जाय। हमारे एक साथी माननीय विभव जी उद्योगधंधों के बारे में काफी ध्यान रखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि हमारे सूबे के अन्दर एक फाइनेन्शियल कारपोरेशन बना हुआ है उसमें मैंने देखा, मैं अध्यक्ष से मिला, उनका कहना है कि इसमें बड़ी बड़ी जमानत की जरूरत पड़ेगी, जिनके पास बड़े बड़े मकान होंगे वही रुपया ले सकेंगे। तो मैं सरकार से सुझाव देता हूं कि अगर इस तरह का बंधन है तो आप हरिजनों में उद्योगधंधे का विस्तार नहीं कर पायेंगे और आप फिर देश को समृद्धिशाली नहीं कर सकेंगे, इसलिये कि सिवाय उद्योग के और कौन सा साधन रहता है? कोई नहीं, अगर कोई साधन है तो उद्योगधंधे। जब तक आप उद्योगधंधे नहीं बढ़ाते हैं तब तक आपकी माली हालत नहीं अच्छी हो सकेगी।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी तिवारी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक हमने सरकारी पक्ष के और इधर के लोगों के भाषणों को सुना। आज अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को अनुदान दिया गया है वह उनकी समस्याओं की तरफ देखने के बाद ७४,२५,७००) रकम नाकाफ़ी है। इतनी ग्रांट से उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में बैठे हुये जो सरकार की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और सब लोग इन बिजली के पंखों के नीचे बैठे हुये स्वतंत्रता के स्वप्नों की प्रशंसा करते हैं अगर देहातों के लोगों की तरफ़ जो पिछड़े हुये हरिजन लोग हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाय तो सचमुच उनके लिये स्वतंत्रता नहीं है। आज के युग में हम

[श्री राम सुभग वर्मा]

इस सदन में बैठकर कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हमको सारी आजादी मिल गयी है इसलिये कि कुछ मानों में यहां जितने लोग बैठे हैं उनकी आर्थिक समानता है और उनकी स्थिति सुधर गयी है। लेकिन देहातों में रहने वाले उस वर्ग की आर्थिक असमानता की ओर जब ध्यान जाता है तो उस वक्त मैं यह महसूस करता हूं कि उनको स्वतंत्रता नहीं मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में कई मर्तबा जिक्र किया है कि हमारे पूर्वी जिलों में पिछड़ी हुई जातियों के जो हरिजन चमार लोग हैं उनकी क्या हालत है। आज मैं उनके पेशों की ओर सारे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में यह चैत और बैशाख के दिन है जबकि गेहूं की फसल काटी जाती है। तो एक महीने, दो महीने तक वहां यह रोजगार होता है कि पिछड़ी जाति के चमार लोग घर से निकल कर खलिहान पर जाते हैं जहां बखरी चलती है और मवेशी जो गोबर करते हैं उसमें से अनाज के दाने निकाल कर ले आते हैं और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक दूसरा कार्य यह होता है कि खेतों खेतों में जो फसल कटती है तो वहां मूसों के जो बिल होते हैं उनमें से मुसहर जाति के लोग अनाज निकाल कर खाते हैं। उनके खाने के लिये कोई साधन नहीं है। न उनके पास खेत है, न उनके घर द्वार हैं, न चारा है, न रोटी है, न खेती है। इस स्वतंत्रता के युग में जहां लोग बिना खाने के भूखे मरते हैं, जिनके रहने के लिये मड़ैया न हो, जो इस देश के अन्दर गोबर से निकाले हुये अन्न को खाते हों, यह उस देश की सरकार के लिये कलंक है। उस दर्दनाक अवस्था को देखकर हम को हैरत होती है। हर अवसर पर यही कहा जाता है कि उनका बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और कागजों में खाली हवाई बातें की जाती हैं, और जब प्रैक्टीकली उस चीज की ओर देखा जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। जबतक देश में यह आर्थिक विषमता और आर्थिक असमानता नहीं मिटेगी तब तक किसी प्रकार का सुधार होना असंभव है। जब रोटी का सवाल हल होगा तब सारी असमानता धीरे धीरे दूर होगी और पिछड़ी जातियों का सुधार संभव हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि जिन लोगों का आर्थिक सुधार हो चुका है, जिनके पास थोड़ा सा धन है उनके लिये कहीं भी छुआछूत और भेदभाव नहीं है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनको आज भी देहातों में लोग चारपाई पर बैठने नहीं देते, खड़ांऊ पहिनने नहीं देते, कुओं पर पानी नहीं भरने देते। इस प्रकार की संसारी समस्याओं को हल करने के लिये और कोई उपाय सरकार के पास नहीं है।

शिक्षा में कहा जाता है कि हमको प्रोत्साहन दिया गया है, लेकिन केवल थोड़े से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जिनकी बड़े लोगों के पास सिफारिश होती है। उसी पिछड़ी हुई अनुसूचित जाति के लड़कों के लिये जो कि घर पर रहते हैं, उनको कोई सहायता नहीं मिलती। उनको बेगारी तोड़नी पड़ती है और दूसरों की खिदमत करनी पड़ती है। कहा जाता है कि उनके लिये कुओं के बनाने के वास्ते धन की व्यवस्था कर दी गयी है, लेकिन हरिजनों के ६--६ महीने के कुयें पड़े हुये हैं, उनको ग्रांट नहीं मिलती है और न सहायता मिलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जबतक आर्थिक सुधार नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह संगठन जो कि हरिजन और पिछड़ी हुई जातियां कहलाती हैं वह खेतों में परिश्रम करते हैं और फसल पैदा करके बड़े लोगों के घरों में रखते हैं। उनको खाने तक को नसीब नहीं होता, उनको उपवास और फाकेकशी करनी पड़ती है।

तो जब तक जमीनों का फिर से बटवारा नहीं होगा, उन के लिये भूमि की व्यवस्था न होगी, उनके लिये उद्योग धंधों की सुविधा न होगी, उनके रहने सहने खाने पीने और शिक्षा आदि का समुचित प्रबन्ध न होगा तब तक हरिजनों की उन्नति संभव नहीं है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सरकार की नीति पर प्रकाश डालना चाहता हूं और केवल इशारे के तौर पर ही कहूंगा क्योंकि समय कम है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनसंख्या के आंकड़ों की गलती के कारण केंद्रीय सरकार से

जो रुपया हमारी पिछड़ी जातियों के लिये मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। हमारे यहां केवल उनकी ४१ लाख की जनसंख्या दिखलाई गई है जब कि वह हमारे प्रदेश में २ करोड़ ७२ लाख के करीब है। गत वर्ष भी मैं ने इस आपत्ति को उठाया था और मैंने उस पर शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा था और उस के जवाब में हरिजन सहायक आफिसर ने यह माना भी था कि वास्तव में यह गलती है और यह जो ४१ लाख की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की दिखलाई गई है वह बहुत कम है और गलत है। और उन का जो उत्तर है वह मैं पढ़े देता हूं कि :

"You will appreciate that the total population of Backward Classes shown in the-statement about which there has been misinterpretation so far, relates only to the districtwise-distribution of only 9 communities of the Backward Classes according to 1931 census, as in question No. 16 of Chapter III of the questionaire the Backward Classes Commission had asked for a report as to whether all the Backward Communities in the State are scattered more or less evenly in different districts or whether any of them are concentrated in certain pockets. The population of only 9 communities of the Backward Classes can never be construed as showing the total population of all the Backward Classes of the State."

पूरी जन-संख्या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में न होने के कारण जो पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिये उसका १/८ हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। जो प्रश्न १६ है उस में दिया हुआ है कि पिछड़ी जातियों की आबादी प्रदेश के तमाम जिलों में एक से तौर पर चारों तरफ है या यह बसी हुई हैं और जनसंख्या सूबे में कहीं कहीं फैली हुई है। उस का उत्तर दिया गया कि यह ९ जातियां हैं जिन की जनसंख्या ४१ लाख है मैं इसके अलावा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस पेम्फलेट की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जो बैकवर्ड क्लासेज के वेलफेयर के बारे में हैं। उसको पढ़ने से वाईक ऐसा मालूम होता है कि वह बैकवर्ड क्लासेज का उद्धार करना चाहते हैं लेकिन उस के पन्नों को देखकर वह आशा निराशा में परिणत हो जाती है। उसके पृष्ठ २ पर कहा गया है कि "The educated mem ers of the Backward Classes are being absorbed in Government services Instructions were issued as far back as 1950, the candidates from Backward Classes be given specia consideration in making recruitment."

लेकिन नियुक्ति अधिकारियों को क्या यह भी मालूम है कि पिछड़े वर्ग में कौन कौन जातियां सम्मिलित हैं।

मैं इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी से केवल यह कहना चाहता हूं कि जहां उन्होंने इस संबंध में आदेश भेजा कि ऐसा हो वहां उनको यह भी कहना चाहिये था कि बेकवर्ड क्लाजेस में कौन कौन सी जातियां आती हैं। जब कि हमारे मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि बेकवर्ड क्लासेज नौकरियों में नियुक्तियों में वही जातियां मानी जाती हैं जो शिक्षा विभाग में मानी जाती हैं लेकिन खेद है कि शिक्षा मंत्रालय से कोई आदेश नहीं भेजा गया। इसलिये मैं चाहता कि जो ५५–५६ जातियां बैकवर्ड क्लासेज की सूची को नियुक्ति विभाग व जिला अधिकारियों के पास भेजा जावे। इस संबंध में मैं यह भी कहूंगा कि यह ठीक है कि हमारी सरकार ने उनकी उन्नति के लिये कदम उठाना चाहा और उनकी उन्नति करनी चाही लेकिन जब हरिजन सहायक बोर्ड का निर्माण हुआ। तो मैंने देखा कि पहले साल तीन चार बैकवर्ड क्लासेज के प्रतिनिधि थे। लेकिन आज हम समझते हैं कि आपके बोर्ड में एक भी प्रतिनिधि

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

बैकवर्ड क्लासेज का नहीं है। हो सकता है कि कोई हमारे साथी मुसलमान भाई हों। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हिन्दू जाति में बैकवर्ड क्लासेज की काफी संख्या है फिर उनसे सरकार क्यों बेरुख हो रही है?

इस पुस्तिका में बैकवर्ड क्लासेज के संबंध में आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये बहुत कुछ कहा गया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब थोथी बातें हैं और स्पष्ट कोई बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वास्तव में उनको कोई कदम उठाना है तो एक स्पष्ट कदम उठायें जिससे बैकवर्ड क्लास की जनता में कोई भ्रम न रहे। आज एक पुस्तिका यहां बांटी गई है उसका नाम है उत्तर प्रदेश में हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण" मैंने इसको अच्छी तरह से देखा है लेकिन मैंने स्पष्ट योजना कोई भी नहीं पाई, न उनकी नौकरी के संबंध में और न आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के संबंध में कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान जवाहर लाल जी नेहरू के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने २ दिसम्बर, १९५४ को कांग्रेस कमेटी के समक्ष दिया और वह अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था। उन्हीं विचारों के साथ मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं।

*श्री गजनेर सिंह (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आंकड़ों का बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि झांसी में बाढ़ आने के कारण ९० प्रतिशत हरिजनों की क्षति हुई और जो सहानुभूति हमारी सरकार ने उनके प्रति दिखाई उसका मैं स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमें यह सोचते सोचते बहुत अर्सा हो गया कि हम लोग नीच क्यों बनाये गये हैं। जब कि हमारा ढांचा मनुष्य का है और एक मनुष्य को पूर्ण अधिकार है तो हमें उन अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी समझ में नहीं आई और न हमारा कोई इतिहास ही मिलता है कि हमें नीच क्यों बनाया गया है इसका कारण हमारी समझ में तो यही आया है कि जो गरीब है वही नीच है, अछूत है, हरिजन है चाहे वह किसी जाति का क्यों न हो। चाहे ब्राह्मण है लेकिन अगर गरीब है तो हरिजन और अछूत की तरह ही है। अध्यक्ष महोदय, हमें नीचे बनाने का एक ही कारण है कि हमारे पास दौलत नहीं है, उद्योग नहीं है, खेती नहीं है, जमीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरिजन विद्यार्थियों की जो फीस माफ की गई है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात है कि जो हरिजन विद्यार्थी किसी साल फेल हो जाता है तो उसकी पूरी फीस लग जाती है। मैं इसके लिये उनसे निवेदन करूंगा कि यह सदियों से गुलाम हैं इसलिये उनका दिमाग अच्छा नहीं हो सकता है कि वह हर साल पास होता जाय। इसलिये निवेदन करूंगा कि अगर कोई हरिजन विद्यार्थी फेल हो जाय तो उसकी फीस उसी तरीके से माफ होनी चाहिये जैसे कि माफ की जाती है। जब हम देहातों के अन्दर जाते हैं तो यह देखते हैं कि सरकार ने हरिजनों को अपनी यह भावना बतायी है कि जमींदारी को इसीलिये उसने तोड़ा था कि जितने भी हमारे प्रदेश के हरिजन हैं, जो भूमिहीन हैं और जो भूमि जमींदार लोगों के पास है वह उनसे अपने कब्जे में लेकर उनको दे दे जो सदियों से गरीब हैं और हरिजन कहलाते हैं। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी का और अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या वे इस बात को देख सकते हैं कि कितनी जमीन गांव सभाओं की ओर से हरिजनों को या भूमिहीनों को दी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कदापि इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं कि जैसे हमारी सरकार ने इस चीज को रखा था वैसा गांव सभायें कर सकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाऊंगा कि जब हरिजन मुहल्लों में शराबखाने और ताड़ीघर खोल कर पांच पांच करोड़ रुपये की आय सरकार कर सकती है तो उनके लिये बजट सिर्फ ७४ लाख रुपये का बनाया जाता है मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अगर उन्हीं से कमाया हुआ धन ही उनको वापस कर दिया जाय तो वे अपना उत्थान जल्द से जल्द कर सकते हैं।

श्री [illegible] (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही अंग है इस सारे राज्य का शिक्षा विभाग का जो चिराग़ हमारे सामने जलता है इसी की बदौलत आज हम यहां बैठे हैं। थोड़े बहुत जो हमारे हरिजन बच्चे पढ़े लिखे हैं तो इस शिक्षा विभाग में हमको दिखाई देते हैं, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में तथा शिक्षा विभाग में हमारे साथ न्याय हो रहा है अन्याय नहीं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, किसी प्रतिशोध की भावना से नहीं कहना चाहता हूं। मैं आज इस सदन के सामने अपने शिक्षा मंत्री को भी बता देना चाहता हूं कि हमारे भाई सीताराम जी को इस सदन में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी से उपमंत्री बनाया गया और उसी विभाग में रखा गया। हम देखते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है, हमारी सरकार क्रियाशील हो रही है, हम भी क्रियाशील हो रहे हैं।

हमारे भाई वर्मा जी ने उधर से बहुत क्रोकोडाइल टियर्स बहाये लेकिन मैंने देखा है कि उस बाढ़ के ज़माने में ६ आदमी यहां लाये गये २० रुपये किराये के खर्च करके। अगर उनको २० रुपये का अनाज देवरिया में ही बांट दिया गया होता तो कहीं अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से एक गुस्ताखी मैं इस सदन में करना चाहता हूं कि आज हमारे जिले में महाराजगंज एक तहसील है वहां कुछ विदेशी आये हुये हैं। वहां पर एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां अमेरिकन्स प्रचार कर रहे हैं और हमारे गरीबों को ईसाई बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस संबंध में सरकार सचेत हो जाय वरना न जाने क्या हो जायगा। ये विदेशी हमारी पीठ में छुरा भोंकने की फिक्र में हैं जिसका नतीजा हमने देखा है कि आज मद्रास में बहुत से ईसाई हरिजन हैं।

सरकार ने अबकी हमारे लिये कुछ रुपये बढ़ाये हैं इसके लिये मैं उसको बधाई देता हूं और इसलिये भी बधाई देता हूं कि भटपुरवा गांव में ७० फ़ैमिलीज़ को जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था बसाया जा रहा है। हमारे भाइयों ने जाकर देखा है कि वहां ८०-९० बीघा ज़मीन पर हमारी सरकार ने चना बोवाया है और उनको बसाना चाहती है। हमारे बजट में ५० लाख रुपये मेहतर भाइयों के क्वार्टर्स बनवाने के लिये रखे गये हैं। मैं मानता हूं कि यह रुपया कम है इसलिये सरकार से कहता हूं कि इसमें कुछ वृद्धि करे। मैं रेफ्यूजीज़ को बुरा भला नहीं कहना चाहता हूं। वे हमारे देश में आये हैं और हमारा यह परम कर्त्तव्य था कि हम उनको अपने देश में बसायें। मुझे उनसे कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। मैं पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे छात्रावास जो जिलों में हैं, मेरे यहां बस्ती में भी गवर्नमेंट स्कूल में है और वहां पर हरिजन बच्चे बड़े गर्व के साथ पढ़ते हैं वहां पर स्थान की कमी है तो वहां पर २,४ कमरे और बनवा दिये जायं। हम नहीं चाहते कि हमको अलग कर दिया जाय। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान का नक़शा यहां पर और बना दिया जाय। हम मजबूत होकर देश का निर्माण करना चाहते हैं और देश का कल्याण करना चाहते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से पुनः कहना चाहता हूं कि जो वजीफे जिलों में हमारे बच्चों को दिये जाते हैं वह ढंग से बांटे जायं ताकि जुलाई में हमारे बच्चों को मिल जाय। किताबें लड़कों को इन टाइम मिल जायं जिससे उन बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से हो जाय।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस समय तक सदन के जितने सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार यहां पर प्रकट किये हैं उनसे तथा इस पुस्तक के कुछ पृष्ठों के पढ़ने से यह मालूम होता है कि हरिजन तथा पिछड़ी जाति का सुधार जितना भी जल्दी किया जाय उतना ही अच्छा है। इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती है। यह बात सत्य है और अपनी जगह पर बिलकुल सही है। हमारे देश में पूर्व में शासन व्यवस्था इस प्रकार की रही जिसमें हरिजन या पिछड़ी जाति के लोगों को नीचा करके रखा गया ताकि उनकी शक्ति तहस नहस कर दी जाय। मैं समझता हूं कि आज उनको एक समुचित रास्ते पर लाने के लिये या व्यवस्थित ढंग पर उनका कल्याण करने के लिये समय की जरूरत पड़ेगी लेकिन मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जितनी भी तीव्र गति धारण कर सकें या तत्काल अपना कदम आगे बढ़ा सकें वह समाज के हित में ही होगा और वह इस परिस्थिति के लिये सबसे बड़ा कदम होगा। साथ ही साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि आज हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल जी ने समाजवादी ढांचे पर राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिये अपना एक लक्ष्य दिखाया है। आज मैं शिक्षा मंत्री महोदय तथा प्रदेश की सरकार से यह निवेदन करूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवसर पर जाति पांति उन्मूलन करके क्यों न समाजवादी ढांचे पर इस हरिजन समुदाय का निर्माण किया जाय। यदि यह हो सकता है तो मैं यह समझता हूं कि कदम क्रान्तिकारी ढंग से आगे बढ़ना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और कोई भी व्यक्ति इससे विरोध नहीं कर सकता है जो कि समाजवाद की रीति से देश का कल्याण करना चाहता हो। यह बात स्पष्ट है कि समाज के लिये तथा इस देश के लिये यह कलंक की बात है कि जो शरीर मांस तथा चमड़े का बना हुआ है उस शरीर से हमारे देश के मन्दिर की मूर्ति भी नफरत करे तो यह हमारे देश के लिये और इस देश में रहने वालों के लिये बहुत ही दुःख की बात है। गोरखपुर में विनोबा जी से बाबा राघवदास जी बात कर रहे थे। मुझे यह दृश्य याद है कि जिस समय वहां पर मन्दिरों का जिकर चल रहा था तो विनोबाजी के आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं यह समझता हूं कि आज सरकार इस बात की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस करती है कि इस देश में मन्दिरों में रहने वाली पत्थर मूर्ति यदि हरिजनों से नफरत करती है तो उसका क्या उपाय हो सकता है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह बताना चाहता हूं और जोरदार शब्दों में बताना चाहता हूं कि जो समाज सदियों से गर्त में पड़ा हुआ है और जो समाज दबा हुआ रहा है उस समाज के अन्दर भयंकर क्रान्ति होना आवश्यक है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण हर मन्दिर में हरिजनों को साथ लेकर चलें तभी हमारा कदम आगे बढ़ेगा। हम उन मन्दिरों में घुसकर ही रहेंगे यह हमारा अधिकार है। हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हम देश के मन्दिरों में जाने का अधिकार रखते हैं। हम मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, हम श्रम करते हैं मशीन के सामने अपने शरीर को मशीन बनाकर काम करते हैं। अपने शरीर को धूप में जमीन में रख कर काम करते हैं। हमारे बल पर हमारे काम के बल पर, हमारी मेहनत के बल पर आश्रित रह कर बड़े बड़े लोग आराम से बैठे हुए हैं आज हमें समाज में उनकी हालत को ठीक करने के लिये एक क्रान्तिकारी कदम उठाना होगा। जब तक हम क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाते हैं तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। जो हमारे हरिजन भाई हैं, जो हरिजन नेता हैं कभी कभी उनसे बड़ी भारी भूल हो जाती है जब हरिजन हरिजनों को अपनाने की बात कहते हैं तो वे एक प्रकार की अपने में कमजोरी पाते हैं। हमें चाहिये कि हम दूसरे भाइयों का सहयोग लेकर उनके कंधे से कंधा मिला कर हरिजन उत्थान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिये इसी में हमारा ज्यादा कल्याण होगा और ज्यादा

हरिजनों का लाभ होगा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार की दलबन्दियां हैं, विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं लेकिन हमें हरिजन उत्थान के लिये इस बात से सचेत रहना चाहिये कि हम किसी पार्टी बाजी के चक्कर में न पड़ें और उससे अपनी जो एकता है, जो अपना ध्येय है उसको खोने की कोशिश न करें। उपाध्याय जी, जरा सब्र रक्खें मैं उनको भी जानता हूं। उनकी तो बहुत सी मोटरें चल रही हैं, उनमें क्लीनरों और ड्राइवरों के स्थानों पर वे हरिजनों को रक्खें तो वे हरिजनों की कुछ सेवा कर सकेंगे। तभी आपका भी अधिक कल्याण होगा और तभी समाजवादी दल भी जिन्दा रह सकता है। जिस प्रकार की आपकी मनोवृत्ति है उसको हम भली प्रकार से जानते हैं। सदन में बोलते हुए माननीय विरोधी दल के नेता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया 'चमारों' मैं समझता हूं कि किसी भी जाति के आदमी को किसी बुरे प्रकार से सम्बोधित करना उचित नहीं है, मैं समझता हूं कि वह खतरे से खाली नहीं है। अब आपको ख्याली दुनिया को छोड़ कर व्यावहारिक दुनिया में आना होगा। हरिजनों के उत्थान की ओर आगे बढ़ना होगा, तभी देश का कल्याण हो सकता है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के अनुदान पर मुझे अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हरिजन बस्तियों के बारे में कुछ संकेत किया गया। उसके सिलसिले में मैं यहां लखनऊ की कुछ हरिजन बस्तियों का जिक्र करना चाहता हूं। यहां लखनऊ में नयी बस्ती बरफखाना है जिसमें अधिकांश हरिजन लोग रहते हैं। उसके लिये इस प्रकार के आर्डर्स हुए हैं उसको गिरा कर मध्य श्रेणी के लोगों के लिये माहेल हाउसेज बनाये जायंगे। उस बस्ती में अधिकांश हरिजन लोग रहते हैं और जिस प्रकार से हरिसिंह जी ने कहा कि शरणार्थियों की बस्ती बसाने के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया लेकिन हरिजनों के लिये उतना नहीं किया गया है। उनके लिये भी अधिक ध्यान होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह आर्डर उस नयी बस्ती को खुदवाने और मध्यम श्रेणी के लिये मकान बनवाने का स्थगित कर दिया जाय। और यदि कोई मकान बनवाये जायं तो उनके लिये ही बनवाये जायं और इस तरह के बनवाये जायं जो ४, ५, ६ रुपये महीने किराये के हों या उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी जायं और किस्तों में उनसे मकान का रुपया (कीमत) वसूल किया जाय।

इसी लखनऊ की एक दूसरी बात भी बता देना चाहता हूं वह यह कि छावनी में बड़ी लाल कुर्ती बाजार है जिसमें लगभग ४०० हरिजन रहते हैं। वह बाजार मुहम्मद इब्राहीम साहब की थी जो पाकिस्तान चले गये। इस समय वह बाजार कस्टोडियन के अधीन है। हमें मालूम हुआ था कि उस बाजार को नीलाम करने का आर्डर कस्टोडियन के यहां से आ गया है तो मैंने इधर उधर कस्टोडियन आदि से बातचीत करके अभी उसको स्थगित करा रखा है लेकिन एक न एक दिन वह बिकेगा जरूर। मैंने कस्टोडियन जनरल से भी लिखा पढ़ी की है और मैं इस सदन के सामने भी कहना चाहता हूं कि जब इस तरह से हरिजनों की बस्तियां बनाने के लिये सरकार लाखों रुपया व्यय कर रही है तो जो बनी बनायी बस्ती है और जिसमें ४०० के लगभग हरिजन रहते हैं उस बड़ी लाल कुर्ती बाजार से हरिजनों को क्यों निकाला जाय? इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ कंजर जाति के लोग रहते हैं लेकिन उनके लिये मकान बनाने के लिये कोई सहायता नहीं दी जा रही है। हमारे यहां लैंड रिफार्म कमिश्नर के दफ्तर के सामने जो मैदान पड़ा हुआ है वहां पर कंजर जाति के लोग रहते हैं और वे किसी कच्चे मकान में नहीं रहते बल्कि सिरकी की झोपड़ियां पड़ी हुई हैं जिनमें कि वे रहते हैं जिसकी वजह से बरसात में उनका कोई बचाव नहीं हो पाता। इसलिये उन लोगों को

[श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि]

बसाना बहुत ही जरूरी है। इस काम के लिये कुछ हरिजन सोशल वर्कर्स हैं जो इस प्रकार कार्य करते हैं लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है और मैं लखनऊ की ही बात कहता हूं कि यहां लगभग ६ या ७ हरिजन सोशल वर्कर्स हैं लेकिन उनमें ४ ऐसे हैं जो हरिजन जाति के नहीं हैं बल्कि ब्राह्मण हैं। एक दिन जो एक ब्राह्मण सोशल वर्कर्स हैं उनसे मैंने पूछा कि क्या आप बतला सकते हैं कि लखनऊ में हरिजन बस्ती कितनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर मैंने कहा कि लखनऊ के हरिजनों की समस्यायें बतला सकते हैं, तो वे कह न सके कि नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन सोशल वर्कर के नाम पर नान हरिजन को रख कर हरिजनों के साथ अन्याय किया जाता है। हरिजनों को जो उद्योग सम्बन्धी अनुदान दिया जाता है उनकी अन्तिम रिपोर्ट जिला हरिजन सेवक कमेटी के सदस्य एम० एल० एज० द्वारा लेनी चाहिये क्या समस्त प्रदेश से जो उद्योग सम्बन्धी अनुदानों के प्रार्थना-पत्र आते हैं उनका निर्णय केवल तीन व्यक्तियों की कमेटी के बजाय स्टेट हरिजन बोर्ड के सदस्यों की राय से उनका अन्तिम निर्णय किया जाना चाहिये। हरिजनों के साथ आज इस प्रकार की बातें की जाती हैं जिससे उनके अन्दर असन्तोष की भावना बढ़ती जा रही है। मैं एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात इसलिये कहता हूं कि मुझे पता है कि वहां से चपरासी के काम के लिये भी कोई हरिजन भेजा जाता है तो वहां उसको नहीं रखा जाता है। मुझे मालूम है कि एक हरिजन तीन बार बार भेजा गया लेकिन चपरासी की जगह पर उसको न रख कर एक ब्राह्मण देवता को रखा गया क्योंकि वे घर के और काम भी कर सकें। इस तरह से हरिजनों के साथ घोर अन्याय किया जाता है। ब्राह्मण चपरासी इसलिये रखा जाता है ताकि पानी ला सके, पानी पिला सके और घर के लिये भी पानी भर कर रख सके, यहीं तक नहीं बल्कि बच्चे को भी खिला सके और उनके घर के तमाम काम कर सके। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की काफी देखभाल की जाय ताकि हरिजनों में बढ़ता हुआ असन्तोष शान्त हो और हरिजनों का उत्थान हो सके।

*श्री नरायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, आज के विवाद से एक बात तो स्पष्ट हो गयी कि बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब कि सरकारी पक्ष की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य भी विरोधी दल के कार्य को बहुत सुन्दरतापूर्वक निभा लेते हैं और मुझे तो आज यह विश्वास हो गया है कि कभी अवसर आने पर हमारे माननीय सदस्य जो कि उधर बैठते हैं उनके द्वारा विरोधी दल की तरह ही सरकार की सुन्दर विवेचना बन सकेगी। एक माननीय सदस्य ने यह शिकायत की कि हमारी तरफ से 'चमार' शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन मैं ऐसी धृष्टता तो नहीं कर सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि हमारी तरफ के किसी भी सदस्य ने इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया। और यदि किसी और दिन किसी ने किया भी होगा तो मेरे ख्याल से वह शब्द ऐसे ही लोगों के लिये कहा गया होगा जो हरिजनोद्धार का विरोध करते हैं। जहां तक आलोचना का प्रश्न है इससे सुन्दर आलोचना नहीं हो सकती जो कि सरकार की और खास तौर से हरिजन सहायक विभाग की माननीय विकल जी ने की है और कहा है कि कहा कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। यह संक्षेप में केवल हरिजन सहायक विभाग की ही हालत नहीं है अधिकांश विभाग सरकार के ऐसे हैं। जो यहां पर सुझाव दिये गये हैं वे नेत्र विहीनों के लिये नेत्रदान करने वाले थे और बहुत ही रचनात्मक सुझाव हमारे सम्मुख आये हैं जैसे हरिजन सहायक बोर्ड के निर्माण के सम्बन्ध में, लेबिहर मजदूरों को जमीन दिये जाने के सम्बन्ध में और भूदान के सम्बन्ध

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कहा गया कि उसकी जमींन का जो बटवारा हुआ है उसकी हर तरफ आलोचना ही की जाती है। तो इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि वह इतना दुष्कर कार्य है कि अच्छी से अच्छी इच्छा रहते हुये भी सरकार नहीं कर पा रही है और हमारे माननीय खुशीराम जी के शब्दों में वह कुयें में बताशे डालने के बराबर है। बताशा कुयें में डाला जाय और यह आशा की जाय कि कुआं मीठा हो जायगा तो इतने सुन्दर अनुप्रासयुक्त शब्दावलियों में जो आलोचनायें हुई हैं उन शब्दावलियों में अपनी शब्दावली को जोड़ना मैं उपयुक्त नहीं समझता। केवल मंत्री जी से इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि समय की इस सूचना को जल्दी ही सरकार समझ ले और क्रान्ति का जो आभास इस सदन में माननीय शिवप्रसाद जी के शब्दों में है उस क्रान्ति को समझने की वह चेष्टा करें अन्यथा जिस समाजवाद को वह अपने स्वप्नों में देखा करते हैं वह यथार्थ होकर रहेगा।

*शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---श्रीमन्, इस अनुदान के सम्बन्ध में जो वादविवाद विरोधी दल की तरफ से और इस तरफ के माननीय सदस्यों की ओर से भी हुआ उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैंने कभी इस बात के लिये इस भवन में कहा भी नहीं कि इस छोटे से अनुदान के जरिये हम हरिजन समस्या का हल काफी निकाल रहे हैं। यह ७५ लाख और १ करोड़ और वह वास्तव में १ करोड़ है, लेकिन नारायणदत्त जी की समझ में बात आ नहीं सकती और वह अगर जोड़ते तो पारसाल वह ७० लाख था और २५ लाख या २६ लाख का सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स हुआ इस तरह से एक करोड़ के लगभग हुआ और वही फिगर्स यहां लिखी गयी है। लेकिन उनकी समझ में नहीं आया और मैं समझता हूं कि उनकी समझ में वह नहीं आयेगी। तो जैसा मैं कि कह रहा था कि जो समस्या का आधार है जो आज हमारे देश की अवस्था है जो समाज की अवस्था है और जो हमारी अवस्था है उसमें यदि कुल विभागों को तोड़ दिया जाय और कुल रुपया यदि हरिजन विभाग को ही दे दिया जाय तब भी मैं समझता हूं कि उससे कई वर्ष में इस समस्या का हल शायद ही निकल सकता है। लेकिन इस समस्या का हल है क्या यह भी सोचने की बात है। अवस्था शोचनीय है इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कि जैसा माननीय पुत्तूलाल जी ने कहा कि एक विशेष वंश में पैदा होने का कारण मैं इस विभाग का मंत्री हूं। मुझे होना भी नहीं चाहिये। हो सकता है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यदि सेवा भाव उसका कोई मापदंड है और सेवा की प्रेरणा का कोई मापदंड है तो मैं अपने को किसी दूसरे से हरिजन विभाग का मंत्री होने के लिये कम नहीं समझता। मैं समझता हूं कि मुझे भी एक अधिकार है और जिस कारण वह यह समझते हैं कि मुझे अधिकार नहीं एक विशेष वंश में पैदा होने के कारण उसी के कारण मुझको यह अधिकार है कि मैं अपने हरिजन भाइयों की अधिक से अधिक सेवा, यदि मेरे लिये सम्भव हो तो, मैं करूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि इनको दबाये रखने का जो एक कलंक है मैं शायद अधिक अशक्त नहीं हूंगा अगर मैं कहूं कि वह हमारे ही वंश पर उसका कुठाराघात होगा। इसलिये भी मैं अपना अधिकार समझता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं और आप यह कदापि न समझें कि मैंने या मेरे उपमंत्री ने जब यह अनुदान की संख्या इस भवन के सामने प्रस्तुत की तो हम इस बात से संतुष्ट थे कि यह अनुदान काफी है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---पुत्तूलाल जी ने यह नहीं कहा कि वशेष वर्ग के होने के नाते उनको इसका मंत्री न होना चाहिये। यह कहा था कि यह अनुदान मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश होना चाहिये था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरगोविन्द सिंह---तो एक तो समस्या क्या है इस पर मैं समझता था कि कुछ प्रकाश डाला जायगा। समस्या वास्तव में यह है कि सरकार ने यह समझा कि एक तो आर्थिक समस्या है और दूसरी सामाजिक समस्या है। जहां तक आर्थिक समस्या का संबंध है यह कहना नितान्त गलत है कि उसका संबंध केवल हरिजनों तक ही सीमित है। आर्थिक समस्या का संबंध हरिजनों की परिधि से आगे अन्य वर्ग के लोगों तक भी पहुंचता है। तो यदि उत्थान होता है आर्थिक दृष्टि से समस्त प्रदेश का तो यह कहना कि हरिजन उससे वंचित हैं यह गलत होगा। इसलिये आप बजट के अन्य भाग को जो हरिजनों से संबंधित नहीं है आप उसको उस दृष्टि से देखें। अलावा उसके दूसरी समस्या सामाजिक है। सामाजिक समस्या का हल सरकार ने यह समझा कि यदि शिक्षा का प्रसार इनमें किया जाय तो यह सामाजिक कठोरपन जो है यह दोनों तरफ से दूर होगा और उसका कठोरपन घिस जायगा। तो इस दृष्टि से उसका कोई स्थान नारायण दत्त जी की समाज व्यवस्था में न हो, उन्होंने फौरन कह दिया कि यह तो शिक्षा के लिये ४४ लाख रुपये हैं, इसको वे छोड़ देते हैं और केवल ६ हजार रुपये को वास्तव में हरिजनोत्थान के लिये समझते हैं। उनकी समाज व्यवस्था में या जिस समाजवाद की वे कल्पना करते हैं उसमें यह हो सकता है कि हरिजन भाइयों को शिक्षा न दी जाय इसीलिये शायद उन्होंने यह भी कहा कि यह डिपार्टमेंट तोड़ दिया जाय और ५० लाख रुपये को इस अनुदान का अंग न माना जाय, केवल ६ लाख रुपयों को माना जाय। हमारी समाज व्यवस्था में या जिस समाज व्यवस्था की हम कल्पना करते हैं या जिस समाज व्यवस्था का हम निर्माण करना चाहते हैं उसमें तो यही है कि हम उनको शिक्षित बनायें, हम उनको ऊंचा ले जा सकें जिसमें कि हममें और उनमें किसी किस्म का भेद भाव न रहे। इसलिये यह कह देना कि यह ५० लाख रुपये नगण्य हैं केवल ६ लाख रुपये ही हरिजनों के लिये हैं तो मैं कहता हूं कि सम्पूर्ण बजट अगर काश्तकारों की भलाई के लिये है, सिंचाई के लिये है, स्कूल खोलने के लिये है, कालेज खोलने के लिये है उससे क्या हरिजनों का लाभ नहीं होगा। अगर स्कूल और कालेजेज नहीं होंगे तो हरिजन पढ़ेंगे कहां। हरिजनों को दिया गया है वह तो उसके अलावा है। और जो कालेज और स्कूल खोलने के लिये हम देते हैं उसमें भी एक अंश चाहे वह कम हो या अधिक हो उसका उनको भी मिलता है। इस दृष्टि से आप कदापि न देखें जिस प्रकार से कि इस समस्या के दोनों अंगों पर प्रहार किया जा रहा है। शिक्षा में जो प्रगति हुई है उसको मैं जरूर संतोषजनक समझता हूं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह सुन कर कि एक सज्जन ने कहा कि एक हरिजन आश्रम को चलाने के लिये २ हजार रुपये दिये जाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि जितने हरिजन आश्रम हमारे प्रांत में हैं उन सब का कुल खर्च बरदाश्त करूं और मैंने इस बात का प्रयत्न भी किया है जिसमें कि उनको किसी बात की तकलीफ न हो। मैं इस बात की कोशिश भी करता हूं और प्रयत्न भी करता हूं कि हमारे छात्रावासों में ऐसा न हो कि किसी विद्यार्थी को केवल हरिजन होने के नाते स्थान न मिले। यदि मुझे एक भी स्कूल ऐसा मिलेगा कि जिसमें विद्यार्थी को केवल हरिजन होने के नाते स्थान न मिला हो तो मैं उसे गिरा देना ठीक समझूंगा। मुझे यह सुन कर अवश्य दुख हुआ कि वह हरिजन अधिकारियों के यहां गये और वहां उनका अपमान हुआ। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं यदि उनका अपमान हुआ लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं यह चाहता हूं कि हमारे भवन का कोई सदस्य हमारे अधिकारियों के पास न जाय। मैं समझता हूं कि उसको यह समझना चाहिये कि यही बात उसके लिये अपमान जनक है कि वह हमारे विभागीय अधिकारियों के पास जायं और उनको गलत या सही जो मौका मिलता है और आप यह समझें कि उसने आपका अपमान किया। मैं समझता हूं कि हमारे यहां कभी भी कोई प्रतिबन्ध किसी के आने पर नहीं किया गया, हर समय कोई भी माननीय सदस्य और उनके अलावा कोई भी, जो संबंधित है, वह आकर अपनी बात कह सकता है। उसको क्या आवश्यकता पड़ती है कि जो वह हमारे विभागीय अधिकारियों के पास जाता है? मैं आज फिर कहता हूं और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हमारे भवन के सदस्य विभागीय अधिकारियों के यहां न जाकर मुझ से अपनी बात कहें और मैं उनके मामलों को सुलझाने का प्रयत्न करूंगा। क्यों वह उनको ऐसा मौका देते हैं?

और बहुत सी बातें कही गईं। मुझे उन छोटी-छोटी बातों का जवाब तो नहीं देना है जैसे कि द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने जौनपुर की बात कही, किसी एक लाइब्रेरी की बात कही। उनको तो कुछ समय तक सरकार में रहने का अनुभव है और उनको यह समझना चाहिये कि यह भवन उपयुक्त स्थान नहीं है ऐसी बातों का, लेकिन अगर वह जानना चाहते हैं तो उन्हीं को नहीं, मैं भवन के सभी सदस्यों को दावत देता हूं, जिस किसी के बारे में उन्होंने कहा हो, आकर देख लें मेरे साथ और फिर आप सब अपना निर्णय मुझे दें और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि भवन का हर एक सदस्य वही निर्णय करेगा जो मैंने कर दिया है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन एक ऐसी बात भवन में कहना उसके स्तर को नीचे गिराना है और इसलिये मैं वह सब बातें यहां नहीं कहना चाहता, किसी लाइब्रेरी की बात, किसी नाइट स्कूल की बात या किसी माननीय सदस्य की या किसी और की। वह जो वेलफेयर की बात कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं और मैं उसे यहां नहीं कहना चाहता था लेकिन मैं उसकी बड़ी निन्दा नहीं करता कि जो सब बातें एक वेलफेयर वर्कर के बारे में उन्होंने कहीं, लेकिन अगर वह जानना चाहते हैं तो मैं उनको दिखला सकता हूं। वह आ कर देख लें। मुझे केवल एक बार मालूम हुआ कि किसी मकान मालिक का झगड़ा था, फाइल में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। शायद उन्होंने बुद्धिमत्ता से, अपना एक स्तर बना रखा है उससे उन्होंने उसको नाप दिया कि एक छोटे से मकान की बात को ले कर मैं अपना असर इस तरह से डाल दूंगा। चाहे वह मुझसे असहमत हों, मैं जानता हूं कि वह सहमत हो ही नहीं सकते, लेकिन मैं इतने नीचे स्तर पर सोच करके कि एक मकान के खाली कराने के सिलसिले में हरिजन लाइब्रेरी के सिलसिले में मैंने यह सब कर डाला। तो शायद न जानने के कारण उन्होंने कहा।

बहुत से सुझाव दिये गये, भूमि संबंधी भी दिये गये। आप जानते हैं कि जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में जितने यहां से आदेश गये हैं शायद वह सभी यह कहते हैं कि पहले भूमिहीनों को जमीन दी जाय और शायद मैं समझता हूं और आप जानते हैं कि जो वातावरण है शायद इन आदेशों का पालन न होता हो। लेकिन आप जानते हैं कि यह कानून की बात है, उसी कानून में यह रास्ता भी दिया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप किस प्रकार से उसकी पूर्ति कर सकते हैं यह भी कानून में दिया हुआ है। तो यहां से कोई आदेश तो नहीं दिया जा सकता इस बात का कि नहीं फलां आदमी को न देकर फलां आदमी को जमीन दे दी जाय। यह किसी कानून में संभव नहीं है। तो जो उसमें प्रतिबन्ध है जो मशीनरी उसके द्वारा बनाई गई है कि अगर इस आदेश का पालन न हो तो जिस प्रकार से उन आदेशों का पालन कराया जा सकता है उसके लिये कार्यवाही की जाय। तो अगर शिकायत हो तो उसके अन्तर्गत कार्य करना चाहिये लेकिन अगर यह बात है तो दुख की बात है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं, अपने यहां की जानता हूं कि काफ़ी पंचायतें ऐसी हैं और शायद आधे से कम न होंगी जहां सभापति कोई हरिजन या जिनको तथाकथित पिछड़ी जाति कहते हैं, उनका न हो।

अब रही लाठी से कब्जा करने वाली बात, तो मैं अपने जिले में कह सकता हूं कि जिनको आप पिछड़ी जाति कहते हैं उनमें से एक वर्ग ऐसा है जो लाठी के जोर पर ठेका लेता है कि हम आपको जबरदस्ती कब्जा दिला देंगे। अपने यहां का एक केस भी जानता हूं जिसमें कत्ल तक हुआ, मुकदमे चले। तो पिछड़ी जाति में अगर आप यह कहें, कम से कम जो जातियां हमारी तरफ़ हैं और आप पिछड़ी कहते हैं, वे मेरी समझ में यह नहीं आता कि उनको क्यों पिछड़ी जाति कहा जाय। यदि शिक्षा में देखा जाय तो भी अन्य जातियों से कम नहीं है। यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा हमारे तो सबही गांव में रहने वाले हैं, वह किसी जाति के हों, अगर आप यह मानते हैं कि जन्म से कोई आगे हो गया तो यह तो दूसरी बात है, लेकिन मेरी समझ में गांव में रहने वाला चाहे किसी जाति का हो वह पिछड़ा ही हुआ है और अधिक से अधिक जो सुविधा दी जा सके वह अवश्य ही दी जानी चाहिये। यह सरकार का फर्ज है, क्योंकि समाज का एक अंग छिन्न भिन्न करके समाज

[श्री हरगोविन्द सिंह]

का कल्याण नहीं कर सकते समाज का कल्याण सब को मिला करके ही होगा तभी समाज को विकसित कह सकते हैं, समाज अच्छा हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है।

एक बात और कह दूं हमारे हरि सिंह जी ने कह दिया कि मेरठ में केवल १२ हजार खर्च होता है। मैं कहता हूं कि मेरठ में केवल फ़ीस का हरिजनों को रुपया दिया जाता है वह प्रांत में सबसे ज्यादा है वह है एक लाख ४८ हजार। और यह भी कहा गया कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है वह ठीक नहीं है। प्लानिंग विभाग के पास हरिजनों के कार्य केवल इतना है कि कुओं का निर्माण करना, इंडस्ट्रीज प्रांट को देना, और मैं नहीं कह सकता। लेकिन कुओं के लिये जितना दिया गया, उसमें से कहीं कुछ नहीं बचा और वह लगे हुये हैं हर जगह, यह तो निश्चित है।

श्री जयपाल सिंह—सब जगह लगे होंगे, ऐसा ही जवाब देते हैं मंत्री जी।

श्री हरगोविन्द सिंह—तो फिर अगर आप बतलायें कि एक भी जिले में ग्रांट रुक गयी और वह ग्रांट खर्च नहीं हो सकी तो अलबत्ता मैं उसके ऊपर विचार करूंगा कि प्लानिंग विभाग में से ले लिया जाय।

एक सदस्य—फैजाबाद में बताना चाहता हूं कि इस वक्त भी ६ हजार रुपया से....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बगैर इजाजत के न बोलें।

श्री हरगोविन्द सिंह—भ्रम इस कारण है कि कुओं को बनाने के लिये निश्चित तिथि कोई नहीं होती कि कब उस निश्चित तिथि तक कुयें बना दें तो रुपया मिलेगा। हमने एक हजार, २ हजार, ४ हजार, जो रुपया हरिजनों को कुओं के लिये दिया वह प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रपोजल पर दिया और ज्यों-ज्यों कुयें बनते जाते हैं, रिपोर्ट आती है और रुपया देते हैं। तो यह तो हो नहीं सकता। हां, अगर आप यह कहें कि वह रुपया जो हरिजन कुओं के निर्माण के लिये था वह किसी दूसरे को मिला तब तो यह एक ऐसी बात है जो कदापि नहीं होनी चाहिये और न होगी। लेकिन अगर वह रुपया आज, कल, परसों, एक महीने में, दो महीने में, कुओं में लगता है तो फिर इसी काम के लिये मैं क्यों निकालूं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

जहां तक फीस का सवाल है, उससे उस कमेटी से कोई मतलब नहीं है। छात्रवृत्ति का सवाल है, उसके लिये भी हर जिले में एक कमेटी होती है, वह देती है। छात्रवृत्ति कम है, उसमें कोई संदेह नहीं हम उसको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अगर हो सका, जैसा कि कालेजेज में प्रत्येक हरिजन बालक को देते हैं, चाहे वह किसी भी कक्षा में क्यों न हो। हम उसको फीस के अलावा, होस्टल के अलावा छात्रवृत्ति भी देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिये संभव हो सके कि हम छात्रों के लिये छात्रवृत्ति और बढ़ायें कालिजों में। लेकिन जैसा कि यह कहा गया है कि फेल होने वालों को भी हम उतनी ही सुविधायें देते रहें, तो उसके लिये ५-६ कैटेगरीज हैं कि अगर बीमार है, उसके घर में कुछ हो गया, उसकी हालत बड़ी खराब है, इसलिये फ़ेल हो गया है, तो उसकी फीस माफ हो जाती है। लेकिन यह कहना कि नहीं, फ़ेल हो चाहे पास हो, हमेशा मिलनी चाहिये, मैं समझता हूं कि छात्रों के लिये ठीक नहीं है।

श्रीमन्, अगर अधिक समय होता तो बहुत सी चीजें थीं जिनका मैं जवाब देता, लेकिन . .

एक सदस्य—क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में?

श्री हरगोविन्द सिंह—क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये हमारे पास गवर्नमेंट आफ इंडिया से अभी अभी एक लाख २० हजार रुपया और आया है यहां। तो इस तरह से २,८५,००० रुपया हम उसमें खर्च करना चाहते हैं। एक बात और है कि यह तो ठीक है कि हम उनको जमीन पर बसा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वह जमीन पर बसें, उद्योग धंधों में लगें और जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि बहुत दिनों से एक पिंजरे में रहने के कारण उनकी मनोवृत्ति बन गयी है, यह संभव

है, लेकिन जितना हो सकेगा अवश्य किया जाय और मुझे तो स्वयं इस बात का दुख है कि अनुदान की संख्या और नहीं बढ़ी। लेकिन जब हम पूरे प्रांत का नक़शा देखते हैं तो अपने को संतोष दिलाना पड़ता है कि इतना ठीक है जितना अनुदान हमको मिला। उन लोगों की बात तो छोड़ दीजिये, उन लोगों का काम ही यह है, उसके लिये मैं तुलसीदास जी का एक दोहा पढ़े देता हूं --

"ग्रह ग्रहीत पुनि वात वश तेंहि पुनि बीछी मार,
ताहि पियाइये वारुणी कहो कौन उपचार।"

तो उनका काम ही वारुणी पिलाना है। एक तो बिचारे इतने दिनों से दलित हैं और उनका आर्थिक स्तर भी नीचा है। इसलिये उनसे बार-बार कहना मैं समझता हूं कि यह इस समस्या का कोई हल नहीं है और इसको हमें अपनाना भी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि हरिजन सहायक विभाग को तोड़ दिया जाय बल्कि यह कहा कि जैसी आज उसकी हालत है उसको तोड़ दिया जाय, अगर उसमें सुधार हो सकता हो तब ठीक है। मैं इतना और कहना चाहता हू कि हमने उदारतापूर्वक बहुत से कटौती के प्रस्ताव वापस लिये हैं। लेकिन आज वह उदारतापूर्वक हमारे इस कटौती के प्रस्ताव को मंजूर कर लें तो क्या हर्ज है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा शीर्षक ५७-विविध) के अन्तर्गत ७४,२८,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२३ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

श्रमदान द्वारा निर्मित मोटर सड़कों का विवरण

नाम तहसील	नाम मोटर सड़क	लम्बाई	विवरण
१—चमोली	(१) कर्णप्रयाग-मिक्यासंण	१ मील	वैसे तो ७ मी० ४ फ० मार्ग का कर्णप्रयाग से मेखलचोरी तक छोटे-छोटे टुकड़ों में निर्माण किया गया है, किन्तु १ मील सड़क पंचपुलिया से कर्णप्रयाग तक मोटर योग्य बन गई है और इस पर मोटर चल रही है।
	(२) ग्वालदन-थराली-कुलसारी	६ मील	इस सड़क का कई टुकड़ों में निर्माण किया गया है किन्तु अभी इस पर श्रमदान कार्य शुरू है और यह अभी पूर्णतया मोटर चलने के योग्य नहीं है।
२—पौड़ी	(३) बांघाट-कांसखेत-पौड़ी	८ मील	यह मार्ग बिलखेत से ढाढ़खाल तक दो मील पूर्णतया नई बनाया गया तथा क्लेथ जिला बोर्ड के बंगले के समीप से कासखेत तक ६ मील सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क जो ६ फुट चौड़ी थी उसको १६ फीट चौड़ा किया गया।
	(४) पौड़ी-देवप्रयाग	१ मील	यह सड़क अब तक डाडापाणी व स्यारखांल के बीच १ मील बनी है।
३—लैन्सडौन	(५) गुमखाल-जहरीखाल	५ मील	गुमखाल से जहरीखाल तक साढ़े तीन मील निर्माण की गई। इसके अतिरिक्त सेमीखाल से गुमखाल तक डेढ़ मील सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क जो ६ फीट चौड़ी थी, १२ फीट चौड़ा किया गया इस प्रकार ५ मील मोटर योग्य मार्ग बनाया गया। इस मार्ग पर मोटर यातायात चालू है।
	(६) सतपुली-नौगांवखाल जन साध्य मोटर मार्ग	१५ मील	यह मार्ग १८ मील लम्बा तथा १२ फीट चौड़ा बनाया गया है। इस पर गत वर्ष से सतपुली से छामाखाल तक १५ मील की दूरी तक मोटर चलती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम तहसील	नाम मोटर सड़क	लम्बाई	विवरण
	(७) कनवोटलिया-नौगांवखाल	८ मील ६ फर्लांग	यह मार्ग स्थान कनवोटलिया सार्वजनिक निर्माण विभाग की मोटर सड़क से नौगांवखाल तक ८ मील ६ फर्लांग श्रमदान द्वारा निर्माण किया गया है इस पर भी गत वर्ष नौगांवखाल तक मोटर गई है।
	(८) मरचूला-वीरोखाल-वैजरी	७ मील	यह सड़क स्थान चुलस्या की पैरी से जढ़ाऊखाला तक ३ मील श्रमदान द्वारा बनाई गई यह जिला बोर्ड की 'अ' श्रेणी की सड़क है जो ३ फीट चौड़ी थी और १८ फीट चौड़ी बनाकर मोटर योग्य बनाई गई। इसी मार्ग के आगे गुडिन्डा ग्राम से जिवई तक ४ मील जिला बोर्ड की सड़क को १८ फीट चौड़ा बनाकर मोटर योग्य बनाई गई।
	(९) कांडी-लक्षमन झूला मोटर मार्ग	६ मील	दुगड्डा और डाडमंडी के बीच श्रमदान से तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य हुआ है इस मार्ग पर छोटी मोटर जीपें चलती हैं। इस सड़क की देखरेख सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। क्योंकि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वीकृत कार्य है।
	(१०) सतपुली रीठाखाल	५ मील करीब	इस मोटर मार्ग पर सतपुली से चौमासा तक पथोटिया और नन्दौली की ओर टुकड़ों में काम हुआ है और करीब ५ मील मार्ग मोटर के चलने योग्य बन गया है। मोटरें अभी नहीं चल सकती हैं। क्योंकि काम टुकड़ों में हुआ और अभी जारी है।

श्रमदान द्वारा इन सड़कों की मरम्मत की जाती है। देखभाल तथा मरम्मत हेतु अभी कोई स्थायी सुव्यवस्था नहीं हो पाई है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

छात्रों की मांगों की तालिका

मांगें	कार्यवाही
१—उनके लिये लखनऊ यूनीवर्सिटी का १९५४–५५ के कलेंडर में छपा पाठ्य-क्रम लागू किया जावे।	लखनऊ विश्वविद्यालय ने बी० एम० बी० एस० कोर्स का एक नया पाठ्यक्रम बनाया है जो आइन्दा लागू होगा। इस साल के छात्रों को १९५४–५५ के यूनिवर्सिटी कलेंडर के अनुसार ही परीक्षा लेने के प्रश्न पर विश्वविद्यालय विचार कर रहा है।
२—संस्कृत में परीक्षा अनिवार्य न की जाय।	पाठ्यक्रम से संस्कृत की परीक्षा निकाल दी गई है। केवल शर्त यह है कि परीक्षा देने के पहिले छात्र विश्वविद्यालय को प्रमाणपत्र दे कि वह संस्कृत जानते हैं।
३—उन्हें उत्तीर्ण होने पर एम० बी०-बी० एस० के जैसे अधिकार तथा वेतन-क्रम प्राप्त हों।	उनके वेतनक्रम बढ़ाने की पूर्ण सम्भावना है और यथासम्भव उनको एम० बी०-बी० एस० के समकक्ष करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
४—उनके लिये छात्रावास का प्रबन्ध उचित ढंग का किया जावे।	एक नया छात्रावास बनवाने के लिये धन व्यवस्था कर ली गई है आदेश शीघ्र ही जारी होंगे फिलहाल किराये की इमारत ली गयी है और छात्र उससे संतुष्ट हैं।
५—उन्हें आयुर्वेद पढ़ाने के लिये सुयोग्य अध्यापक नियुक्त किये जावें।	अस्थायी नियुक्तियां चुनाव करके की गई हैं। विश्वविद्यालय के अध्यापक रक्खे गये हैं। स्थायी नियुक्ति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा जा रहा है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४–१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र जहां काम किया गया हो	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र जहां काम किया गया हो	व्यय
कृषि			मील	विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों में	रु०			मील	विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों में	रु०
१—बीज प्रसार	८,००० मन	८,४०० मन	—	—	..	८,००० मन	८,८०० मन	—	—	..
२—क्षेत्रफल जिसमें उन्नतिशील बीज बोया गया ..	८,००० ए०	९,००० ए०	—	—	..	८,००० ए०	८,९५५ ए०	—	—	..
३—क्षेत्र प्रदर्शन ..	४९०	९६०	—	—	..	४९०	५९४	—	—	..
४—यंत्रों का विक्रय	११०	२५२	—	—	..	११०	६२	४८	—	..
५—खाद वितरण	३,७५२ मन	९,७३६ मन	—	—	..	३,५०० मन	१०,१७८ मन	—	—	..
६—हरी खाद ..	२२४ मन	४९७ मन	—	—	..	२२४ मन	४५० मन	—	—	..
७—कम्पोस्ट ..	३०,५०० मन	१,००,०५० मन	—	—	..	३०,५०० मन	७०,६५० मन	—	—	..
८—वृक्षारोपण ..	८,०००	१९,०००	—	—	१,००० रु०	८,०००	७,०००	१,०००	—	१,००० रु०
पशुपालन										
१—पशु-चिकित्सा औषधालय ..	२	१	१	—	..	१	१	—	—	..
स्टाकमैन केन्द्र	४	३	१	—	..	६	३	३	—	..
२—कर्मचारियों की शिक्षा	५०	..	५०	—	..	५८	..	५८	—	..
३—नस्ल सुधार	३६	१६	२०	—	८,००० रु०	३४	१६	१८	—	८,००० रु०
४—बधिया किए गए	१,२५०	९४०	३१०	—	..	१,२५०	९३८	३१२	—	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र जहां काम किया गया हो	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र जहां काम किया गया हो	व्यय
वन										
१—निजी जंगलों का प्रबन्ध ..		..	—	—	..	५,००० ए०	५,००० ए०	—	—	५,००० रु०
२—नवीन वृक्षारोपण ..		..	—	—	..	१२५ ए०	७५ ए०	५० ए०	—	..
३—जन मार्गों पर वृक्षारोपण ..	९ मील	४ मील	५ मील	—	..	९ मील	६ मील	३ मील	—	..
सहकारिता										
१—बीज भंडार ..	८	६	२	—	..	८	५	३	—	..
२—समितियां ..	२१०	९७	११३	—	..	२१७	९४	१२३	—	..
३—सदस्य ..	४,३००	२,५००	१,८००	—	..	४,३४०	२,४४०	१,९००	—	..
सिंचाई										
१—पक्के कुएं ..	२००	९०	११०	—	३५,००० रु०	१९७	९५	१०२	—	३२,५०० रु०
२—सहकारी नलकूप	१९	११	८	—	१,२०,००० रु०	४७	४७	—	—	२३,५०,०००
							राजकीय			
३—व्यक्तिगत नलकूप	६	४	२	—	..	२	२	—	—	१५,००० रु०
										तकावी
४—पम्पिंग सेट ..	५	४	१	—	८,००० रु०	५	४	१	—	४,००० रु०
उद्योग धन्धे										
१—औद्योगिक सहकारी समितियां ..	२५	२५	—	—	..	६	..	६	—	..
२—गुड़ विकास केन्द्र	२	२	—	—	..	२	२	—	—	..
आवागमन तथा यातायात										
१—बस द्वारा यातायात	७२ मील	४८ मील	२४ मील	—	..	३५ मील	२३ मील	१२ मील	—	..
२—पक्की सड़कों का निर्माण	६ मील	..	६ मील	—	..	..	..	—	—	..
३—सड़कों का निर्माण	३२ मील	१२ मील	२० मील	—	..	३२ मील	९ मील	२३ मील	—	..
४—पुनः नवीकरण	१८ मील	..	१८ मील	—	..	१६ मील	..	१६ मील	—	..

अवध प्रदेश विधान सभा

			विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों में		रु०				विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों में	रु०
कृषि										
१—बीज प्रसार . .	८,००० मन	९,००० मन	—	—	. .	८,००० मन	८,५८८		—	. .
२—तहसील जिसमें उन्नतिशील बीज बोया गया . .	८,००० ए०	८,०४५ ए०	—	—	. .	८,००० ए०	८,००० ए०	—	—	. .
३—क्षेत्र प्रदर्शन . .	४९०	७००	—	—	. .	४९०	५०६	—	—	. .
४—यंत्रों का विक्रय	११०	८०	३०	—	. .	११०	५८	५२	—	. .
५—खाद वितरण	३,५०० मन	५,००० मन	—	—	. .	३,५०० मन	९,८२२ मन	—	—	. .
६—हरी खाद . .	२२४ मन	५२५ मन	—	—	. .	२२४ मन	३७५ मन	—	—	. .
७—कम्पोस्ट . .	३०,५०० मन	१०,४०४ मन	२०,०९६	—	. .	३०,५०० मन	१३,८४२	१९,६५८	—	. .
८—वृक्षारोपण . .	८,०००	७,०३०	९७०	—	१,००० रु०	८,०००	८,०००	—	—	५०० रु०
पशु-पालन										
१—पशु चिकित्सा औषधालय	२	१	१	—	. .	१	१	—	—	. .
स्टाकमैन केन्द्र	४	३	१	—	. .	४	२	२	—	. .
२—कर्मचारियों की शिक्षा	५८	. .	५८	—	. .	५३	. .	५३	—	. .
३—नस्ल सुधार	३४	१५	१९	—	७,५०० रु०	३४	१६	१८	—	८,००० रु०
४—बधिया किये गये	१,२५०	९३८	३१२	—	. .	१,२५०	९३८	३१२	—	. .
वन										
१—निजी जंगलों का प्रबन्ध	२,१४१ ए०	२,१४१ ए०	—	—	२,००० रु०	. .	. .	—	—	. .
२—नवीन वृक्षारोपण		. .	—	—	. .	. .	. .	—	—	. .
३—जन मार्गों पर वृक्षारोपण	९ मील	४ मील	५ मील	—	. .	९ मील	४ मील	५	—	. .

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र जहां काम किया गया	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र जहां काम किया गया	व्यय
सहकारिता										
१—बीज भंडार	६	६	—	—	..	८	५	३	—	..
२—समितियां	२४२	१०२	१४०	—	..	२१६	१२५	९१	—	..
३—सदस्य	४,८४०	२,६००	२,२४०	—	..	४,२२०	३,०६०	१,१६०	—	..
सिंचाई										
१—पक्के कुएं ..	१९७	७९	११८	—	३२,५०० रु०	१९६	७८	११८	—	१०,००० रु०
२—सहकारी नलकूप	१८	१	१७	—	१०,००० रु०	१८	३	१५	—	२०,००० रु०
३—व्यक्तिगत नलकूप	१	१	—	—	१५,००० रु० तकावी	..	..	—	—	..
४—पम्पिंग सेट	५	४	१	—	३,००० रु०	५	३	२	—	३,००० रु०
उद्योग धन्धे										
१—औद्योगिक सहकारी समितियां	८	८	—	—	..	६	..	६	—	..
२—गुड़ विकास केन्द्र	२	१	१	—	..	२	१	१	—	..
आवागमन तथा यातायात										
१—बस द्वारा यातायात	७० मील	५० मील	२० मील	—	..	४४ मील	२८	१६	—	..
२—पक्की सड़कों का निर्माण	..	..	—	—	..	..	..	—	—	..
३—सड़कों का निर्माण	३१ मील	८ मील	२३ मील	—	..	३१ मील	८	२३	—	..
४—पुनः नवीकरण	१८ मील	..	१८ मील	—	..	१४	..	—	—	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य का नाम	तहसील सीतापुर					तहसील मिश्रिख				
	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र	व्यय
शिक्षा				विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों में					विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों में	
१—प्राइमरी पाठशाला	२३५	२३५	—		..	१७५	१७५			..
२—जूनियर हाई स्कूल	१३	१३	—		..	१३	१३			११
३—हायर सेकेंडरी स्कूल	७	७	—		..	३	३			१०,०००
चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य										
१—एलोपैथिक चिकित्सालय	४	४	—		..	३	३			..
२—शिशु कल्याण	३	३	—		..	१	१			..
३—आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय	२	२	—		..	३	३			..
४—क्षय केन्द्र ..	२	१	१		..	..	..			..
५—कर्मचारियों की शिक्षा	५०	५०	—		..	५८	५८			..
६—पानी पीने के कुएं	५०	१६	३४		२,००० रु०	५०	२०	३०		२,२०० रु०
७—सोख्ते	१,०००	८२०	१८०		..	१,०००	७०६	२९४		..
८—चेचक के टीके	७५,०००	३४,९८६	४०,०१४		..	७५,०००	४०,५७६	३४,४२४		..
९—औषधि पेटिकाएं	२१०	८४	१२६		..	२१७	८१	१३६		..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य का नाम	तहसील सीतापुर लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र	व्यय	तहसील मिश्रिख लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र	व्यय
१०—स्वच्छता—										
(अ) नालियां पक्की व गलियां	३	३	—		..	३	३			..
(ब) मार्गों पर प्रकाश	१५०	३६	११४		..	१५०	४०	११०		..
११—नेत्र चिकित्सा	६ शिविर	४	२		५,००० रु०	७	६	१		..
जन कार्य										
१—सहकारी बीज भंडार भवन. .	३	१	२		५,००० रु०	३	२	१		५,००० रु०
२—पंचायत भवन	१६	१८	—		४,५०० रु०	२७	१६	११		३,००० रु०
३—पुल और पुलियां	९	९	—		१५,००० रु०	६	६			१८,००० रु०
४—पाठशालायें-भवन	१२	६	६		७,००० रु०	१६	६	१०		६,००० रु०
५—सड़कें ..	५ मील	४	१		१,२०,००० रु०	२ मील	१	१		१२,००० रु०
६—खरंजा इत्यादि	३ मील	३	—		५,००० रु०	३	२	१		४,००० रु०
नारी कल्याण										
१—महिला मंगल केन्द्र	१	१	—		२,००० रु०	१	..	१		..
हरिजन कल्याण										
१—नए कुएं ..	३७	१०	२७		४,००० रु०	३९	८	३१		३,५०० रु०
२—मकान ..	१	१	—		१,८०० रु०	..	..	..		..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	तहसील सिधौली				तहसील बिसवां			
			विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों में				विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों में	
शिक्षा								
१—प्राइमरी पाठशाला	११०	११०	..	..	१११	१११	—	..
२—जूनियर हाई स्कूल	११	..	..	..	९	९	—	..
३—हायर सेकेंडरी स्कूल	२	२	..	..	२	२	—	..
चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य								
१—एलोपैथिक चिकित्सालय	५	५	..	..	४	४	—	..
२—शिशु कल्याण	१	२	..	..	१	०	१	..
३—आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय	४	४	..	..	२	१	१	..
४—क्षय केन्द्र ..	..	..	..	..	..	..	..	..
५—कर्मचारियों की शिक्षा	५८	५८	..	..	५३	५३	..	..
६—पानी पीने के कुएं	५०	१६	३४	२,०१४ रु०	५०	३७	१३	४,५०० रु०
७—सोख्ते ..	१,०००	६३६	३६४	..	१,०००	८३३	१६७	..
८—चेचक के टीके	७५,०००	३१,६६५	४३,३३५	..	७५,०००	३५,०७९	३९,९२१	..
९—औषधि पेटिकाएं	२४२	७९	१६३	..	२१६	८३	१३३	..
१०—स्वच्छता—								
(अ) नालियां पक्की व गलियां	३	३	..	..	३	३	—	..
(ब) मार्गों पर प्रकाश	१३०	३५	९५	..	१२०	३८	८२	..
११—नेत्र चिकित्सा	६	४	२	..	६	४	२	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य का नाम	तहसील सिधौली					तहसील बिसवां				
	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	बाकी काम	क्षेत्र	व्यय
जन-कार्य										
१—सहकारी बीज भंडार भवन	३	२	१		५,००० रु०	३	..	३		..
२—पंचायत भवन	१६	१५	१		४,००० रु०	१६	१४	२		३,५०० रु०
३—पुल और पुलियां	३	३	..		५,००० रु०	५	५	—		१२,००० रु०
४—पाठशालायें—भवन	१२	९	३		६,००० रु०	१०	६	४		६,००० रु०
५—सड़कें ..	१	१	..		९,००० रु०	२	१	१		१२,३७६ रु०
६—खरंजा इत्यादि	३	३	..		५,००० रु०	२ मील	२ मील	—		२,००० रु०
नारी कल्याण										
१—महिला मंगल केन्द्र	१	..	१		..	१	..	१		..
हरिजन कल्याण										
१—नए कुएं ..	३७	६	३१		३,००० रु०	३७	६	३१		२,५०० रु०
२—मकान ..	..	..	..		..	..	..	—		..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

तालिका

(अ) डिग्री या डिप्लोमा जिसमें १०० रु० प्रति मास मिलता है।	एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० सी० पी०। एम० डी०, एम० एस०, एम० आर० सी० ओ० जी० एवं डी० एम० आर० टी०।
(ब) डिग्री या डिप्लोमा जिसमें ५० रु० प्रतिमास मिलता है।	डी० ओ० एम० एस०, डी० एम० आर० ई०, डी० सी० पी०, डी० एल० ओ०, टी० डी० डी०, डी० बैक्ट, डी० टी० एम०, डी० जी० ओ० एवं डी० ओ०।

विधान सभा उ० प्र०

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ व २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

सामुदायिक विकास केंद्र भिलंगना में ३१ दिसम्बर, १९५४, तक किये गये विशेष कार्यों की सूची

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े
	सिंचाई	
१	सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	३२६ एकड़
	कृषि	
२	वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिमाण	३९६ मन
३	बीज जो खरीदा और उगाहा गया	३० मन
४	प्रदर्शनों की संख्या	७७०
	उद्यान अथवा बाग़बानी	
५	नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र	२६ एकड़
६	बोये गये फलों के वृक्षों की संख्या	३,०००
७	आरम्भ की गई फल व तरकारी की पौधशालाओं की संख्या	१
८	वितरित किये गये तरकारी के बीज की मात्रा	४५ पौंड
९	अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई	४२ एकड़
	पशु-पालन	
१०	चिकित्सित पशुओं की संख्या	९
११	बधिया किये गये बैलों की संख्या	१३
	शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य	
१२	चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या	१
१३	चालू किये गये सामूहिक केंद्रों की संख्या	२
	सामूहिक कार्य	
१४	निर्मित भवनों की संख्या	५
१५	सड़कों का निर्माण :—	
	कच्ची	६ मील १ फर्लाङ्ग
	पक्की	१ मील २ फर्लाङ्ग
१६	कच्ची सड़कों की मरम्मत	५३ मील ३ फर्लाङ्ग
	जन-स्वास्थ्य	
१७	देहातों में पाखाने बनाये गये	१
१८	निर्मित शुद्ध जल की डिग्गी	४
१९	वह लोग जिनके टीके लगाये गये	१९३
२०	वह ग्राम जहां मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई	२
	सहयोग	
२१	बनाई गई कोआपरेटिव सोसाइटियों की संख्या	३२
	सार्वजनिक दान	
२२	श्रम का मूल्य (रुपयों में)	५६,१४१
२३	नकद तथा अन्य दान (रुपयों में)	५१,८००
२४	कुल दान का मूल्य (रुपयों में)	१,०७,९४१

विधान सभा

सामूहिक विकास केन्द्र भिलंगना में बनाये जाने वाले भवनों की सूची

क्रम संख्या	भवन का ब्योरा	संख्या	लागत	भवन बनाने का स्थान
			रु०	
१	योजना कार्यकारी अधिकारी के लिये निवास-गृह	१	६,५००	योजना केन्द्र धनसाली
२	क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिये निवास-गृह	५	१५,०००	योजना केन्द्र धन साली
३	ग्राम सेवकों के लिये निवास-गृह	३	६,०००	योजना केन्द्र धनसाली
४	ग्राम सेवकों के लिये निवास-गृह जिसमें बीज भंडार एवं सामूहिक मिलन केंद्र के भवन भी जुड़े हैं।	९	२८,०००	योजना क्षेत्र की प्रत्येक पट्टी के केन्द्र में एक भवन बनेगा
५	लिपिकों के लिये निवास-गृह	६	१८,०००	योजना केन्द्र घसाली
६	चपरासी, चौकीदार तथा मेहतर के लिये निवास-गृह	५	६,०००	योजना केंद्र घसाली १
७	जीप मोटर गैरेज	२	५,०००	एक योजना केंद्र घसाली में दूसरा नरेंन्द्र नगर में
८	कार्यालय, बारूदखाना और गोदाम भवन	१	१३,०००	नरेंन्द्र नगर और धसोली में
९	कार्यालय व अन्य कर्मचारियों के लिये भवन		२२,०००	नरेन्द्र नगर में
१०	पशु-चिकित्सालय	१	११,०००	योजना केंद्र धनसाली है
११	कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये प्रशिक्षण एवं उत्पादन भवन	१	१०,०००	भवन बनने का स्थान निश्चित नहीं हुआ।
१२	रेस्ट हाउस	२	५,०००	भवन बनने का स्थान निश्चित नहीं हुआ।

उत्तराखंड विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

List of Industries

1. Dyeing and Printing, Screen Printing.
2. Carpet making.
3. Durie, tape, niwar making.
4. Tailoring and embroidery.
5. Furniture, toys.
6. Iron Foundry.
7. Engineering-works (Manufacturing machine-parts and repairs etc.).
8. Cutlery and scissors making.
9. Tin containers making.
10. Iron and tin smithy.
11. Soap Making.
12. Ink Making.
13. Boot polish.
14. Chemicals.
15. Tanning and Leather.
16. Card Board boxes.
17. Fountain pen.
18. Electroplating.
19. Marble works.
20. Rope making.
21. Tat Patti making.
22. Pottery.
23. Brushes.
24. Cane goods.
25. Toys clay.
26. Glass Beads.
27. Plastic goods.
28. Handmade paper.
29. Pants and Varnish.
30. Sports goods.
31. Clay models.
32. Book binding.
33. Electric goods.
34. Type foundry.
35. Mfg. of surgical instruments.

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

वर्ष १९५३-५४ में कर्घा उत्पादन समितियों को वितरित रिबेट ऋण तथा अनुदान का विवरण

क्रमांक	समितियों के नाम	ऋण	सहायता		रिबेट
			विक्रय केंद्र के लिये	रंगाई घर के लिये	
१	२	३	४	५	६
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१—इंडिस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर लि०, संडीला, हरदोई	..	२२,१०६–९–०	१,७२५	..	६,१६४–९–०
२—यू० पी० कोआपरेटिव नाइटिंग एन्ड वीविंग सोसाइटी लि०, कानपुर	..	..	..	..	९००–०–०
३—अंसार कोआपरेटिव एसोसियेशन लि०, खैराबाद, सीतापुर	..	४,१७९–४–०	..	२,०००	३१३–८–९
४—इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, सिकन्दरा राव, अलीगढ़	..	२५,१४८–५–३	१,७२५	२,०००	५,९२५–१–०
५—डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, बुलन्दशहर	..	१३,३३४–०–०	..	२,०००	९१–५–०
६—सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, कानपुर ..	..	१०,०००–०–०	१,७२५	२,०००	२,९३९–५–६
७—कोआपरेटिव अन्सार वीविंग सोसाइटी लि०, मेरठ	..	१५,१८६–०–०	१,७२५	२,०००	७१३–११–६
८—सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, रामपुर ..	..	११,२१४–१३–०	१,७२५	..	..
९—बुनकर कोआपरेटिव सिन्डीकेट लि०, कानपुर ..	..	२३,९२४–११–६	..	..	८,२८५–७–६
१०—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, मऊ ऐमा, इलाहाबाद	..	७,७५३–१३–०	..	२,०००	..
११—टांडा वीवर्स सेंट्रल कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, फैजाबाद	..	५१,४९०–९–६	१,७२५	२,०००	१३,५२६–०–०
१२—डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, मऊ आजमगढ़	..	२५,४२०–१०–०	..	..	..
१३—डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, सीतापुर	..	५,०००–०–०	१,७२५	२,०००	५७१–०–३

अनुसंधान विभाग संसद

क्रमांक	समितियों के नाम	ऋण	सहायता		
			विक्रय केन्द्र के लिए	रंगाई घर के लिये	रिवेट
१	२	३	४	५	६
		रु० आ० पा०	रु० पा० आ०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१४	सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, गाजीपुर ..	९,४५४–१४–०	१,७२५	२,०००	..
१५	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, गाजीपुर ..	७,०७५–०–०	..	..	..
१६	इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव फेडरेशन लि० बाराबंकी ..	३४,१४३–६–६	१,७२५	२,०००	१,२०९–३–३
१७	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, इटावा ..	४०,०००–०–०	१,७२५	२,०००	१०,९३२–१२–६
१८	वीवर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, गोरखपुर ..	२,०००–०–०	१,७२५	२,०००	..
१९	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, उन्नाव ..	४,९७२–१४–०	..	..	..
२०	करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, मथुरा (राया) ..	४,३२९–१२–०	१,७२५	२,०००	१,०३३–११–३
२१	करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कासगंज (एटा) ..	५,०००–०–०	१,७२५	२,०००	१४०–३–०
२२	कोल सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, फर्रुखाबाद ..	६,६२७–१३–०	..	२,०००	९९–२–६
२३	जिला गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, लखनऊ ..	..	..	..	..
२४	परसोडियन बुनकर कोआपरेटिव सिन्डीकेट लि०, कानपुर ..	२,५२५–१०–०	..	..	..
२५	जसवन्तनगर वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, इटावा ..	३,९२२–०–०	..	..	१९१–१३–०
२६	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, बरेली ..	७,०००–०–०	..	२,०००	..
२७	डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, बिजनौर ..	५,२००–०–०	..	..	..
२८	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, मुरादाबाद ..	१८,९७१–९–०	३,४५०	२,०००	६,२१०–४–६
२९	टेक्सटाइल गृह उद्योग सहकारी समिति लि० लखनऊ ..	४,३५०–०–०	..	..	..
३०	डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, बदायूं ..	६,६००–०–०	१,७२५	२,०००	२,९४१–७–६
३१	सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, जलालपुर, फैजाबाद ..	१,५९०–०–०	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३२—डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, अकबरपुर, फैजाबाद	१,११०—०—०	..	..	..
३३—ोविंग एन्ड सेल कोआपरेटिव लि०, संडीला, हरदोई ..	२६,४००—०—०	..	..	२,२५७—३—०
३४—बुनकर सहकारी सभा लि०, मल्लांवां, हरदोई	२,१५०—०—०	..	..	..
३५—सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, मऊ, आजमगढ़ ..	६,८००—०—०	..	..	..
३६—हिमायतुल अन्सार करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कोपागंज, आजमगढ़	८४५—०—०	..	..	..
३७—सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, घोसी, आजमगढ़ ..	६,७००—११—०	१,७२५	२,०००	..
३८—डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, गोरखपुर ..	९८७—०—०	१,७२५	..	..
३९—सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, बड़हलगंज, गोरखपुर ..	६१३—०—०	१,७२५	..	..
४०—सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, उमरौली, गोरखपुर ..	९,२७४—१५—०	..	२,०००	..
४१—डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, देवरिया	८४७—०—०	..	..	..
४२—बरून टोला वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, इटावा ..	३८६—०—०	..	..	..
४३—लालपुरा वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, इटावा ..	३८६—०—०	..	..	१,४३९—२—६
४४—इंडस्ट्रियल सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, मगहर बस्ती ..	१०,१६१—१—०	१,७२५	२,०००	६,९८१—८—९
४५—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, रसड़ा, बलिया ..	..	..	२,०००	..
४६—जिला तन्तवाय वैश्य व पत्रकार कोआपरेटिव यूनियन लि०, झांसी ..	..	..	..	७२—१४—०
४७—डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, जौनपुर ..	..	१,७२५	२,०००	..
४८—डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि०, मुरादाबाद ..	..	३,४५०	२,०००	..
४९—डिस्ट्रिक्ट हैन्ड लूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, मऊ ..	..	१,७२५	..	६,०७३—१२—६
५०—सेल डिपो, हरद्वार	..	१,७२५	..	..
५१—यूपिका सेल डिपो, बनारस ..	..	३,४५०	..	..
५२— ,, ,, कानपुर ..	..	३,४५०	४०००	..
५३— ,, ,, अलीगढ़ ..	..	३,४५०	..	..
५४— ,, ,, फैजाबाद ..	..	१,७२५	..	..
५५—डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लि० मऊ, रानीपुर, झांसी ..	..	१,७२५	..	६९२०—९—३
५६—जसवन्तनगर देहात कोआपरेटिव हैन्डलूम सोसाइटी लि०, इटावा ..	..	..	..	४,०५५—४—९
५७—मुहल्ला टोला कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी, जसवन्तनगर, इटावा	..	..	..	२,८२७—१४—०
५८—सरंगीबजार हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, जसवन्त नगर, इटावा	..	..	..	३,२४८-१०—९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	समितियों के नाम	ऋण	सहायता		रिबेट
			विक्रय केन्द्र के लिये	रंगाई घर के लिये	
१	२	३	४	५	६
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
५९—इटावा वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, म्युनिसिपल एरिया, इटावा ..		..	..	..	९१२–१३–६
६०—मगरबी कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी लि०, इटावा ..		..	..	..	४,३८२–४–०
६१—रामगंज कोआपरेटिव वीवर्स हैन्डलूम लि०, इटावा ..		..	..	..	५,८०३–१४–०
६२—सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, अलीगढ़ ..		..	..	..	३५–१०–९
६३—सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, महोबा एन्ड प्राइमरी सोसाइटी ..		..	..	..	३,३५०–१०–०
६४—हैन्डीक्राफ्टस ..					३७,९९९–९–०
	योग	४,४५,१८२–५–३	५६,९२५	५०,०००	१,४८,९५७–७–६

अनुवाद विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

Conditions on which rebate is to be allowed by the Co-operative Stores to customers

It has been observed that the societies have still a vague or sometimes incorrect ideas about the rebate allowed by the All-India Handloom Board on sale of handloom cloth. There is an idea current that the rebate or the part of the rebate is meant for weavers while on the other hand it is primarily meant for *consumers*. It is true that the weaver, the producer will ultimately be benefited as the low price or reduction in price of cloth will stimulate sales and consumption of hand-woven cloth. This will be followed by more production and more and more wages to the weavers. It is, therefore, necessary that as far as possible, the rebate be allowed *at the consumers' end*. It may be allowed on wholesale business too when absolutely necessary, and that to the party who cannot claim and are not entitled for rebate from the Government. As a matter of fact, All-India Handloom Board is averse to allowing of the rebate on wholesale business but Director of Industries has obtained an exception in case of our State for allowing rebate but at reduced rate to whole-seller. This concession too has been sanctioned for a limited period. It is hoped that the societies will take full advantage of this concession and in the meantime establish important contacts and build up a testing business relations.

2. Orders have been issued from time to time detailing the conditions under which rebate should be given but it has been noticed that in any cases the conditions have either not been observed at all, or there is some confusion about the interpretation of more conditions. Besides, there had been, in certain cases, misuse of the facilities allowed and attempt has been made to prepare faked accounts. It is, therefore, proposed to issue a detailed instruction about the conditions of the rebate and also the account procedure to be followed in the maintenance of the same.

3. The rebate on sale of handloom cloth is subject to the following conditions :

(*a*) Rebate should be paid in respect of purchase of not less than Rs.2 in each case from Co-operative and State-owned depots.

(*b*) Prices should be stamped on all articles sold by Co-operative and State-owned emporia.

(*c*) Marked prices should have only a reasonable margin over the cost of production which will include overheads, distribution expenses, etc. The suggestions made in department's circular No./2067-117/HDS-1, dated October 12, 1953, should be followed.

(*d*) The rebate should not exceed the actual difference between the sale price and marked price or nine pies to one anna six pies per rupee, whichever is less.

(*e*) The rebate should be restricted only in respect of such articles as lack demand due to accumulation of stocks or for some other reason, have to be sold at prices well below the cost of production and the sale price as make their marketing uneconomic. Orders as to the varieties on which no rebate is to be allowed will be notified from time to time.

(*f*) The rebate should be claimed at consumers' point and in no case rebate will be claimed by selling society if the goods are supplied to another society in the State as it is the latter society which can claim and is entitled to the rebate.

(*g*) The rebate on wholesale will be less, i.e. -/1/- per rupee instead of -/1/6 per rupee to a consumer by the society for the same goods. This condition may look rather queer but the fact is that All-India Handloom Board suspects that the wholeseller will not pass on the rebate to the consumer and will charge a price which will make the allowance of rebate ineffective. The Board wants to discourage this and it was through the special efforts of the department that they agreed to it as a temporary measure.

The following accounting procedure is laid down to ensure proper scrutiny, audit and check as desired by the Board :

(1) For all transactions made by the society, there should be a cash or credit memo. which should be in *triplicate*. Original to be given to customer, duplicate to be retained in the office of the society and triplicate to be sent to the Regional Marketing Officer along with the statement of rebate account.

(2) There would be two categories of goods—(i) the goods produced by the production societies—central or primary on their account, i.e. yarn given to the weaver and cloth taken over after payment of wages, (ii) goods belonging to the member of the co-operative society from yarn purchased by him.

(3) The amount of rebate on category (i) will be up to Rs. -/1/6 per rupee while on category (ii) it will not be more than -/1/- per rupee.

(4) There will be two registers (i) for noting down the daily purchases and (ii) to note down daily sale of goods belonging to the weaver-member in the forms enclosed.

Besides, there would be a ledger-book for each weaver-member so that the position of account of each member could be easily available.

(5) Similarly each weaver will be provided with a "Weavers Pass Book" in the form enclosed which will be filled up each time any transaction in cash or kind takes place. The pass book will be supplied free by the society and the weaver is expected to bring it with him when he comes to the society.

In case the pass book is lost by the weaver a fresh pass book will be supplied to the weaver up-to-date entries duly made on payment of -/8/-. On completion of a pass book, however, a new pass book will be supplied, free of cost.

Under no-circumstance should the pass book be left with the society.

(5) A—Every society and depot, effecting purchases will maintain a chart of costing of standard goods generally brought by the weavers for sale and selling price should be fixed accordingly after adding overhead charges, etc. It is necessary to see that the prices are not fixed much above the cost of production and market rate just to have rebate as an additional pofit. The Regional Marketing Officers, Textile Inspectors, Inspector of Accounts and Auditors will specially see it on their visits.

(6) All cloth sold by the society should be stamped in case of full piece like bed-spreads, etc. at one place and in yardage goods at both the ends

with the stamp of the society and the price. It should be with such an ink that it could be washed of and also at such a place that it does not spill the look and freshness of the stock.

(7) It will be the responsibility of the society to see that no goods are tendered twice either by removing or washing the identity stamp. Any attempt by weaver or any society to deceive should be brought to the notice of the Regional Marketing Officer atonce.

(8) It should be carefully noted that State Government are not bound to give rebate simply because a society has allowed the rebate to the buyer unless and untill they are convinced that the conditions laid down for the allowance of the rebate has been fully observed to the satisfaction of the Government.

(9) The Textile Inspectors will be personally responsible for correctness of statements of rebate in accordance with the instructions of Government issued from time to time. The Regional Marketing Officers are also required to submit certificate of proper utilization of Grant paid as rebate to the various societies in their circle at the close of each financial year.

The certificate of proper utilization for the year 1953-54 has not yet been received so far, and the same may please be submitted by Regional Marketing officers at a very early date.

(10) Rebate claimed and paid to the various societies during the *last financial year* on sales made to other sister societies of UPICA Sale Depots and Government Emporiums who are also authorized to allow rebate on sales and claim subsidy, should be intimated at a very early date, with a copy of UPICA for adjustment at the time of next payment.

K. C. JOSHI,
Joint Director of Cottage Industries,
U. P., Kanpur.

Endorsement No. 6108-207/HDS-A-5/54, dated Kanpur, August 20, 1954

Copy forwarded for information and necessary action to the :

1. All Regional Marketing Officers.
2. All Textile Inspectors with 10 spare copies for distribution amongst the production societies under their charge.
3. Special Manager, Government U. P. Handicrafts, Lucknow.
4. Superintendent, Handloom Co-operative.
5. Divisional Superintendent of Industries (Handloom) with 5 spare copies.
6. Honorary Secretary, UPICA, with 5 spare copies.

K. C. JOSHI,
Joint Director of Cottage Industries,
U. P., Kanpur.

Statement showing sale of cloth during the period.....195 .

Name of Society

REGISTERED

No. and date

Total Value of Goods sold (selling-price)			Reference to Cash or Credit Memo.				Total amount of rebate allowed as per Cash Memo. and Credit Memo.	Amount of subsidy claimed	Remarks
Cash	Credit	Total	Cash Memo.		Credit Memo.				
			From	To	From	To			

Sale Depot:

Society :

Arhat :

Mobile Van:

Certified that the statement is correct and in accordance with the instructions of Government issued from time to time.

Subsidy for Rs.————————————————is recommended.

Signature of Manager/Indl. Supervisor.

Signature of Textile Inspector,

Counter-Signature of Regional Marketing Officer.

अन्य प्रदेश विक्रय भवन

REGISTER OF PURCHASES

Date	Name of the weaver from whom purchased	Name of the Society to which he is member; Reg. No.	Part of goods	Warp, wefts and count of yarn used	Quantity or measurement	Price at which purchased	Ledger Folio	Price Stamped	Signatur of Manager	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Cash Memo. (Original, Duplicate, Triplicate.)

Name of the Society or Depot.....

Date.....

Particulars.	*Quantity*	*Rate.*	*Amount.*

Signature of the Salesman.

(Goods once sold will not be returned)

Name of the customer, may be given in case he purchased goods more than Rs.100.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

WEAVER'S PASS BOOK

On the 1st page.

Pass Book No.
Name of the soceity of which he is a member.
Name
No. of workers
Address.
No. of l oms.

Date	Particulars of goods	Qty. or measurement	Warps, wefts and counts of yarn used	Cost of Production	Payment made		Remarks, if any
					Date	Rs.	

REGISTER OF SALES

Date	Name of person to whom sold	Part of goods sold	Quantity or measurement	Rate	Selling Price	Rebate allowed		Total amount at which sold	Ledger Folio	Signature of Manager	Remarks, if any
						Rate	amount				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WEAVER'S LEDGER

Name	Address	Registration No.	Pass Book No.	Date	Particulars of goods	Warp and wefts and count of yarn used	Price at which purchased	Qty.	Selling Price	Payment made	Balance	Folio	Remarks
										Rs. a. p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विधान सभा

CIRCULAR NO. 10377/HDS-S

DIRECTORATE OF INDUSTRIES,
HANDLOOM PRODUCTION DIVISION,
UTTAR PRADESH.
Dated : Kanpur, October 20, 1954.

All Managing Directors, Auditors and Industrial Supervisors, Regional Marketing Officers and Special Manager

Kindly refer to this office circular letter No. 2379—2449/HDS-S, dated 26.5. 54 in which it was stated that the Government of India have agreed to allow rebate on purchase of Rs.2 and above. The order since been amended and rebate will now be allowed on the purchases of Rs.5 and above. The amounts of rebate drawn by the societies for purchase below Rs.5 so far may kindly be intimated so that orders regularizing the same may be issued.

H. S. MATHUR,
Asstt. Director of Industries (C),
Uttar Pradesh

No. 10378/HDS-S *Dated 20th October,* 1954.

Copy to Textile Inspectors with the remark that they may get the above information collected and submitted to this office at an early date.

Copy also forwarded to U. P. Industrial Co-operative Association, Ltd. Kanpur, for information and necessary action.

H. S. MATHUR
Asstt. Director of Industries, (C),
Uttar Pradesh.

Appendix

RULES GRANTS FOR DYEHOUSE

Each Dye-House is given a non-recurring grant of Rs.2,000 as per details below :

Serial nurm-be	Particulars	Quantity	Rates	Amounts
			(Each)	
			Rs.	,, Rs.
1	Bhatties with 4 Tubes	4	50-0-0	,, 200
2	Big Tubes for water storage	2	40-0-0	,, 80
3	Cemented Tanks	4	125-0-0	,, 500
4	Iron Rods of one yd.	4	20-0-0	,, 80
5	Bamboos	100	0-8-0	,, 50
6	Dhobi Bhatties	2	100-0-0	,, 200
7	Finished over 4 Bhatties, i. e. 30 Tins ..	1	300-0-0	,, 550
	Iron Angles and Bricks		250-0-0	,,
8	Ballies	20	4-0-0	,, 80
9	Wooden Khuntas	4	7-8-0	,, 30
10	Big Cement Plated form 10' × 6'	1	130-0-0	,, 130
11	Buckets	4	5-0-0	,, 20
12	Mugs	5	2-0-0	,, 10
13	Basins	4	4-0-0	,, 16
14	Angithi	2	5-0-0	,, 10
15	Hand Gloves	2	10-0-0	,, 20
16	Hydro Metres	2	12-0-0	,, 24
	Total	..		2,000

Besides they are also provided with the services of a dyer and coolies wherever necessary.

ALL-INDIA HANDLOOM BOARD

GENERAL PRINCIPLES

General Principles (brought up to date) laid down by the All-India Handloom Board and its Standing Committee for purposes of guiding the Secretariat of the All-India Handloom Board in examining and recommending schemes for the development of the Handloom Industry engaged in weaving Fabrics from Cotton, Art-silk and Woollen Yarn in the States in the Indian Union.

LOANS

1. Share Capital of Weavers :

(*a*) Assistance for the provision of share capital of co-operative societies should be in the nature of interest-free loans, repayable in two equal annual instalments.

(*b*) Loans for share capital may be made each year to not more than 25 per cent. of the weavers who are outside the co-operative fold in a State.

(*c*) In the case of members joining new co-operative societies, a maximum of 75 per cent of the share capital may be advanced to them as loan. In the case of new members to existing co-operative societies, 100 per cent of the share capital may be advanced as loan. In both these cases, the loans should be recovered from the members in suitable instalments.

(*d*) The qualification for membership of a co-operative society should ordinarily be the possession of a loom. Exception may be made in special cases, as, for instance, in Sholapur and Malabar Districts where a large number of looms are under master-weavers or in *Kharkhanas*.

(*e*) The discretion may rest with the States as to the amount of share capital of a weaver or of a society . No uniform standard need be laid down by the Board for this purpose.

(*f*) The aim should be to secure that weaver-members of co-operative societies market their cloth only through the co-operative societies.

(*g*) No assistance will be admissible from the cess fund for increasing the share capital of members of existing co-operative societies.

2. Working Capital of Weavers Co-operative Societies.

(*a*) The alocation of funds for working capital of co-operative societies should be in the nature of interest-free loans, repayable in five equal annual instalments.

(*b*) Loans for working capital should not exceed Rs. 200 per loom within the co-operative fold.

(*c*) Loans for the working capital of existing co-operative societies, as for instance, yarn distribution societies, may be given provided such societies agree to convert themselves into production units, i. e. will undertake responsibility for marketing members cloth. In such cases the loan for working capital should be subject to a maximum of Rs. 100 per loom within the co-operative fold.

(*d*) Loans for the working capital of weavers in existing production societies will be admissible, subject to a maximum of Rs.100 per loom.

NOTE:—The loans mentioned in (*d*) above should be sanctioned by the State Governments only to those societies which have accumulated losses during the three years ending 30th June, 1954, and which have at least the share capital intact. Loans for this purpose will be admissible from the Cess Fund only as a temporary measure, and State Governments should take steps to augment credit facilities wherever they are inadequate and encourage co-operative banks to advance loans to weavers societies wherever they have not begun doing so.

3. Procedure for utilization of Loans sanctioned for Weavers' Co-operative Societies :

Where a State Government feel that they will not be in a position to disburse directly through the Co-operative Department the loans granted from the cess fund for the working capital of new member-weavers, they may be permitted to utilize the services of the State Co-operative Bank and Central Co-operative Bank for the purpose of advancing loans to the weaver's co-operative societies subject to the following conditions :

(1) The entire amount of the loan sanctioned may be made available, interest-free to the Co-operative banks through the State Government in instalments depending on the number of additional looms that have actually joined the co-operative fold and the rate at which the loan for working capital was determined.

(2) Co-operative banks will utilize the amount so made available towards augmenting the existing credit facilities made available by them to the weavers' co-operative societies. The Registrar of Co-operative Societies should ensure that the volume of credit available to weavers' co-operative societies as it stood on the 31st December, 1953 from out of the resources of State Co-operative financing organizations are not reduced. In other words, the total credit now made available should be the former amounts *plus* the loans granted from the cess fund.

(3) All outstanding or future loans granted to weavers' co-operative societies bear interest at a maximum of 4 per cent instead of existing lending rate by the co-operative banks, whether from out of the funds referred to above or from their own resources.

(4) Co-operative banks will be held responsible to the State Government for the repayment of loans advanced by the State Government.

(5) The State Co-operative Bank may lend to Central Co-operative Banks at a maximum rate of 2 per cent and the Central Co-operative Banks may lend to weavers' co-operative societies, keeping a maximum margin of 2 per cent. The margin of the Central banks may be increased provided the rate of interest to be charged to weavers' co-operative societies does not exceed 4 per cent.

(6) The State Co-operative Bank should refund immediately to the State Government any instalment or portion of instalment amounts advanced which remain undisbursed for any reason whatsoever.

(7) The Co-operative Societies should submit quarterly statements of the stocks held by them to the Co-operative banks and to the Registrar of Co-operative Societies.

4. Loans to Central Weavers' Co-operative Societies for marketing handloom cloth produced by the Primary Societies.

The Grant of financial assistance from cess fund to Central Societies for purposes of marketing handloom cloth will be admissible subject to the following conditions :

(*a*) The loans should not exceed 5 times the sum of the paid-up capital, reserve fund (and building fund of the Society provided it is liquid and available) reduced by accumulated losses.

(*b*) The toal loans taken by the Central Society from all sources should not ordinarily exceed 8 times the sum of the paid-up capital and the reserve and building funds of the Society.

(*c*) The Society should forward to the authorities concerned a quarterly statement showing the stock in trade held by it and the value of such stocks at market rates.

(*d*) Such loan should be interest-free.

5. Working Capital for Sales Depots :

No loans will be admissible towards working capital of sales depots owned by weavers' societies and District or Apex Societies. In States or in areas in States where handloom co-operative movement has not developed and co-operative societies have not started functioning as sales organizations a loan to the State Government, if such State Government is prepared to run sales depots for the sale of handloom fabrics, may be sanctioned at a rate not exceeding Rs.15,000 per depot.

6. Working Capital for purchase of goods to be sold by Mobile Vans :

Loans may be sanctioned to State Government to equip the mobile vans with sufficient stocks of handloom cloth. The amount of loan is to be decided on merits.

7. Scheme for the contribution of Share Capital of District Industrial Co-operative Association:

Loans to the State Governments for the purpose of contributing to the share capital of these associations will not be admissible from the cess fund.

GRANTS

8. Organizational Expenses :

(*a*) Expenses on direct supervision should not exceed 2 per cent of the total cost of the scheme sanctioned by way of loans and/or grants.

(*b*) Organizational expenses are to be calculated at the rate of 2 per cent on the total loans and grants sanctioned to State reduced by the amount specifically provided for staff in schemes which include proposals for staff (as, for instance, sales depots, mobile vans, finishing plants, etc.).

9. Marketing : Depots/Emporia and Mobile Vans :

(*a*) Marketing within and outside the States (except marketing in foreign countries) should be left to State Governments and co-operative societies. Prior approval of the All-India Handloom Board or its Standing Committee should be obtained for open-

ing of Emporia outside the State concerned in cases where grants or loans from cess fund are asked for. In other cases the Board may only be formally informed.

(*b*) Grants may be paid from the Cess Fund for meeting the expenses incurred by State Governments and co-operative societies for setting up marketing depots or emporia within the States subject to an average of Rs.4,000 per depot or emporium.

(*c*) One depot or emporium should cater to a minumum of 500 looms.

(*d*) Mobile Vans may, for all practical purposes, be treated as sales depots, but, to start with, this scheme should be undertaken only as an experimental measure in order to assess its usefulness. Provision of vans may be on the basis of one van for 75,000 looms, subject to a minimum of one van for each State which applies for grant for that purpose, provided, however, that no State which has less than 20,000 looms will be eligible for a van.

(*e*) The non-recurring expenses in respect of the vans may be provided as a grant.

(*f*) The recurring expenses of the vans may be provided as a grant for one year, subject to a reasonable maximum being stipulated by the Board's Secretariat.

(*g*) Taxes payable on the vans should not be met from the Cess Fund.

(*h*) The conditions under which such grants are to be made should be decided by the Board's Secretariat, but one of them should be that the Board should be consulted before any van is disposed of and the sale value will be credited to the Government of India.

(*i*) If any State wants to increase the number of vans from that mentioned in (*d*) it may do so provided the entire expenditure is met out of its funds. The Board may consider assisting the State by meeting part of the recurring expenses for one year.

(*j*) In areas where there is no sales-shop run by a Weavers' Co-operative Society or State Government, multi-purpose co-operative societies and co-operative stores selling handloom cloth will be eligible for a subsidy to cover actual expenses, subject to a maximum of Rs.600 per annum, provided the annual sale of handloom cloth is not less than Rs.6,000 . The subsidy will be admissible only if such shops do not sell mill or powerloom cloth, and buy their stocks of handloom cloth directly from weavers' co-operative societies. The subsidy may be paid in arrears every half year on the basis of a minimum sale of Rs.3,000 per half year.

10. Marketing of silk handloom fabric :

(*a*) State Governments which wish to market silk handloom fabrics woven by handloom societies or produced on handloom under Governments auspices, or by individual weavers whose fabrics are bought by co-operative societies or Government institutions, may utilize the services of the sales depots opened by them under the cess fund schemes.

(*b*) If a State Government wishes to open a separate depot on its own account for marketing silk handloom fabric only, assistance from the cess fund may be recommended on the same basis as that applicable for inter-State or intra-State depots, provided such assistance is permissible under the law.

11. Subsidy on sales of cloth for internal consumption :

(*a*) Co-operative societies and State emporia may be permitted to grant a rebate of annas 3/4 to 1 1/2 in a rupee on retail sales made by them of the value of Rs.5 and above. The State concerned will assume full responsibility for introducing necessary administrative and audit checks to ensure the correctness of claims in respect of this rebate for the depots, emporia or co-operative societies concerned.

(*b*) The discretion as regards the rates of subsidy, and the varieties to which a higher or lower subsidy may apply, may rest with the State Governments.

(*c*) The rebate thus given should be reimbursed from the Cess Fund as an outright grant.

(*d*) The sanction of the subsidy will be subject to the required schemes being submitted by the State Governments on condition that such contribution from the Cess Fund *plus* assistance given for all other approved schemes will not exceed the ceiling grants to which each State is entitled from the Cess Fund.

(*e*) In respect of sales of handloom cloth produced in one State, but sold in another State through a co-operative society or Government emporium, such sales may be subsidized not only by the grant of the rebate as proposed above, but also to the extent of the packing and transport charges from the consignor to the consignee.

(*f*) As the proposal in (*a*) above will leave out a large number of weavers who are not in the co-operative fold, the State Government may suggest a scheme for the creation of an alternative organization which will buy and sell handloom cloth. If the Board is convinced about the soundness and utility of such organization, the subsidy proposed for co-operative societies may be given to such organization also.

(*g*) Pursuant to the condition in (*f*) above, the rebate will be admissible on retail sales made by any co-operative society or State-owned depot or fair price shop run by a State Government on handloom cloth bought from individual producers (irrespective of whether they are members of any weavers, co-operative society or not) or from weavers, co-operative societies.

(*h*) A rebate at a rate not exceeding one anna in the rupee may be paid on wholesale sales of handloom cloth made by co-operative organizations or State depots. This rebate is recommended only as a temporary expedient for a period of six months and should be subject to such safeguards as may be necessary.

(*i*) The rebate will be admissible on sales of cotton cloth only, and not art-silk cloth and woollen cloth. For this purpose cotton cloth is defined as cloth woven purely of cotton yarn. The utilization of any other yarn in borders and headings of varieties of

cloth, like *dhoties*, sarees, etc., will however, be permissible and such cloth will still be considered as cotton cloth. Cotton cloth involving the use of art-silk yarn in the body for designs such as check patterns, stripes, etc. will also be eligible for rebate, provided that the price of such cloth, prior to the grant of rebate, does not exceed Rs.2 per yard.

12. Subsidy on sales of handloom cloth for export :

(*a*) A rebate at a rate not exceeding one anna per rupee may be sanctioned on sales of handloom cloth for export.

(*b*) This rebate will be admissible only to :

(i) Co-operatives or State Trading Organizations on sales for export of handloom cloth purchased from co-operative societies ; and

(ii) Co-operative societies exporting handloom cloth direct.

13. Supply of looms and accessories to Weavers :

(i) Conversion of looms :

(*a*) State Governments may encourage the conversion of throw-shuttle looms to fly-shuttle looms. The entire cost of such conversion will be paid as a grant, subject to a ceiling of Rs.25 per loom.

(*b*) There is no need, at present, to encourage the conversion to frame looms.

(ii) Provision of take-up motion :

The introduction of take-up motion attachment to fly-shuttle looms may be encouraged. The expenses therefor will be met from the cess fund, as a grant subject to a ceiling of Rs. 70 per loom (for the lever, roller, beams, etc.).

(iii) Warping Frames (for the type required by Saurashtra):

(*a*) Financial assistance from the cess fund will be admissible for the provision of warping frames.

(*b*) For the type of warping frames contemplated by the Saurashtra Government, Rs.20 per frame is reasonable.

(*c*) Wherever there is a concentration of looms, one warping frame should be equated with 12 looms so that the maximum possible benefit may be taken out of such frame. Wherever there is no such concentration, a frame may have to be made available, irrespective of the number of looms.

(*d*) The assistance from the cess fund should be in the nature of an outright grant.

(*iv*) Slays :

(*a*) Financial assistance from the cess fund will be admissible for the provision of slays.

(*b*) The following amounts are reasonable for slays :

Rs. 50 each if the slay is required with cloth roller, warp, beam, etc.

Rs.30 each if the slay is required with cloth roller only.

Rs.25 each if the slay only is required.

(c) Only reasonable number of slays should be sanctioned during a year.

(d) The assistance from the cess fund should be in the form of grant.

(v) Looms fitted with Jacquards :

(a) Proposals for limited number of looms with Jacquards may be sanctioned.

(b) Rs. 300 for a loom fitted with Jacquards is adequte.

(c) The assistance to be given should be 50 per cent as loan and 50 per cent as grant.

(vi) Self-leasing vertical warping machines :

(a) Rs. 500 for a self-leasing vertical warping machine is reasonable.

(b) This amount may be sanctioned as a grant.

(c) States should not go in for a large number of such machines. Proposals for a small number may be sanctioned.

(vii) Cross Border Dobby :

(a) Rs. 50 per cross border dobby is adequate.

(b) This amount should be sanctioned as a grant.

(viii) Iron reeds :

(a) A grant for the supply of (i) iron reeds, and (ii) bamboo and cholam reeds will be admissible at actual cost, subject to a maximum of Rs. 20 and Rs. 10 per reed, respectively.

(b) The reeds should remain the property of co-operative societies for the use of their members.

NOTE : The average life of a bamboo of cholam reed is estimated at 5 years.

(ix) Warping beams :

No assistance will be admissible for warping beams for long warps as they do not constitute a distinctive improvement.

(x) Warping Drums :

Supply of warping drums to primary co-operative societies for the preparation of long warps may be subsidized by grants to the extent of three-fourths of the actual cost of each drum.

(xi) Varnished healds :

For the supply of varnished healds, a grant at the rate of Rs. 20 per set may be sanctioned.

14. Inter-State Sales Depots :

In respect of depots started by State Governments during 1953-54 and subsequently, a grant of an amount not exceeding Rs.15,000 per year subject to actuals may be given for each new depot. The grant would be for the first three years commencing from 1954-55 after which no such grant will be given.

15. Running expenses for Production Societies :

Each new production-cum-sale society registered as such in 1953-54 and subsequently may be paid subsidies as grants towards its running expenses on the scale shown below :

Societies with less than 50 looms ..	..	Nil.
Societies having 50 to 99 looms ..	..	Rs. 50 per month.
Societies having 100 and more looms	..	Rs. 100 per month

Grants on the above scale towards working expenses may be given for a period of 3 years from 1954-55. If at the end of 3 years, a Bociety has not built itself into a position whereby it can work without the subsidy for running expenses, it should be held to be a failure and should not be subsidized or assisted further.

16. Purchase of samples from Weavers' Co-operative Societies :

Assistance by way of grants will be admissible to subsidize partially the purchase of representative samples of various handloom textiles produced by weavers' societies for supply to prospective customers, as the supply of such samples is essential to build up business in handloom fabrics.

17. Publicity and Propaganda :

Each individual scheme may be examined on merits. Any assistance in this behalf should be in the form of a grant.

18. Collection of Statistics :

Expenditure on the collection of statistics pertaining to the handloom industry may be met from the cess fund by way of grant.

19. Semi-Automatic Looms :

(*a*) Proposals for the installation of a small number of semi-automatic looms as an experimental measure may be considered.

(*b*) Assistance to be sanctioned from the cess fund will be by way of grant.

NOTE : It is considered that the State Governments shoule be slow wita the introductin of these looms.

GRANTS, LOANS

20. Research (equipment therefor), designs, award of prizes for designs, etc.

(*a*) States which have a concentration of the handloom industry may be given assistance from the cess fund to set up research institutes for designing, bleaching, dyeing, etc.

(*b*) The non-recurring expenditure on such schemes may be sanctioned as a grant. The recurring expenditure may be sanctioned as a grant for the first year ; for the second and subsequent years, 50 per cent of the recurring expenditure may be met from the cess fund, the balance to be met by the States from their own resources.

(*c*) Schemes for award of prices, etc., may be examined on merits.

21. Dye Houses, Mobile Dyeing Units, etc.

(*a*) No general principle need be laid down, but each individual scheme should be examined on merits.

(*b*) The non-recurring expenses may be met as a grant, but the recurring expenses will be given as grant for one year only. The cost of land and building, wherever necessary, will not be met from the cess fund as it is not desirable to fritter away the fund in acquiring land and building at the present high costs.

22. Pattern Making Factories :

Individual schemes may be examined on merits.

23. Training of weavers :

Training of weavers should primarily be the responsibility of the State Governments and the expenses must be met from their own resources. Exceptions in deserving cases may be made.

24. Inspection, Stamping, etc.

Quality control is approved in principle and each scheme should be examined on merits.

25. Testing Laboratories :

These laboratories need not be encouraged. It is not intended that the cess fund should be utilized for this purpose.

26. Printing Plants :

In view of the fact that resort to printing by mechanical equipment is likely to throw hand-printers out of employment, the setting up of printing plants should not be encouraged.

27. Subsidy on transport and overheads on yarn :

There is no need to stimulate production and, as far as possible, the stimulus should be for consumption. Principles have already been laid down for stimulating sales. As a general principle, therefore, transport and overhead charges on yarn would not be subsidized from the cess fund, except in cases like Assam, where, owing to the distance from the producing centres of yarn or due to lack of proper communications and transport facilities, transport charges are unduly heavy. In such cases, individual schemes are to be examined on merits.

28. Subsidy on Stores :

No assistance should be given from the cess fund for subsidizing purchase of stores.

29. Preparatory and Processing machines :

Sizing—Centralized sizing should not be encouraged as no economic advantage will accrue from such centralization.

30. Finishing Plants :

(*a*) Each scheme should be examined on merits, i. e. on the suitability of fabrics, produced in a locality for finishing, etc.

(*b*) Assistance from the cess fund for the setting up of finishing plants should be 50 per cent as grant and 50 per cent as loan in respect of non-recurring expenditure.

(*c*) Recurring expenditure may be met as a grant for one year.

(*d*) Finishing plants should not be provided with winding, warping and sizing equipments.

(*e*) No State should be assisted to have more than one finishing plant to start with.

(*f*) For the setting up of calendering plants, assistance from the Cess Fund for the purchase of land or construction of buildings will be admissible in the form of a long-term loan, bearing a nominal rate of interest and repayable, in 20 annual instalments, the first instalment to commence two years after the disbursement of the loan by the State Government, provided that the amount of loan asked for is reasonable in relation to the total cost of the scheme.

31. Interest of loans advanced by Apex Banks to Co-operative Societies :

A question was raised whether interest paid by co-operatives to Apex Banks on their borrowings would be subsidized from the cess fund. The Chairman said that it would be advisable to adopt the general principle that the cess fund should not be made use of for such indirect purposes, and that, at any rate, the States should take into consideration the limitation of expenses on the several schemes of assistance to the amount available to each State as its share of the cess fund.

32. Assistance to handloom weavers in small factories (as in Malabar) :

Financial assistance may be granted to handloom factories provided such factories convert themselves into co-operative societies or industrial co-operatives where the ownership of the looms is transferred to weavers.

33. General :

(*a*) The State should draw up a list of priorities for the development of the handloom industry and apply the funds for orderly development.

(*b*) All grants/loans/subsidies, etc. will cumulatively be subject to the limit of the share due to each State from the Cess Fund.

(*c*) The conditions governing grants/loans should be finalized by the Board's Secretariat, in consultation with Finance and the prior approval of the Chairman, and then circulated to States.

NOTE : None of theprovisions of the General Principless honld be given effect to by State Government till specific schemes are put up by them to the All-India Handloom Board and sanctioned by the Government of India,

सत्यमेव जयते

नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

THE HUMANE LIFE SAVING SOCIETY

38, Park Road, Allahabad, U. P., India.

Our Ref. No. 56-52-53. *Dated* 24-12-1952.

To

THE CHIEF SECRETARY,
U. P. GOVERNMENT,
LUCKNOW.

SIR,

This is to bring to your kind notice that Humane Life Saving Society of Allahabad was entrusted with the work of executing the flood-scheme by the U. P. Government. According to the G.O. no. 6249-R/XII-C--DC-14-51, dated September 14, 1951, I visited the flood post of each of the 13 districts of the State which were concerned in the scheme. I am giving below some of my impressions which may lead to prevent the number of drawing facilities so much occurring in our State.

The major part of the relief work consists of evacuation of human beings and cattle and other necessities of life from the flood-affected areas and to provide food and help to the evacuees. Most of the workers who have to render relief work in that turbulent water run risk of their own lives and if they happen to be non-swimmers and are not provided with proper life saving apparatus the risk is increased tremendously, not only that they cannot save lives of others, but on the other hand, their very lives are at stake some times. The relief work has to be done by Government servants and the public in a team spirit, and the object can be achieved only, when, in the first instance, they are confident to save their own lives. It has been seen that, for no fault of their own, majority of Government officials are non-swimmers, and when they are called upon to do the relief work in turbulent streams or rivers or in deep flood affected areas, they are unable to work in self-confident manner. The net result is that such operations are either carried out half-heartedly or left to the mercy of subordinate staff, and their work cannot be supervised at the spot. It has not always been possible to provide them with motor launch to facilitate their work without running such risk. Even these officials and others who know little swimming get nervous to see rivers in the time of flood and a vast space it occupies all round. If they are non-swimmers it is but natural that they become very nervous in carrying out their duties, both in the capacity of Government officials as well as from the humanitarian point of view. This naturally relaxes in the carrying out of the operations successfully. Instances have occurred when instead of saving lives of others their very lives run a great risk. As for example, I am quoting an instance which appeared in the *Leader* of Allahabad in its issue dated September 7, 1952 and which strengthens my views referred to above.

"U.P's. Deputy Food Minister and Flood Officers who were returning from a visit of flood-affected areas narrowly escaped yesterday when the motor launch carrying them over the river Ghagra struck its own anchor and wrecked in mid-stream. The Deputy Minister and the officials were towed ashore by some boatmen who caught sight of the water rushing into the launch The wreck of the motor launch in mid-stream by striking its own anchor was not an accident but merely due to the lack of knowledge of to the subject on the part of those responsible for it. Had those boatmen not seen the sinking motor launch, it would have resulted in a tragedy in which occupants would have drowned."

It is actually seen that officers hesitate in going to flooded waters. The U. P. Government, with this end in view, has launched a flood scheme according to G. O. no. 6249-R/XII-C—DC-14-51, dated September 14, 1951. I am enclosing a copy for your ready reference. A training camp was held at Allahabad in the month of February and March, 1952, in which 3 representatives from each of the 13 districts of the state participated. It was proposed to push this scheme so that it might be spread in the whole of the State.

As the floods have become a common feature and menace, specially in the eastern districts, and in order to combat the human tragedies which occur in sufficient numbers every year, it is my firm belief that such tragedies can be checked and averted in a number of cases, in case the following suggestions, which I submit for the serious consideration of Government, are adopted.

Government officials who are posted to carry out relief work in flood area must know sufficient swimming experience. Lessons in swimming can be imparted to the revenue officers without much difficulty. Officers club in each district so far visited by me possesses a swimming pool. The officers exhibited a keen interest in learning this noble art of scientific swimming. District authorities and public seemed equally interested and showed great enthusiasm in support of this scheme. A Life Guard Corps should be organized in every district with the help of the trainees who have undergone 6 weeks training at Allahabad recently under our supervision. An annual test of life guards must be taken by the authorities every year and only those who are really qualified should be allowed to work. Legislation to this effect may be made and all the District Magistrates concerned should be informed that only trained life-savers would be allowed to work in *Belas* and Floods.

Annual renewal of certificates of the Life Guards should be done by the Central body. There should be 3 grades of certificates, viz. (1) Diploma of the society, (2) Merit certificates, and (3) Life Guard Corps special proficiency certificate. Detailed courses regarding those certificate tests will be submitted later on, if required. Life saving charts should be made and supplied to each district.

Training of District Planning Officers and Flood Officers in scientific swimming is also very essential. They can get their training in their own respective districts. Since, as Deputy Collectors are generally posted as Planning Officers and Flood Officers, the Government will be well-advised to introduce a course of swimming and life-saving which should be made a compulsory subject in the Officers, Training School, Allahabad. All the Revenue Officers should, as far as possible, also pass this test completely as they pass other compartmental tests.

All hired and private boats should be inspected annually and the number of passengers a boat is fit to carry should be properly marked. Such boats which are rejected once should not be allowed to ply any more. While issuing licenses to boatmen they should be examined and only trained boatmen should be permitted to ply boats. They should be examined and checked by the Life Guard Corps of each district.

Capsizing of boats also takes place due to collission, etc. For this, traffic rules should be enforced.

Each year the S. P., in consultation with the Life Guards Organization of each district may, renew the certificates of life guards and the boatmen. The District Police Office should maintain a record of the same. Besides flood, which have rather become a regular feature of our State (specially in eastern districts), most of the Hindu festivals are associated with river bathing. A large number of drowning fatalities take place every year. Besides, Magh Melas are held every year at Allahabad and Kumbh and Ardh Kumbh at Haradwar, Brindaban and Allahabad. For these occasions also the Life Guards Corps scheme will prove very helpful.

If this scheme is successfully executed it will not only provide effective relief work in floods but will save also a considerable number of lives lost every year and the expenditure incurred by Government on floods I am also attaching herewith a gist of the Society's work done during the last 14 years.

I may also bring to your kind notice that this Society has also submitted a scheme to the Education Department of the U. P. Government as how to train all the school-going boys and girls of the Province in scientific swimming and life saving within five years, and the amount needed is only Rs.15,000 annually. The Education Department was giving us some financial assistance to give a trial to this scheme at Allahabad. But last year, we did not receive any grant from the Education Department, on the ground that the Council of Physical Culture was transferred to the Planning Department.

We are running in a heavy financial deficit as will be clear from the audit report of the Society for the year 1951-52. If the Government do not come to our help, we will not be able to pull on any more. If we are given a help, we are ready to train the officers of the Officers, Training School at Allahabad which will be for the benefit of the Government. We will also be able to train the Planning and Flood Officers of the Province and organize Life Guards Organization in the whole of the State in a very short time as far as possible.

I strongly hope that Government will give due consideration to the scheme and favour the undersigned with an early reply.

Yours faithfully,
(Sd.) G. N. BANERJI,
Secretary.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६ एल० ए० १९५५—७९६ ।